तृतीय माला, खण्ड १९—अंक २

बुधवार, १४ अगस्त, १९६३
२३ श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित* प्रश्न संख्या ३१ से ३६ — १६३–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४० से ६० . . . — १८८–९९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२० से २०९ और २११ . — १९९- २४१

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के प्रस्तावों की पूर्व सूचना के बारे में . — २४१

वायस ऑफ अमरीका के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य--

श्री जवाहरलाल नेहरू . — २४१–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २४६–४८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

बाईसवां प्रतिवेदन . . . — २४८

लोक लेखा समिति से राज्य सभा के सदस्य को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव — २४८–४९

कार्य मंत्रणा समिति--

सत्रहवां प्रतिवेदन . — २४९–५२

वस्त्र समिति विधेयक--

विचार करने के बारे में प्रस्ताव . . — २५२–६८

श्री दी० च० शर्मा . — २५२

श्री दीनेन भट्टाचार्य . — २५२–५३

श्री पी० रा० रामकृष्णन् . — २५३–५४

श्री श्याम लाल सर्राफ . — २५४

श्री स० मो० बनर्जी — २५५

डा० सरोजिनी महिषी — २५५–५६

श्री व० बा० गांधी .. — २५६–५७

श्री काशी राम गुप्त . — २५७–५९

श्री प्रिय गुप्त — २५९–६०

श्री मनुभाई शाह . . . . . — २६०

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

दिनांक १४ अगस्त, १९६३ । २३ श्रावण, १८८५ (शक)

का

शुद्धि-पत्र

१. पृष्ठ २०६, अतारांकित प्रश्न संख्या १३४ के ऊपर की पहली पंक्ति में `(क) और (ख) `के स्थान पर `(क) से (ग) `पढ़िये ।

२. पृष्ठ २३१-२३२, अतारांकित प्रश्न संख्या १८६, १८७, तथा १८८ पूछने वाले सदस्यों में श्री घुलेकर मीना`के स्थान पर `श्री घुलेश्वर मीना`पढ़िये ।

३. पृष्ठ २३७, अतारांकित प्रश्न संख्या २०० के भाग (ग) के बाद अगला भाग इस प्रकार पढ़िये, "(घ) यदि हाँ, तो इस राज्य को इस तरह कम संभरण के क्या कारण हैं ?" ।

कृ० पृ० उ०

४. पृष्ठ २६७, नीचे से तेरहवीं पंक्ति, 'खंड १-(संक्षिप्त नाम विस्तार तथा संशोधन किया गया' के स्थान पर 'खंड १ - (संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ) पढ़िये ; अगली पंक्ति 'पृष्ठ १, पंक्ति ३ - ' के ऊपर संशोधन किया गया : 'पढ़िये तथा उससे अगली पंक्ति को '1963' (१९६२) के स्थान पर '१९६३' (१९६३) रख दिया जाये 'इस प्रकार पढ़िये : '1962' (१९६२) के स्थान पर '1963' (१९६३) रख दिया जाये । '

लोक-सभा

बुधवार, १४ अगस्त, १९६३

२३ श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तेल की पाइप लाइनें

+

†*३१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत में तेल की पाइपलाइनें बछाने के लिए इटली की ई० एन० आई० के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) तेल की ये पाइपलाइनें किस जगह बिछायी जायेंगी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-१३८७/६३] ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यहां इंडिजिनस पाइपलाइन्स कब तक हासिल हो जायेंगी ?

†मूल अंग्रजी में

†**श्री अलगेशन** : इन पांच पाइपलाइनों की पूर्ति के लिए तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं और मैं उन्हें पढ़ूंगा। कैम्बे-धुवरन विद्युत् केन्द्र गैस लाइन १–११–१९६३ तक पूरी हो जायेगी।

†**श्री यशपाल सिंह** : मेरा मतलब देश में पाइप-लाइनों के उत्पादन से था।

†**श्री अलगेशन** : हमें राउरकेला इस्पात संयंत्र से कुछ पाइपें मिल रहे हैं।

†**श्री जसवंत मेहता** : क्या इस के बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**श्री अलगेशन** : ये लाइनें निर्धारित तारीखों के अनुसार पूरी होंगी। केम्बे-धुवरन गैस-लाइन की पूर्ति की तारीख १–११–१९६३ है ; अंकलेश्वर-उत्तारन की तारीख १५–१–१९६४ है; अंकलेश्वर-बड़ौदा गैस लाइन की तारीख १५–४–१९६४ है ; अंकलेश्वर-बड़ौदा क्रड लाइन की तारीख ३१–८–१९६४ है; और बड़ौदा अहमदाबाद उत्पाद लाइन की तारीख ३१–१२–१९६४।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस ठेके के लिए अन्य फर्मों ने भी टेण्डर दिये थे और यदि हां, तो क्या ई० एम० आई० की शर्तें दूसरों से उत्तम थी ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां। मैं नहीं कह सकता कि अन्य किन व्यक्तियों से परामर्श किया गया। परन्तु मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को दे सकता हूं। इन सब बातों पर विचार किया गया था और समझा यह गया कि ई० एन० आई० से करार करना लाभदायक है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में उल्लेख है कि पाइप-लाइनों के निर्माण के लिये अपेक्षित सामग्री का आयात वापिस-लो आधार पर एस० एन० ए० एम० होगा। मैं नहीं जानता कि यह आधार क्या है। यह आधार क्या है और यह कैसे लागू होगा ; क्या इस से हमें लाभ होगा या हानि होगी ?

†**श्री अलगेशन** : वे इसे यहां प्रयोग करने के बाद अन्य स्थान पर प्रयोग कर सकेंगे।

†**श्री राम सेवक यादव** : मैं जानना चाहता हूं कि इटली से जो करार हुआ है उस की शर्तें क्या हैं और रूस और इंगलिस्तान के मुकाबले ज्यादा आसान हैं ? यदि हां, तो उन में क्या अन्तर है ?

†**श्री अलगेशन** : यहां रूस का कोई प्रश्न नहीं है। यह करार गुजरात में बनने वाले सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों को क्रूड ले जाने वाली अनेक पाइपलाइनों के निर्माण के लिए है। हमारी ई० एन० आई० से वार्ता हुई थी और यह करार हो गया . . **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री नाथपाई** : हमारा एक करार रूस के साथ है। वे पहिले की शर्तों की तुलना में कैसी हैं ?

श्री राम सेवक यादव : इटली से जो करार हुआ है उस की शर्तें क्या हैं और क्या वे रूस और इंग्लिस्तान के मुकाबले में आसान हैं ?

†**श्री अलगे शन** : रूस के साथ करार करने का प्रश्न ही नहीं है। आसाम में एक अन्य लाइन बनाई गई थी। वह भी ई० एन० आई० ने आयल इण्डिया के लिये बनाई थी।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या ऐसा ही और कोई करार हुआ था ।

†**श्री अलगेशन :** इण्डियन रिफाइनरी ने हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन के निर्माण के लिए फिर ई० एन० आई० से करार किया है । हम ने किसी अन्य से समझौता नहीं किया है, अतः तुलना का प्रश्न ही नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह बात गलत है, रूमानिया के साथ ऐसा समझौता हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : इस के अन्दर तो मैं नहीं जा सकता । यदि मन्त्री महोदय गलत जवाब दें तो फिर और भी चारे हैं जिन को मेम्बर साहब अपना सकते हैं । अगर मिनिस्टर साहब यहां जवाब देते हैं तो मुझे उसे ऐक्सेप्ट करना होगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इन पाइप लाइनों के स्थानों का चनाव किस आधार पर किया गया है और क्या वर्तमान रेखांकन में कुछ परिवर्तन करने के लिये कोई वैकल्पिक सुझाव है ?

†**श्री अलगेशन :** क्रूड तो वहां ही मिल जाता है और वहां तेल शोधक कारखाना बनाया जायेगा । ये पाइप लाइनें कारखानों को क्रूड ले जाने के लिए हैं ।

†**श्री स्वैल :** जबकि वह विद्यमान तेल शोधक कारखाने को, उदाहरणार्थ, गोहाटी तेल शोधक कारखाने को ठीक से चला सकते, तो देश में अधिक पाइपलाइनें बनाने से क्या लाभ है ?

†**श्री अलगेशन :** यह बात नहीं है । हम ने नाहरकटिया से गोहाटी तक और आगे गोहाटी से बरौनी तक पाइपलाइन बनाई है । नाहरकटिया से गोहाटी तक पाइपलाइन प्रयोग हो रही है । बरौनी के तेल शोधक कारखाने के चालू होते ही दूसरी पाइपलाइन भी प्रयोग होने लगेगी । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इन पाइप लाइनों का प्रयोग नहीं होता ।

†**श्री जयपाल सिंह :** पहिले माननीय मंत्री जी ने बताया था कि वह अन्य टेण्डरों का ब्यौरा बताने में असमर्थ हैं । क्या इसका यह अर्थ है कि विश्व-टेण्डर नहीं मांगे गये थे ?

†**श्री अलगेशन :** मैं ने कहा था कि मैं वह जानकारी दे दूंगा । अभी यह मेरे पास नहीं है ।

राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक सम्मेलन

\+

†*३२. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक सम्मेलन की कार्य-वाही का विवरण भारत सरकार को प्राप्त हो गया है और क्या सरकार ने उस का अध्ययन कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो देश में वैज्ञानिक अनुसन्धान का काम आगे बढ़ाने की दिशा में व सम्मेलन कहां तक सफल हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां। कार्यवाही का विवरण प्राप्त हो गया है और उस पर सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों के साथ मिल कर विचार हो रहा है।

(ख) सम्मेलन की सिफारिशों पर पूर्णतया विचार कर लेने के बाद इसका पता लगेगा।

†**श्रीमती रेणुका बड़फटकी** : इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डल के किन देशों ने भाग लिया था ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस सम्मेलन में कुल दस राष्ट्रमण्डलीय देशों ने भाग लिया था। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन सब के नाम बताऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

†**श्रीमती रेणुका बड़फटकी** : क्या इस सम्मेलन का एक सुझाव यह था कि देशों के बीच वैज्ञानिकों की अदला बदली हो और, यदि हां, तो इस से हमारे देश को कितना लाभ हुआ है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान सदैव ही लाभदायक होता है और राष्ट्रमण्डल के देशों में वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान की योजनायें पहिले से ही हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया और क्या इन में आणविक शक्ति का विषय भी था ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत था। मैं एकदम यह नहीं कह सकता कि आणविक शक्ति पर विचार किया गया था या नहीं। क्योंकि डा० भाभा ने भी भाग लिया था इसलिए संभावना है कि इस विषय पर भी विचार किया गया हो।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या इस सम्मेलन का प्रयत्न यह है कि केवल वैज्ञानिकों का ही आदान-प्रदान न हो कर वैज्ञानिक ज्ञान का भी आदान-प्रदान हो ताकि देश को लाभ हो ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : विज्ञान के परिणामों को लेखबद्ध करना और जानकारी का प्रसार करना इस प्रकार के सम्मेलनों का एक मुख्य उद्देश्य होता है और यहां तक माननीय सदस्य के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस से भारत को क्या लाभ हुआ है और इन सिफारिशों में भारत का कितना हिस्सा है ?

श्री हुमायून् कबिर : साइंटिफिक तरक्की में हमेशा भारत को और दूसरे मुल्कों का फायदा होता है।

डा० राममनोहर लोहिया : क्या राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन में उस के प्रतिनिधियों ने सूरज चूल्हे के बारे में भी दर्याफ्त करने की कोशिश की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हुमायून् कबिर : शायद आप का मतलब सन कुकर से है। यह चीज वहां के सब्जेक्ट्स में नहीं थी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या राष्ट्रमण्डलीय देशों सहित अन्य देशों को वैज्ञानिकों के प्रव्रजन की समस्या पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई थी और यदि हां, तो इस सम्मेलन ने क्या सिफारिश की है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : राष्ट्रमण्डलीय देशों में वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान के विषय ही मुख्य थे। बाह्य प्रव्रजन की बात तो अचानक ही आ गई थी। किन्तु जैसा कि मैं पहिले इस सभा को बता चुका हूं कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है यह अभी तक बड़ी समस्या नहीं बनी है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या यह पता लगाने के लिए कि अन्य देशों में प्रतिरक्षा अनुसंधान विभाग का सामान्य अनुसन्धान विभाग से कोई सम्बन्ध है या नहीं, इस सम्मेलन में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन अनुसन्धान विभाग एक विषय था ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह निश्चय करना प्रत्येक देश का आन्तरिक मामला है और प्रत्यक्षतः यह इस सम्मेलन में विचार विमर्श का एक विषय नहीं बन सकता था। सलाहकार इस सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और उन से जो पूरक प्रश्न निकलते हैं उन का भी सवाल जवाब हो तभी देश को कुछ फ़ायदा होता है। मैंने एक सवाल पूछा था। उस के बाद एक दूसरा पूछना चाहता था जिस का कि तात्पर्य यह होता है कि देश में वैज्ञानिक . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को जो सवाल पूछा ही नहीं गया उस का तात्पर्य बतलाने की जरूरत नहीं है। यहां हमने हाउस की मर्जी से यह फैसला किया है कि खास तौर से कोई कारण न हो तो आम तौर पर जिस माननीय सदस्य का सवाल करने वालों में पहले नम्बर पर नाम होता है उनको मैं दो दफे बुलाता हूं यानि दो सप्लीमेंटरी करने देता हूं और बाकी नीचे के दूसरे साहबान को एक एक दफे अपना सप्लीमेंटरीं करने के लिये बुलाता हूं। अभी भी जब हम इस तरह से चलते हैं तब ६, ७, ८ या १० सवालों से ज्यादा डिस्पोज औफ नहीं कर पाते हैं। हाउस ने यह फैसला किया हुआ है कि ज्यादा तेजी के साथ चला जाय और ज्यादा सवाल पूछे जा सकें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरी मजबूरी को अब समझ गये होंगें।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर दो ही तीन सवाल हों और उन पर लोग जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछें तो उससे देश को ज्यादा फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर भी गौर कर लिया जायगा लेकिन पहले हाउस इस पर जैसा मैंने बतलाया फैसला कर चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों में दाखिला

+

†*३३ { श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष राजधानी के विभिन्न स्कूलों में दाखिला चाहने वाले सभी विद्यार्थियों को दाखिला मिल गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो दाखिला नहीं पा सके ;

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली राज्य अभिभावक संघ ने सरकार को कोई सुझाव दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) संघ के सुझावों को यथासमय लागू किया गया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस वर्ष विद्यमान स्कूलों में कितने अधिक विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आरम्भिक शिक्षा की देखभाल स्थानीय निकाय करते हैं और शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा की देखभाल करता है । निगम ने ५९,००० बच्चों के दाखिले की व्यवस्था की है । निगम ने मुझे बताया है कि उनके पास अब भी २०,००० बच्चों के दाखिले के लिए व्यवस्था है । इसी प्रकार, दिल्ली प्रशासन ने इस वर्ष और १८,००० बच्चों के दाखिले की व्यवस्था की है । वस्तुतः १२,६०० बच्चों का अधिक दाखिला हुआ है । अतः माध्यमिक तथा आरम्भिक स्कूलों में भी कुछ स्थान हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री के पास यह जानकारी है कि अस्थायी देडेरों में कितने स्कूल चल रहे हैं और कितने स्कूल ऐसी इमारतों में चल रहे हैं जो बन रही हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दिल्ली के एक समाचारपत्र में छपा था कि एक श्रेणी के स्कूलों में — संभवतः माध्यमिक स्कूलों में लगभग एक लाख विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिला । क्या इस समाचार में कोई सचाई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समाचार सर्वथा निराधार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों से जितने विद्यार्थी इस वर्ष निकले हैं उन में से बहुत बड़ी संख्या को यहां स्थान न मिलने के कारण दिल्ली से बाहर पंजाब और उत्तर प्रदेश के कालिजों में स्थान लेना पड़ा है शरण लेनी पड़ी है? क्या इस बात के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्कूलों की बाबत है।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया :** स्कूलों में दाखिलों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्कूलों में अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है और अध्यापकों का अभाव है? यह सुनिश्चित करने के लिये कि स्कूलों में पर्याप्त अध्यापक हों, सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** संभव है कि कुछ विषयों के अध्यापकों की कमी हो, परन्तु साधारण तया अध्यापक-स्थिति पर्याप्त संतोषजनक है।

†**श्री वासुदेवन नायर :** मैं समझता हूं कि दिल्ली में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की जा रही है। अब तक लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि और क्या माननीय मंत्री को विदित है कि दाखिला लेते समय विद्यार्थियों को प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से पूर्व स्कूल इमारत निधि के लिए ३० रु० और ४० रु० देने पड़ते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं। जहां भी ऐसा होता है, वहां विभाग कड़ी कार्यवाही करता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** ऐसा हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

श्री राम सहाय पांडेय: हिन्दी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दो प्रकार के स्कूल हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों को ऐडमिशन नहीं मिला है वे हिन्दी माध्यम के हैं या अंग्रेज़ी माध्यम के हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जहां तक सरकारी स्कूलों का ताल्लुक़ है, सभी स्कूल हिन्दी माध्यम के हैं। कुछ प्राइवेट निजी स्कूल अवश्य हैं जहां अंग्रेज़ी माध्यम है लेकिन उसके लिये सरकार से चूंकि वह कोई किसी प्रकार का अनुदान नहीं लेते हैं इसलिए उनको इस बात की स्वतंत्रता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में तेल

+

†*३४. श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं, । तो भी, पूर्णिया ज़िले के उत्तर-पूर्व की ओर लगभग २० मील की दूरी पर एक अन्वेषणी कुंए के व्यधन करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या तेल खोजने के लिए वहां प्रयास किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : वहां एक प्रयोगात्मक कुंआ बनाने का प्रस्ताव है। उस प्रयोग के परिणाम विदित होने पर ही यह निश्चय किया जा सकेगा कि हम उसे बढ़ायें या नहीं । तब तक हम नहीं बता सकते कि वहां तेल है या नहीं है। संभव है कि हमें अन्य अनेक कुंओं का प्रयोग करना पड़े ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कार्य प्रर्याप्त समय पूर्व आरम्भ हो गया था इस कारण क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि इस कुंआ के प्रयोग संबंधी जानकारी सरकार को कब तक उपलब्ध होगी ?

†**श्री अलगेशन** : अब यह कुंआ खोदा जायेगा। रिग भेजा जा रहा है और इस कार्य के लिए भूमि प्राप्त हो गई है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस में कितना समय लगेगा ।

†**श्री भक्त दर्शन** : बिहार में वह खोज कब आरम्भ हुई थी और कब समाप्त होगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह प्रश्न बिहार में पूर्णिणा नगर के बारे में है। मैं नहीं कह सकता कि बिहार में यह काम कब आरम्भ हुआ था।

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इस काम को कौन अंडर टेक कर रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग यह कार्य कर रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्री महोदय के उत्तर से मैं समझता हूं कि सारी बात को बहुत कम महत्व दिया जाता है । क्या इन क्षेत्रों में छिद्रण कार्य आरम्भ किया जायेगा । और परिणाम शीघ्र निकाले जायेंगे अथवा यह बहुत ही सामान्य ढंग से होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अलगेशन : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य यह सब क्यों सोचते हैं। मैं यह कह चुका हूं कि हम शीघ्र ही यह कुंआ खोदेंगे। तेल परिमाज्यिक मात्रा में है या नहीं, इसका पता अन्य अनेक कुंओं के खोदे जाने से ही पता चलेगा। अभी यह नहीं कहा जा सकता। हम इस कार्य को बेमन से नहीं कर रहे हैं ?

श्री विभूति मिश्र : पूर्णिया के साथ साथ रक्सौल में तेल की खुदाई का काम शुरू हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि रक्सौल में तेल मिलने के कौन कौन से कारण मिले हैं कि वहां सरकार ने खुदाई का काम शुरू किया है

†श्री अलगेशन : मैं पृथक सूचना चाहता हूं।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस क्षेत्र में तेल की खोज करने का कोई गम्भीर प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विदेशी सहयोग लेने के बारे में किसी परिणाम पर पहुंची है और यदि हां, तो किस देश से ?

†श्री अलगेशन : अभी यह नहीं बताया जा सकता। आजकल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ये खोज कर रहा है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मशीनें, आदिकार्यस्थल पर भेज दी गई हैं ?

†श्री अलगेशन : रिग भेजा जा रहा है?

†श्री प्रिय गुप्त : भूतपूर्व तेल मंत्री, श्री के० दे० मालवीय ने सभा में आश्वासन दिया था कि पूर्णिया में तेल मिला है और तेल निकालने के लिए वहां कुछ किया जायेगा क्योंकि कटिहार का तेल क्षेत्र में कंकड़ आदि होने के कारण महंगा था । क्या माननीय मंत्री अब स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे ?

†श्री अलगेशन : मेरा ख्याल है कि मैं इसका स्पष्टीकरण कर चुका हूं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†*३५. {
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री २७ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना की प्रगति की देख रेख के लिये एक मंत्रणा समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार समाप्त कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) जनरल जे० के० भोंसलें के देहान्त के बाद राष्ट्रीय अनुशासन योजना का महा-निदेशक नियुक्त किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण)** : (क) और (ख) : जी नहीं । प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(ग) मैजर जनरल ए० एस० पठानिया को १–८–१९६३ से राष्ट्रीय अनुशासन योजना का महा निदेशक नियुक्त किया गया है । इस से पहले शिक्षा सचिव अस्थायी रूप से महा पदभार संभाले हुए थे जो उन के अपने काम के अतिरिक्त था ।

†**श्री नाथपाई** : यह सुप्रसिद्ध व्यक्ति कौन हैं जिन्हें महा निदेशक बनाया गया है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : मैजर-जनरल ए० एस० पठानिया ।

†**श्री नाथ पाई** : कौन पठानियां ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जनरल पठानिया :

†**श्री हरिविष्णु कामत** : पिछले कुछ वर्षों से जबसे राष्ट्रीय अनुशासन योजना लागू है, क्या कोई ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं कि योजना के अन्तर्गत कितने लड़कों व लड़कियों को प्रशिक्षिण दिया गया है और क्या सरकार ने तत्काल भविष्य के लिये कोई ठोस योजना या नील-मुद्र तैयार किया है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : अभी हमें उन लोगों को प्रशिक्षण देने का काम दिया गया है कि जो संस्थाओं के काम करेंगे । हमें १५,००० 'सेवायुक्त' अनुदेशकों को और यह काम अपनाने वाले लग-भग ६४००० नये अनुदेशकों को प्रशिक्षण देना है । हम दो केन्द्र खोल चुके हैं। एक और केन्द्र ाल में मेरठ में खोला गया और एक अन्य केन्द्र लगभग दो महीने में बंगलौर में खुलेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि यद्यपि राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनेक वर्षों से शायद पांच वर्षों से लागू, है परन्तु शिक्षा मंत्री काफी समय से सरिसका केन्द्र देखने नही गये और यदि हां, तो उनके वहां न जाने के क्या कारण हैं और उन्होंने इस योजना में कब से दिलचस्पी ली है ?

†**श्री शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उनकी जानकारी एक दम गलत है मैं इस केन्द्र के आरम्भ होने पर वहां गया था और वहां नियमित रूप से जाता रहा हूं। पिछली बार मैं उस समय गया था जब कि वहां जनरल भौंसले का स्वर्गवास हुआ था ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, चूंकि यह राष्ट्रीय अनुशासन योजना स्वर्गीय श्री जगन्नाथ राव भौंमले के द्वारा स्थापित की गई थी और उन के द्वारा ही संचालित होती थी, इस लिए क्या इस बात की व्यवस्था की गई है कि उन का देहान्त होने के बाद भी उन के काम में कोई ढील न होने पाए, बल्कि उस में और भी तेज़ी लाई जाये । इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कौन कदम उठाए गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : इसका इन्तज़ाम किया गया है और, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, मेजर-जनरल पठानिया इस के इन-चार्ज बनाए गए हैं और हम आशा करते हैं कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक देश में सारे स्कूलों में यह स्कीम लागू कर दी जायेगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी ने संसद् के पिछले अधिवेशन में यह घोषना की थी कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना की उपयोगिता को देखते हुए देश के हर एक स्कूल में इस को अनिवार्य किया जायगा, किन्तु अभी संसदीय सचिव महोदय के वक्तव्य से यह प्रतीत हुआ कि सिरस्का के अधीन केवल दो केन्द्र और खोले गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने बड़ देश में इस योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए क्या कोई और केन्द्र भी खोले जायेंग, यदि हां, तो कितने और कब से।

डा० का० ला० श्रीमाली : चार केन्द्र और खोलने की योजना है। दरअस्ल मेजर-जनरल भौंसले के देहान्त के पहले ये चार केन्द्र खोलने की योजना थी, लेकिन बीच में महीने, दो महीने के लिय कुछ ढिलाई पड़ गई। अब जनरल पठानिया ने इस का चार्ज लिया है। जितने भी केन्द्र आवश्यक होंगे, उतने खोले जायेंगे।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और ए० सी० सी० में समन्वय स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

डा० का० ला० श्रीमाली : इस मामले में भी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मश्वरा हुआ है और मैं आशा करता हूं कि कुछ न कुछ संतोषप्रद निर्णय हो जायेगा। इस बारे में करीब करीब यह फ़ैसला हो चुका है कि इन दोनों योजनाओं में आपस में कोई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्द्धा न हो, बल्कि दोनों मिल कर काम करें।

श्री नाथपाई : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कई बार कहा है कि माननीय सदस्य आम तौर पर हर एक सप्लीमेंटरी के साथ जो यह कहते हैं कि "क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे . . .", अगर वे माननीय सदस्य हम यह न कह कर ये सैकंड भी बचा लें और सीधा सवाल किया करें, तो अच्छा होगा।

श्री नाथपाई : क्या हम जान सकते हैं कि मेजर-जनरल पठानिया साहब की पृष्ठभूमि क्या है और इस काम के लिये उनका अनुभव क्या है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : पृष्ठभमि यह है कि एक तो वह मेजर-जनरल हैं और दूसरे, इस काम में आने से पहले एक वर्ष तक वह एन० सी० सी० के डायरेक्टर-जनरल रह चुके हैं। उनको शिक्षा का भी अनुभव रह चुका है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या हमें आश्वासन दिया जा सकता है कि यह जो महानिदेशक वह व्यक्ति नहीं हैं जो सेला में हमारी सेना के कमाण्डर थे ? क्या उन्हें योजना का कार्यभारी अधिकारी वहां उनके कार्य के कारण बनाया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं संसद् में इस प्रकार के आक्षेप करना पसन्द नहीं करता। **(अन्तर्बाधा)**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिविष्णु कामत :** यह आक्षेप नहीं है । यह तथ्यपूर्ण प्रश्न है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह वही सज्जन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को प्रश्न का प्रथम भाग क्या यह वही सज्जन हैं, निकाल देना चाहिए। सदस्यों को प्रश्नकाल में ऐसे आक्षेप नहीं करने चाहिएं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं केवल यह कह सकता हूं कि वह प्राधिकार के लिए पूर्णतया योग्य व्यक्ति हैं ।

†**श्री त्यागी :** यह बात टालना है । निश्चय ही यह वही महाशय हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मेरा अभिप्राय कोई आक्षेप करना नहीं था । यदि यह वही सज्जन हैं जो हमारी सेना के कमाण्डर थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें सामरिक सेना सेवा से क्यों बदला गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रश्न यह है कि क्या वह विशिष्ट स्थान पर हमारे सेना के कमाण्डर थे। इस परिस्थिति में निश्चय ही आक्षेप की अनुमति नहीं दी जायेगी और सदस्य महोदय को भी यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए ।

क्या यह जानकारी दी जा सकती है कि क्या यह वही मेजर-जनरल पठानिया हैं या कोई अन्य व्यक्ति हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वह रणभूमि में थे । मैं ठीक से नहीं कह सकता कि वह कहां थे । मैं केवल यह कह सकता हूं कि उनकी सेवा बड़ी ही सराहनीय रही है ।

श्री सरजू पाण्डे : मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लागू होने के बाद से मुख्य रूप से विद्यार्थियों में अनुशासन पैदा हुआ है या नहीं, विद्यार्थियों में जो अनुशासनहीनता बढ़ रही थी, वह घटी है या नहीं, क्या इस की कोई रिपोर्ट सरकार के पास आई है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : लक्ष्य तो इस का यही है कि अनुशासन हो और हम आशा करते हैं कि धीरे-धीरे उस के अच्छे परिणाम भी होंगे ।

श्री काशी राम गुप्त : अभी तक राइफ़ल ट्रेनिंग राष्ट्रीय अनुशासन योजना का अंग नहीं था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब उस को इस योजना का अंग बनाया जा रहा है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी राइफ़ल ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन इस मामले पर विचार किया जा सकता है ।

†**श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या स्कूलों में विद्यार्थियों को दिया जाता है ? यदि नहीं † क्या स्कूलों की योजना करने का सरकार का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

+

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेडा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम राज :
श्री बसुमतारी :
†*३६. श्री मोहन स्वरूप :
श्री कोल्ला वेंकैया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री उ० मु० त्रिवेदी :
श्री कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :
श्री पु० र० पटेल :
श्री दिगे :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी मुसलमानों के नये जत्थों ने आसाम में अवैध रूप से प्रवेश प्रारम्भ कर दिया था और स्थानीय भारतीय मुसलमानों से प्राप्त हुए समाचारों के परिणामस्वरूप इस वर्ष मई में २००० से अधिक ऐसे व्यक्ति पकड़े भी गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नई घुसपैठ के प्रारम्भ होने के समय से लेकर अब तक इस प्रकार कुल कितने व्यक्तियों के आसाम के विभिन्न जिलों में घुस आने का अनुमान है; और

(ग) इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किये गये हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) इस वर्ष मई में सारे आसाम में अवैध प्रवेश करने वाले ३,३६२ पाकिस्तानी मुसलमान पकड़े गये थे जिन में से अधिकतर ने पिछले कुछ वर्षों में और कुछ ने हाल ही के महीनों में अवैध प्रवेश किया था।

(ख) जुलाई, १९६२ से जून, १९६३ तक के बारह महीनों में आसाम के विभिन्न जिलों में अवैध प्रवश करने वाले २६,७४२ पाकिस्तानी मुसलमान पकड़े गये थे। ये लोग आसाम में कब घुसे इसकी तिथियों के बारे में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके विरुद्ध कैसी कार्यवाही की गई यह दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३८८/६३]**

(ग) सीमा पर गश्त को कड़ा करना तथा अवैध प्रवेश करने वालों का जल्दी से पता लगाने और गिरफ्तार करने के लिये पुलिस और गुप्तचर विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों का लगाया जाना।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों के निर्वासन को रोकने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या देश की सुरक्षा के हित में सरकार अवैध प्रवेश करने वाले इन पाकिस्तानियों को आसाम से किसी और राज्य में, जो सीमा से दूर हो, भेज देने का विचार रखती है?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का पिछला भाग कार्य के लिए सुझाव है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : प्रश्न के पहले भाग को मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाया। शायद माननीय सदस्य ने पूछा था कि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या हाल ही में ऐसी हिदायतें जारी की गई हैं कि अवैध प्रवेश करने वाले उन लोगों को यहां से निकाला न जाए बल्कि उन्हें यहीं रहने दिया जाये। मैं तो यही समझ सका हूं। यदि ऐसी कोई हिदायत है तो उन्होंने प्रश्न के पिछले भाग में सुझाव दिया है और वह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें किसी दूसरे राज्य में भेजने का विचार है जो कि सीमा पर न हो।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि अवैध प्रवेश करने वालों को भारत से बाहर न भेजा जाए। तथापि, कुछ समय पूर्व यह सुझाव दिया गया था कि जहां तक उन्हें बलात् निकालने का सम्बन्ध है ऐसा न किया जाए।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश तथा नियत काल से अधिक समय तक ठहरे रहने की यह हालत है कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर आसाम में आये हैं वे आसाम के पारपत्र विभाग से पासपोर्ट लेने की भी चिन्ता नहीं करते और इसका नतीजा यह है कि आसाम सरकार के पारपत्र विभाग में ऐसा पासपोर्टों का ढेर लग रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने पूरा ध्यान दिया है परन्तु मुझे खेद है कि मैं प्रश्न को पूरी तरह से समझ नहीं सका हूं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश तथा नियतकाल से अधिक समय तक ठहरे रहने की यह हालत है कि ....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उनका प्रश्न यह है कि पाकिस्तानियों के अवैध रूप से नियत काल से अधिक समय तक ठहरे रहने को यहां तक सहन किया गया है कि वे अपने पासपोर्ट लेने की भी परवाह नहीं करते और आसम के पासपोर्ट कार्यालय में उन पासपोर्टों का भारी ढेर लगा पड़ा है?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : जी हां।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पासपोर्टों के देर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन यह ठीक है कि उनमें से कुछ नियत काल से बहुत समय बाद तक ठहरे हैं। फिर भी कार्यवाही तो प्रक्रिया और विधि के अनुसार ही की जा सकती थी और हम विदेशीय अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं। उस अधिनियम के अधीन कुछएक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। उपयुक्त जांच करने और उसके बाद न्यायालयों में मामले भेजने आदि में विलम्ब अवश्य होता है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि यह इनफिल्ट्रेशन आज तक भी जारी है और स्टेट के एक खास मिनिस्टर की वजह से सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ स्टेट गवर्नमैंट कोओप्रेट नहीं कर सकी है—

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल ही गलत है और उसका कोई आधार नहीं है। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है, कुछ आते जरूर हैं लेकिन थोड़े आते हैं। मगर उनके खिलाफ कायदे के मुताबिक कार्रवाई की जाती है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों तथा समाचारपत्रों में उद्धृत आंकड़ों में बड़ा अन्तर है। सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं वे हजारों में हैं जबकि समाचारपत्रों द्वारा दिये गये आंकड़े लाखों में हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह असमानता क्यों है और हमारी सरकार आसाम में अवैध प्रवेश करने वालों की संख्या का किस प्रकार पता करने का प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य ने शायद दोनों आंकड़ों को मिला दिया है। सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये आंकड़े केवल एक वर्ष के लिये हैं, अर्थात् १ जुलाई, १९६२ से ३० जून, १९६३ तक। समाचारपत्रों में जो आंकड़े आये हैं वे पिछले कुछ वर्षों के लिये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं मैंने स्वयं सदन में आंकड़े बतलाये थे कि वे लगभग २ $^{1}/_{2}$ में से ३ लाख तक होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या यह सच है कि देश से निकाले गये ऐसे बहुत से व्यक्ति निर्वासन के बाद आसाम में या देश के अन्य भागों में पुनः प्रवेश करने में सफल हो गये हैं ?

श्री मोहन स्वरूप : हम जो पीछे बैठे हैं, इनको भी मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो जिस मैम्बर साहब को बुलाया है, बहुत पीछे से बुलाया है।

श्री मोहन स्वरूप : इस तरफ भी थोड़ी तवज्जह दी जाए, यह मेरा निवेदन है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जी हां, उनमें से कुछ वापिस आ गये हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी है और उनके खिलाफ भी जरूरी कार्यवाही की जाती है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** यह स्पष्ट है कि अवैध प्रवेश का संकट आंकड़े जो बताते हैं उससे बड़ा है परन्तु स्वीकृत आंकड़ों के अनुसार भी हम देखते हैं कि जिस वर्ष के लिये आंकड़े दिए गए हैं उसमें कम से कम ९६२४ लोगों को यहां से चले जाने के नोटिस दिये गये थे परन्तु अभी तक इन लोगों के भारतीय क्षेत्र से चले जाने की पुष्टि नहीं की गई है। क्या कदम उठाये गये हैं और क्या कारण है कि उन्हें इस देश से भेजा नहीं गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** माननीय सदस्य शायद जानते होंगे कि हमारी सीमा ६०० मील से भी अधिक लम्बी है और सदा यह नहीं होता कि वे सारे के सारे निर्धारित रास्तों से ही जाते हैं। कई सड़कें और कई स्थान हैं जहां से वे भारत में दाखिल होते हैं। उनमें से अधिकतर तो चले गए हैं लेकिन चौकियों के लिये उनके नाम या उनकी संख्या बताना संभव नहीं है।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** आज के समाचारपत्रों में असम के वित्त मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद का एक वक्तव्य निकला है कि केन्द्रीय सरकार ने असम की सीमा पर पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अस्सी लाख रुपया असम सरकार को देना स्वीकार किया है। जब केन्द्रीय सरकार इतना पैसा असम सरकार को देना चाहती है तो क्यों नहीं सीमा के ऊपर अवैध प्रवेश को रोकने का जो काम है, वह अपने हाथ में ले लेती ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, भारत सरकार के लिए इस काम को लेना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश की सरकार इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है, कर रही है . . . .।

श्री प्रिय गुप्त : क्यों मुनासिब नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहस नहीं हो सकती है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह इसलिए नामुनासिब है कि प्रदेश की सरकार सारे सूबे का काम . . . .।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो क्वेश्चन को डिसएलाउ किया है लेकिन आप जवाब दे रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उनको रुपये पैसे की कठिनाई है। वे ज्यादा चैक पोस्ट्स बार्डर पर खोलना चाहते हैं लेकिन धन की कठिनाई की वजह से उनको रुपया देने की भारत सरकार ने मन्ज़री दी है।

†**श्री नाथ पाई :** क्या सरकार ने इस बात की संभावना पर विचार किया है कि कुछ शरणार्थी यदि पाकिस्तान में जीवन निर्वाह की विषमताओं से बचने के लिये आ रहे हों तो हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी सरकार के कहने पर खतरनाक पंचमांगियों के रूप में आ रहे हों क्योंकि इस देश के विरुद्ध उसकी शत्रुता बढ़ती जा रही है? उनके सम्बन्ध में यह देखने के लिये क्या किया जा रहा है कि वे इस देश में आश्रय न लें?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमारे इलाके में जो भी व्यक्ति आता है हम उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। मैं ब्योरा देना नहीं चाहता। हमारे इलाके में जो लोग आये उनमें से कई एक से पूछताछ की गई थी, प्रश्न पूछे गये थे तथा उनकी गतिविधियों, उनके उद्देश्य तथा ऐसी सभी बातों के बारे में कई तरह से जांच पड़ताल की गई थी। हम इस पर निगाह रखे हुये हैं परन्तु, जैसा कि नाथपाई जी ने कहा, अधिकतर यह एक आर्थिक समस्या है। ऐसे बहुत से बेरोजगार लोग हैं जो पूर्वी पाकिस्तान से आसाम आना चाहते ह। वहां उन्हें रोजगार मिल जाता है, विशेषत: आसाम में रहने वाले लोगों के खेतों में मजूरी के आधार पर।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** चीनी भी आ रहे हैं।

श्री मोहन स्वरुप : अखबारों में यह खबर छपी है कि त्रिपुरा की छः लाख की आबादी में से ५२,००० पाकिस्तानी हैं, यह कहां तक सही है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने पहले कहा था कि करीब पचास हजार वहां पर इनफिलटेंट्स यानी बाहर के पाकिस्तानी आए हुए हैं। यह मैंने कहा था कि उस पर कार्रवाई की गई थी और और कितने आदमी उनमें से चले गए। अब वह पचास हजार का आंकड़ा सही नहीं है।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा :** अवैध प्रवेश करते हुए जो दो हजार पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, वे पाकिस्तान भेज दिये गये हैं या हिन्दुस्तान की जेलों में हैं?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ज्यादा तर तो चले जाते हैं। जो कुछ रह जाते हैं, वह इसमें लिखा हुआ है। कुछ जेलों में भी हैं।

†**श्री जसवन्त मेहता :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने समाचार पत्रों में आसाम के उस मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की है जो पाकिस्तानियों को को भारत में दाखिल होने का प्रोत्साहन देने के लिये उत्तरदायी हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** यह यहुत बुरी बात है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसी चीज अनपूरक प्रश्न में नहीं आनी चाहिये।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहूंगा कि अवैध रूप से भारत वर्ष में पाकिस्तानी घुस आते हैं या और कोई लोग घुस आते हैं, क्या भारत वाले भी कहीं जाकर घुसते हैं? इस विषय में भारत सरकार क्या कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशी राम गुप्त : यह समस्या दो देशों के बीच की समस्या है और केवल असम सरकार इसको रोकने में असमर्थ है और केन्द्रीय सरकार से इसके लिए रुपया चाहती है। तो क्यों नहीं भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेती ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे चुके हैं।

†**श्री स्वैल :** क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश केवल शारीरिक ही नहीं है बल्कि पाकिस्तानी तत्वों तथा आसाम के मिजो नैशनल फ्रंट जैसे तत्वों के बीच तालमेल है जो स्वतंत्र मिजों राज्य के लिये आन्दोलन करता आ रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं निश्चय से नहीं बता सकता कि उन मिजोओं में किस प्रकार का विचार-विमर्श हुआ है जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है और जो भारत से अलग एक मिजोराम चाहते हैं। परन्तु हमारे पास ऐसी कुछ सूचनायें आई हैं कि ये लोग पाकिस्तान से कुछ सहायता प्राप्त करने की कोशिश करते आ रहे हैं। उस पर हम निगाह रखे हुये हैं और मैं नहीं सोचता कि हम उन्हें ऐसा करने देंगे।

†**श्री प्रिय गुप्त :** स्पष्टीकरण के एक प्रश्न पर।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह उनका प्रश्न नहीं था।

†**श्री स्वैल :** अभी अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि मिजोओं की संख्या बहुत थोड़ी है। वह इस कथन का इस तथ्य से कैसे मुकाबला करते हैं कि इस मिजो नैशनल फ्रंट ने पिछले चुनाव में मिजो पहाड़ियों में भारी विजय पाई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसकी मैं आज्ञा नहीं दूंगा ? श्री प्रिय गुप्त क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

†**श्री प्रिय गुप्त :** यह सीमा क्योंकि एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय है इसलिये मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि सीमा के बचाव और सुरक्षा का भार केन्द्रीय सरकार की बजाय आसाम सरकार पर कैसे आ सकता है, विशेषतः जबकि आसाम पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उन्हें स्पष्टीकरण मांगते हुए सुना है। मैं उन से यह सुनने की प्रार्थना करता हूं कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री हेम बरूआ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** मेरा निवेदन है...

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। वह कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

†**श्री हेम बरुआ :** यदि मुझे प्रकटीकरण करने का दोष न दिया जाए तो क्या मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री का ध्यान विरोधी नेताओं के उस सम्मेलन में प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर दिला सकता हूं जो कि उन्होंने ११ अगस्त को आहूत किया था और जिसमें उन्होंने कहा था, "मैंने उन्हें बाहर भेजने का कायदा बन्द कर दिया है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह कहां तक सच है कि सरकार ने अवैध, रूप से प्रवेश करने वाले उन पाकिस्तानियों को बाहर न निकालने का निर्णय किया है जो सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा के लिये खतरा बन गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह उद्धरण कहां से मिला । मैं यहां बैठे बैठे किसी को बांह पकड़ कर या और किसी तरीके से नहीं रोक लेता लेकिन हमारी दी हुई हिदायतें वहां थीं क्योंकि जैसा कि सदन को मालूम है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और दूसरी तरफ की प्रतिक्रियाओं से इसका गहरा ताल्लुक है। इस वक्त अकेले त्रिपुरा में हमें २५,००० लोगों का इन्तजाम करना है—ये हिन्दू रिफ्यूजी हैं जो, मेरा अनुमान है, प्रतिशोध के रूप में पाकिस्तान से आये हैं। हमने जो सुझाव दिया है वह यह है कि पहले तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कौन अवैध आप्रवासी हैं और फिर जांच करने के बाद उन्हें औपचारिक नोटिस देना चाहिये । मेरा विश्वास है कि ऐसा करने का नतीजा यह हुआ है कि, यद्यपि मैं ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता, कई हजार लोग सिर्फ नोटिस मिलने पर ही चले गये हैं, कुछ यह सुन कर चले गये हैं कि उन्हें नोटिस आयेगा। इसलिये, मेरे दोस्त ने जो कहा है, हाल ही के कुछ मामलों को छोड़कर उन्हें बाहर निकाल फैंकने काज्यादा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ है और हम निकाल बाहर करने के इस तरीके से परेहज करना चाहते थे क्योंकि इससे दोनों तरफ कायदे-कानून के मसले उठ खड़े होते हैं। लेकिन बाकी के सब तरीके जारी हैं और बहुत से लोग इन नोटिसों के मिलने पर ही चले गये हैं।

†**श्री बसुमतारी** : पाकिस्तान अपने यहां से लोगों को निकाल कर आसाम में ठूंसता आ रहा है । गृह-कार्य मंत्री जी ने अभी अभी जो उत्तर दिया है कि वे वहां की विषय आर्थिक स्थिति के कारण यहां आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें यहीं खपाया जाने वाला है। अतः, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आसाम की हालत भी काश्मीर जैसी होने वाली है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान उस पर अपना दावा कर देगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस मामले पर तर्क कर रहे हैं।

†**श्री बसुमतारी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार उन्हें आसाम में खपा लेना चाहती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्हें खपा लेने का कोई सवाल नहीं है । पहला सवाल तो था आगे के लिये अवैध प्रवेश को रोकने का । वह काफी हद तक कर दिया गया है । इधर-उधर इक्के-दुक्के आदमियों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसी कोई चीज नहीं हुई है । दूसरा सवाल था कि जो लोग आ चुके हैं उनके बारे में कुछ किया जाये । ऐसे भी लोग थे जो पिछले एक या दो सालों में आये थे और ऐसे भी जो पिछले १४ या १५ सालों में आये थे । पहले तो कोई चौकियां नहीं थी और आजादी से पहले भी बहुत से लोग मेमनसिंह वगैरह जिलों से आसाम की तरफ आये थे । वह एक पुरानी कहानी है । आजादी के बाद कुछ हद तक यह चीज जारी रही और दो, तीन या चार सालों तक कोई रोक-टोक नहीं थी। जब उन्हें रोक दिया गया, पूरी तरह से तो नहीं क्योंकि सीमा बहुत लम्बी थी, बहुत, हद तक उनका आना बन्द हो गया था। इसलिये कोशिश हमारी यह है कि पहले तो उन्हें आने से रोका जाय और शुरू शुरू में आने वालों के इलावा जो हाल ही के दो सालों में आये हैं उनके बारे में कार्यवाही की जाये, उन्हें नोटिस दिया जायें । अब एक और सवाल पैदा हो गया है क्योंकि, अगर माननीय सदस्य पाकिस्तानी अखबार देखें, उनमें बहुत अश्लील और जहरीला आन्दोलन चल रहा है कि हम भारत

†मूल अंग्रेजी में

के मुस्लिम राष्ट्रजनों से ऐसा सलूक कर रहे हैं। इसलिये सवाल जांच करने के किसी ऐसे तरीके के अपनाये जाने का है जिससे इस बात का यकीन हो जाए कि जिस आदमी पर गैर-कानूनी तौर पर यहां आने का अन्दाजा है वह पाकिस्तान से ही आया है । हम इसे सिर्फ किसी पुलिस एजेंसी के हाथ में नहीं छोड़ सकते जो कि शायद कुछेक मामलों में ठीक से फैसला न कर सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : श्रीमान्, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने इस तरफ भी देखा था। हो सकता है मुझ से गलती हो गई हो लेकिन मुझे अफसोस है। इस लम्बे बयान के बाद मैं नहीं समझता कि कोई अनुपूरक प्रश्न जरूरी है ।

अंधों के लिये आवश्यक सहायक उपकरण

+

†*३७. **श्री रा० गि० दुबे** :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समुद्र पार के अन्धों के लिये अमरीकी प्रतिष्ठान[1] के सह-निदेशक, श्री इरिक रोल्टर, के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि विकासोन्मुख देशों में अंधों के लिये आवश्यक सहायक उपकरण भी प्राप्य नहीं हैं ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने उस पर विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी हां।

श्री रा० गि० दुबे : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है और क्या ऐसे उपकरणों का निर्माण इस देश में किया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्)** : अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण ने हमें यह पता लगाने के लिये कि हम इस देश में क्या बना सकते हैं तीन महीनों के लिये एक विशेषज्ञ की सेवायें उधार दीं। फिर उन्होंने हल्की प्रकार की इंजीनियरिंग में वयस्क अन्धों को प्रशिक्षण देने के लिए एक इंजीनियर दिया है । हमने कुछ सीमा तक ब्रैलें लेखन फ्रेम, अंकगणित फ्रेम आदि का निर्माण भी शुरु किया है परन्तु निश्चय ही यह पर्याप्त नहीं है । देहरादून के वयस्क अन्धप्रशिक्षण केन्द्र में पर्याप्त मात्राओं में निर्माण करने के लिये सभी उपाय किये जाते हैं।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्धे व्यक्तियों की तथा उन्हें फिर से बसाने की दृष्टि से देश की संस्थाओं की एक प्रकार से जनगणना के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]American Foundarion for the Overseas Blind.

†**श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्** : जनगणना में ही उन्हें अलग से गिना जाता है लेकिन अब मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु हम राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवक अभिकरणों द्वारा अधिक से अधिक अन्धे बच्चों को विशेष स्कूलों तथा साधारण स्कूलों में भी दर्ज कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमने अन्धे बालकों के स्कूलों के लिये पर्याप्त संख्या में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा अन्धे हिन्दुस्तान में हैं। इस कारण गरीबी के अलावा चिलकती धूप में जूतों का अभाव है। क्या भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ इस पर विचार किया है ?

†**श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्** जहां तक मैं प्रश्न को समझ सकी हूं मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। कुआला लम्पूर में दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये एक सम्मेलन हुआ था जहां विदेशी विशेषज्ञ भी आये हुये थे। मने भी अपने सचिव तथा अन्य लोगों को भेजा और हम अन्धों को मिलने वाली शैक्षणिक तथा पुनर्वास संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिये अन्तराष्ट्रीय अभिकरणों की भी सहायता ले रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। चिलकती धूप में जूतों के अभाव से आदमी ज्यादा अन्धा होता है।

†**श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्** : मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है।

डा० राम मनोहर लोहिया : आज सुन लें मंत्री महोदय '

†**श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्** : अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना है।

श्री विश्राम प्रसाद : हमारे देश में अन्धों की संख्या कितनी है तथा उनकी शिक्षा और उनके रहने के लिये सरकार ने कितनी जगहों में इंस्टिट्यूट्स खोले हैं, और उनको सरकार की ओर से कितनी मदद दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो दूसरे विषय के सम्बन्ध में था।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : अन्धों के लिये आवश्यक सहायक उपकरणों के सभरण के अतिरिक्त क्या मैं जान सकती हूं कि क्या बच्चों में प्रारंभिक अवस्थाओं में ही अन्धेपन की रोकथाम के लिये कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन**: अवश्य, प्रसूति तथा शिशु कल्याण सेवा के प्रसार में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे कि शिशुओं का अन्धापन बहुत कम हो गया है और वयस्क अन्धता की रोकथाम के लिये कुकरे नियंत्रण योजनाओं जैसी योजनायें चल रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमित आई० ए० एस० परीक्षा

+

†*३८. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री भक्त दर्शन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मणियंगाडन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमित आई० ए० एस० परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख). योजना अभी विचाराधीन है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : यह प्रस्ताव क्योंकि बहुत लम्बी अवधि से सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री कोई समय-सीमा निर्धारित करने के लिये तैयार हैं जब तक कि वे किसी अन्तिम निर्णय कतक पहुंच जायेंगे?

†**श्री हजरनवीस :** मेरी बड़ी इच्छा है कि हम इसे कर पाते परन्तु यह संभव नहीं हो सका है क्योंकि कई कठिनाइयां मारे सामने आ गई हैं और उन्हें हल करने के लिये राज्य सरकारों तथा अन्य मंत्रालयों से परामर्श करना होगा।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री ने इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने और कोई अन्तिम निर्णय करने के लिये गत जून में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन बुलाया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** जी हां, इस योजना के बारे में मैंने मुख्य मंत्रियों से बातचीत जरूर की थी....

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** मुख्य सचिव।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** जी हां, परन्तु मैंने मुख्य मंत्रियों से भी सलाह की है और उनका विचार था कि पहले मुख्य सचिवों से बात करनी चाहिये। हमने मुख्य सचिवों का सम्मेलन किया था लेकिन मुख्य सचिवों में एक-दूसरे राज्य के प्रति और जो योजना हमने रखी थी उस पर भी काफी मतभेद था। इन परिस्थितियों में लगता है कि इस योजना को तेजी से आगे ले जाना संभव न हो सकेगा ; इसमें काफी समय लग सकता है। हम प्रयत्न करेंगे कि उनसे और आगे बातचीत की जाए तथा उनके विचार बदले जायें लेकिन मतभेद इतने बड़े हैं कि इसमें कुछ समय लग सकता है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय ही लग जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : माननीय राज्य मंत्री महोदय ने पहले के पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए बतलाया है कि इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय करने में कुछ कठिनाइयां आ गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, और उनको दूर करने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अगर कठिनाइयों के ब्योरे में जाऊं तो वे बहुत सी हैं। उन को विस्तार से बतलाने में बड़ा वक्त लगेगा। कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल ही खिलाफ हैं, कोई कारण दिये बगैर। जैसे कि माननीय सदस्य का अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। वह पहला है।

एक माननीय सदस्य : आपका भी है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरा भी है, इसलिये पहले अपनी बात कहता हूं। वह तो बिल्कुल एक मौलिक तरीके पर उसके विरुद्ध है। इसी तरह से मैसूर भी है, उड़ीसा भी है, असम भी है। साथ ही कुछ और प्रदेश हैं जो कहते हैं कि इस में क्लास ३ के लोगों को नहीं लेना चाहिये। दूसरे कहते हैं कि क्लास १ सर्विस को अलग रखना चाहिये। इन ब्योरों में जाकर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** २७ फरवरी, १९६३ को, जबकि उन्होंने मूल प्रश्न का उत्तर दिया था, उन्होंने कहा था कि संघ के तीन राज्यों ने—उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मैसूर–इस योजना पर अपनी स्वीकृति नहीं दी। अब मैं समझता हूं कि इस सूची में उन्होंने कुछ और राज्य भी जोड़ दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये अन्य राज्य इस योजना को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं अथवा इन राज्यों को केवल ब्योरों के बारे में कोई मतभेद है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह ठीक है कि कुछेक अन्य राज्यों ने, जिनके मुख्य सचिव यहां आये थे और चर्चा की थी, इस योजना का मूल रूप से विरोध नहीं किया। लेकिन फिर भी अत्यावश्यक मामलों पर उनमें मतभेद हैं, इसलिये मैंने कहा था कि मारे रास्ते में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं और उनका हल हमें और बातचीत आदि करके ही करना होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, इस "सीमित आई० ए० एस० परीक्षा" का ठीक ठीक तात्पर्य क्या है ? क्या इसका यह मतलब है कि जो लोग इस "सीमित आई० ए० एस० परीक्षा" में पास होंगे उन्हें नियमित आई० ए० एस० परीक्षा के अभ्यर्थियों की तुलना में सीमित उत्तरदायित्व तथा सीमित काम सौंपे जायेंगे, और यदि हां, तो इससे प्रशासन के स्तर में, जो पहले ही गिर रहा है, और गिरावट नहीं आ जायेगी?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जी नहीं, उनका वही उत्तरदायित्व होगा क्योंकि उनका संबंध आई० ए० एस० पदाली से होगा और यदि वे आई० ए० एस० पदाली से सम्बन्धित हैं और वे इस सेवा में आते हैं तो उन्हें वही उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा जो अन्य आई० ए० एस० अभ्यर्थियों को निभाना पड़ता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** तो फिर इसे "सीमित आई० ए० एस० परीक्षा" क्यों कहा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** परीक्षा कुछ अलग तरह की है परन्तु मूलतः यह उसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** कुछ भी समझ में नहीं आता ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह सच नहीं है कि वे लोग जो पहले आई० ए० एस० में बैठे थे और सफल हो गये थे उन सबको नहीं लिया गया है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खपाया नहीं जा सका है ? यदि ऐसा है तो इस नई योजना की क्या जरूरत पड़ गई है और सरकार उन्हीं लोगों को वापिस बुलाने की क्यों नहीं सोचती जो सफल हो गये थे परन्तु सेवा में नहीं लिये गये थे ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार के लिये कितने आई० ए० एस० अधिकारियों की कमी है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** श्रीमान्, यदि आप आज्ञा दें तो मैं संक्षेप में बता दूं कि योजना क्या है और उसके पीछे मूल विचार क्या है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न का मुख्य प्रयोजन यह है कि ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें सफल घोषित किया जा चुका है लेकिन उन्हें सेवा में लिया नहीं गया है और कि पहले उन्हें बुलाया जाना चाहिये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस बारे में मैं पहले भाग का उत्तर देना चाहता था परन्तु मैं नहीं दूंगा । मैं योजना का बुनियादी विचार बताना चाहता था । प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, हम सूची में नीचे तक नहीं जा सकते । उदाहरणार्थ, यदि १६० लोगों ने पास किया है और चाहियें में ५० तो हम पहले ५० व्यक्ति ले लेंगे । यदि २० या ३० और चाहियें तो हम ८० वें तक नहीं जायेंगे । हम नई परीक्षा करेंगे और जो सूची में पहले के स्थान लेंगे उन्हें ले लिया जाएगा । इसलिये में सर्वोत्तम लोगों को लेना है । परीक्षा में जो बैठते हैं हम उन सबको नहीं ले सकते ।

जहां तक बुनियादी योजना का संबंध है, हमारा विचार था कि इससे श्रेणी २ और श्रेणी ३ के होनहार युवा अधिकारियों को आई० ए० एस० केन्द्रीय सेवा में आने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा जिसके लिये भर्ती इस समय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होती है । दूसरी बात यह है कि इससे पार्श्विक गतिशीलता[1] थोड़ी बहुत सरल होगी जिस से उच्चतर सेवा में बहुमूल्य तथा तत्व आएगा और इससे विघ्नों में भी कमी आ सकती है, चाहे वह कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, जो एक विभाग की सेवाओं को अन्य विभागों की सेवाओं से अलग करते हैं । यह "सीमित" इस अर्थ में है कि परीक्षा में लोग सीमित संख्या में ही बैठें ।

†**श्री नाथ पाई :** आई० ए० एस० अफसरों की वर्तमान कमी क्या है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं ठीक संख्या नहीं बता सकता; परन्तु यह सैंकड़ों में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lateral mobility.

दिल्ली का राजनीतिक ढांचा

+

†*३९. श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के राजनीतिक ढांचे के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार को विभिन्न राजनैतिक दलों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : राजनैतिक दलों से हमें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है परन्तु हमें निगम की कुछ सिफारिशें अवश्य मिली थीं । सच तो यह है कि दिल्ली निगम ने एक समिति बनाई थी जिस में विभिन्न राजनैतिक दलों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था । उन्होंने एक प्रतिवेदन भेजा है और उस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर हमने विचार किया है ।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि जब यहां यूनियन टैरीटरीज़ बिल डिसकशन के लिए आया था तो शासन ने यह कहा था कि शीघ्रातिशीघ्र एक नया सैट अप दिल्ली के वास्ते देंगे ? इसको आपने इतने समय से अंडर कंसीडरेशन रखा हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने समय में आप दिल्ली को यह नया पोलीटिकल सैट अप देने वाले हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कंसीडरेशन के मानी यह नहीं हैं कि हम चुपचाप बैठे हैं । हम अपनी कार्रवाई करते जा रहे हैं । जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तो यही कहेंगे कि विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंडिया आफिस लायब्रेरी

†*४०. श्री विभूति मिश्र :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम राज :
श्री जैना :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मोहन स्वरूप :
डा० रानेन सेन :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री बड़े :
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडिया आफिस लाइब्रेरी के विषय में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** तीन सम्बन्धित सरकारों के बीच अग्रेतर चर्चायें तथा पत्र-व्यवहार हुआ है परन्तु अभी तक कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

कोयले की ढुलाई[1]

†*४१. श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की अधिकाधिक ढुलाई के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) १ फरवरी, १९६३ से पूरी रेक[2] में बहुत सा इकट्ठा कोयला भेजने की प्रणाली जारी की गई है । इस प्रकार पश्चिम बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से आने वाले कोयले का ७८% ब्लाक रेकों के रूप में होता है । १५०० अथवा अधिक टनों का मासिक अभ्यंश लेने वाले उपभोक्ताओं पर यह पद्धति लागू की गई

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Movements.

[2]Rakes.

है। थोड़े अभ्यंश वाले उपभोक्ताओं के लिये उपयुक्त भंडारों[1] से संभरण करने का विचार है। कुछ राज्यों में थोड़े से भंडार पहले ही से कार्य कर रहे हैं। अवशिष्ट उपभोक्ताओं को पूरी रेकों से कोयला दिया जाय अथवा उपयुक्त रूप से स्थित कोयला भंडारों से इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

ईरान में तेल की खोज

श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री सोलंकी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
†*४२. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री कोल्ला विकय्या :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सिद्धनंजप्पा :
डा० रानेन सेन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान की सरकार से वहां तेल की खोज करने के विषय में आज्ञा मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ईरान की सरकार ने इस प्रयोजन के लिये एक तट दूर प्रदेश के विषय में सुझाव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) ईरान में कच्चे तेल की खोज में भाग लेने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एकत्रित की गई जानकारी से यह पता लगा है कि नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी ने उन दलों से प्रार्थनापत्र मांगे थे जो कि रियायत प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। यह रियायतें फारस की खाड़ी में एक तटदूर प्रदेश में ४०,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सम्बन्ध में दी जानी थी। अभी तक कोई भी प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Dumps.

कृत्रिम वर्षा

†*४३. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने, जो गत छः या सात वर्षों से कृत्रिम वर्षा बरसाने के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य में कुछ प्रगति की है ;

(ख) क्या प्रयोगशाला के बाहर कोई प्रयोग किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां; आगरा तथा जयपुर में ।

(ग) आगरा तथा जयपुर में किये गये प्रारंम्भिक परीक्षणों के कुल ३६ यूनिटों में से १६ सफल रहे, १२ असफल तथा ५ का कोई निष्कर्ष नहीं निकला ।

बुनियादी शिक्षा का सर्वेक्षण

†*४४. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी शिक्षा योजना की सफलता अथवा असफलता की सीमा का अखिल भारतीय आधार पर कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ग) कितने राज्यों ने यह प्रयोग अंशतः अथवा पूर्णतः छोड़ दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १३८६/६३]** ।

(ग) किसी ने भी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आपात शक्तियां

†*४५ **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो०बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री जसवन्त मुहता :
श्री वारियर :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वह आपात शक्तियों का कम से कम प्रयोग करें ।

(ख) यदि हां, तो क्या हिदायतें जारी की गई हैं ; और

(ग) क्या गत चार मासों में की गई गिरफ्तारियों और रिहाईयों का आज तक का एक विवरण (राज्य-वार) सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). गृह-कार्य मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से एक पत्र सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा था जिसमें उनसे यह प्रार्थना की थी कि वे भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के उपबन्धों को अत्यन्त सावधानी, संयम तथा सतर्कता के साथ कार्यान्वित करें ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर यथासम्भव शीघ्र रखा जायेगा जिसमें ३१ जुलाई, १९५३ तक की अपेक्षित जानकारी दी हुई होगी ।

त्रिपुरा में बवंडर

†*४६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गो० महन्ती :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में ३० मई, १९६३ को कोई बवंडर आया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस बवंडर से कितनी क्षति हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) त्रिपुरा के तीन सब-डिवीज़नों अर्थात् सबरूम, अमरपुर तथा बेलोनिया में २८ मई, १६६३ को रात्रि को एक बवंडर आया था ।

(ख) सात व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवाई तथा अनुमान है कि ११ लाख ६० हज़ार रुपये की सरकारी सम्पत्ति तथा ३४ लाख ७४ हज़ार रुपये की गैर-सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंची ।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

*४७. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनकी छात्रवृत्तियां समय पर नहीं दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को, छात्रवृत्तियां देने की योजना का १६५६–६० से विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। छात्रवृत्तियों की राशि ठीक समय पर न मिलने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इसलिये राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों से कहा गया है कि वे इस बात का पूरा ध्यान रक्खें कि छात्रवृत्तियों की अदायगी समय पर होती है। उनको यह भी सुझाव दिया गया है कि वे पात्र विद्यार्थियों को तदर्थ पेशगी धन देनेहेतु, उसे निकालने और बांटने के लिए कोई संतोषजनक तरीका अपनाएं ।

बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय

*४८. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १६६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साम्प्रदायिक नामों को हटाने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) निर्णय करने में इतनी देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विषय अभी भी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल के कुएं

†*४९. श्री हेडा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया ने आसाम में कई तेल के कुएं खोदने की बड़ी योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; कितने कुएं खोदे जायेंगे और तेल उत्पादन का लक्ष्य क्या है; और

(ग) इस योजना में कुल कितनी पूंजी लगेगी ?

खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). आयल इंडिया लिमिटेड का कुएं खोदने का कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

१९६३	३० कुएं
१९६४	२९ कुएं
१९६५	२८ कुएं

इस समय आयल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

१९६३	८ लाख टन
१९६४	२५ लाख टन
१९६५	३० लाख टन

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान लगभग १४ करोड़ १५ लाख रुपये की कुल पूंजी का विनियोजन होने का अनुमान है ।

मैट्रिकुलेट विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक पाठ्यक्रम

*५०. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिकुलेट विद्यार्थी के लिये व्यावसायिक पाठ्यक्रम की योजना विचाराधीन थी उस के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या प्रस्तावित समिति इस दीक्ष बना ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो समिति के कौन कौन सदस्य हैं तथा समिति के निर्देशपद क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) . इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति की सदस्यता तथा समिति जिन विषयों पर विचार करेगी उन का ब्योरा देते हुए एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १३६०/६३]**

लन्दन में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय सम्मेलन

†*५१. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मणियंगाडन :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई में लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजे गये भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के चुनाव के बारे में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा है और विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने एक प्रस्ताव पास करके प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के मनमाने ढंग से चुनाव किये जाने पर विरोध प्रकट किया ।

(ख) क्या यह भी सच है कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय का कोई भी प्रतिनिधि इस प्रतिनिधिमण्डल म शामिल नहीं किया गया; और

(ग) प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का चुनाव किसने और किस आधार पर किया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिंडीकेट द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था जिस में उन के उपकुलपति को सम्मिलित न करने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है उसकी एक प्रति इस मंत्रालय में प्राप्त हुई थी ।

(ख) कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ग) वर्तमान राष्ट्रीय आपात के दौरान विदेशी यात्रा पर होने वाले व्यय में मितव्ययिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, चुनाव भारत सरकार द्वारा उसके अपने विवेक से किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वाधीनता संग्राम का इतिहास

*५२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्वाधीनता संग्राम का दूसरा खंड कब तक प्रकाशित हो जायेगा;

(ख) इसके प्रकाशन पर कितना धन व्यय हुआ है; और

(ग) क्या इसका ध्यान रखने के लिये कार्यवाही कर ली गई है कि इस में कोई गलती न रह जाये ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) उम्मीद है कि पाण्डुलिपि चालू साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी।

(ख) इसके छप जाने के बाद ही इस बात का पता चलेगा।

(ग) जी, हां ।

बरौनी गोली कांड

†*५३. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खान और इंधन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ जून, १९६३ को बरौनी में मजदूरों पर गोली चलाई गयी थीं;

(ख) इस गोली चलने के फलस्वरूप मरने या घायल होने वाले की संख्या क्या है ;

(ग) वहां हुए प्रदर्शन के क्या कारण थे ; और

(घ) मजदूरों की मांगें क्या थीं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां।

(ख) दो मजदूर मारे गये थे तथा दो घायल हुए थे।

(ग) उप-ठेकेदार द्वारा मजदूरों की छंटनी तथा हिंसात्मक प्रदर्शनों के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को बचाने के लिये अन्य मजदूरों की ओर से किये गये प्रयत्न ।

(घ) छंटनी किये गये व्यक्तियों को फिर से काम में लगाने, मजूरी में वृद्धि, अधिक समय तक काम करने के भुगतान, त्योहार की छुट्टियों, अवकाश तथा वार्षिक अधिलाभांश और परियोजना के पूरे होने से पूर्व कोई छंटनी न किये जाने के लिये मजदूरों ने मांग की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाकुओं का आतंक

†*५४. श्री राम सहाय पाण्डेय :
की श्यामलाल सर्राफ :
श्री दे० द० पुरी :
श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने अपने क्षेत्रों में से डाकुओं के आतंक को दूर करने के लिए कोई संयुक्त योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा टल पर रख दी जायेगी ।

उच्च शिक्षा के बारे में सप्रू समिति

†*५५. श्री प्र० के० देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के संबंध में संविधान के उपबन्धों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई डा० पी० एन० सप्रू समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) इस समिति के निर्देशपद क्या थे ; और

(ग) समिति की उपपत्तियां क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) समिति के निर्देशपद यह हैं :—

(१) इस बात का पता करने की दृष्टि से कि इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और अधिक किस सीमा तक उत्तरदायित्व ले सकती है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों की जांच करना ; और

(२) इस उद्देश्य के लिये लिये जाने वाले उचित कदमों का सुझाव देना ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन

†*५६. श्री स्वैल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की हिदायत पर आसाम के राज्यपाल ने गत जून में किसी समय सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों से भेंट की थी ;

(ख) क्या उनकी बातचीत सफल रही; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उस के परिणामस्वरूप आसाम के राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार को कोई ठोस सुझाव विचार के लिए भेजा है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के नेताओं ने १० जून, १९६३ को प्रधान मंत्री के साथ हुई भेंट के अन्त में उनसे अग्रेत्तर चर्चाओं के के लिये प्रार्थना की थी। प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि उनसे पुनः मिलने के पूर्व इन लोगों को आसाम के राज्यपाल से मिल ना चाहिये। तदनुसार, सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के कुछ नेतागण १८ जून, १९६३ को राज्य पाल से मिले।

(ख) और (ग) आसाम के राज्यपाल ने सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ जो बातचीत की थी वह खोजान्वेषी स्वरूप की थी। बातचीत से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु मामला विचाराधीन है।

सरकारी छुट्टियां

†*५७. श्री हीं० ना० मुकर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत में दुर्गा पूजा (दशहरा), दीवाली और होली की छुट्टियों के दो 'सेट' घोषित किये जायेंगे, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : एक क्षयमास तथा दो अधिकमास पड़ने के कारण, जो कि एक असामान्य घटना है जो १४१ वर्ष पश्चात् हो रही है, इस विषय पर कुछ मतभेद है, कि १९६३ में किन तिथियों को दशहरा तथा दिवाली के त्यौहार मनाये जायें। यह राज्यों का कार्य है कि वे उनकी अपनी छुट्टियां स्वयं घोषित करें और वे अपनी अपनी स्थानीय रीति तथा उन दिनों को ध्यान में रखते हुए जिनको कि त्यौहार वास्तव में मनाये जाते हैं ऐसी घोषणा करते हैं।

कोयला धोने के कारखाने

†*५८. श्री मुहम्मद इलियास : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के कोयले का मूल्य निर्धारित करने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है;

(ख) कोयला धोने के कारखाने के उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है ; और

(ग) आजकल बिहार और पश्चिमी बंगाल में कोयला धोने के कितने कारखाने हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५७ में सरकार द्वारा नियुक्त की गई, कोयला मूल्य संशोधन समिति द्वारा कोयले की मूल्य संरचना की विस्तारपूर्वक जांच की गई थी। वर्तमान मूल्य अधिकतर उस समिति की सिफारिशों पर आधाररित हैं। इन मूल्यों को निर्धारित करते समय सामान्य स्थितियों में कार्य कर रही एक कोयला खान के उत्पादन की औसत लागत का ध्यान रखा

†मूल अंग्रेजी में

जाता है, और इस में काम का एक युक्तियुक्त अंश सम्मिलित होता है । मजूरी, वेतन, श्रमिक सुविधायें, भण्डार, विद्युत लागत, स्वामिस्व, उपकर, अवमूल्यन आदि जैसे व्यय के मद मूल्य संरचना में परिलक्षित होते हैं ।

(ख) इस्पात संयंत्रों के बद्ध कोयला धोने के कारखानों द्वारा उत्पादन किये गये धुले हुए कोयले के लिये कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है । दूसरे मामले में कच्चे कोयले की लागत कोयला धोने के संयंत्र को चलाने की लागत, तथा कोयला धोने के कारखाने के जो उप-उत्पाद हैं उन बीच के पदार्थों के विक्रय से प्राप्त धन राशि का मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान रखा जाता है ।

(ग) इस समय पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में ७ कोयला धोने के कारखाने हैं । तीसरी योजना के दौरान ४ नये कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने तथा विद्यमान तीन कारखानों का भारी विस्तार करने का विचार है । चतुर्थ योजना के लिये कोयला धोने के कारखानों की संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है, परन्तु यह अनुमान है कि, चालू योजना में लगभग २ करोड़ ४० लाख टन की क्षमता के उपबन्ध के विरुद्ध, कोयला धोने की कुल क्षमता लगभग ५ करोड़ ५० लाख टन की रखनी होगी ।

पैट्रो-रासायनिक उद्योग

†*५९. श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बारियर :
श्री बासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बालकृष्ण बासनिक :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में पैट्रो-रासायनिक उद्योगों का विकास करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विदेशी सहायता मांगी गई है और उसका क्या परिणाम रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) भारत में पैट्रो-रासायनिक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को सरकार समझती है। प्राकृतिक गैस / नैफ्था पर आधारित बहुत सी योजनायें मंजूर कर ली गई हैं। उन्हें लाइसेंस दे दिया गया है और अन्य अनेकों की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये, अभी तक कोई भी विदेशी सहायता नहीं मांगी गई है ।

उद्योगों में प्रयोग होने वाला कोयला

†*६०. { **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** :
श्री बासुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूतिचन्द्र सेठ :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में प्रयोग होने वाले कोयले के संग्रह स्थानों (डम्प्स) से ढुलाई के प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के कब तक लागू होने की संभावना है; और

(ग) यदि योजना पहले ही लागू की जा चुकी है तो किन किन क्षेत्रों में ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख) यह निर्णय किया गया है कि, औद्योगिक कोयले को मिलाकर, सभी कोयला जहां तक सम्भव हो सके ब्लाक रेकों में उपभोक्ताओं की साइडिंग्स तक पहुंचाना चाहिये अथवा, जहां यह सम्भव नहीं है, इसे उपयुक्त संग्रह स्थानों पर पूरी रेकों में भेजा जाना चाहिये जहां से प्रत्येक उपभोक्ता अपना अपना माल ले लेंगे। इस निर्णय की कार्यान्विति में, पश्चिमी बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से किया जाने वाले कोयले का लगभग ७८% लदान अब पूरे भारवाली ट्रेनों में किया जा रहा है। इसलिये संग्रह स्थानों द्वारा संभरण करने का प्रश्न केवल अवशिष्ट उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में ही उठता है। एक उप-समिति, जिसमें उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के और सरकार के भी प्रतिनिधि सम्मिलित हैं अब इस प्रश्न की जांच कर रही है। इस समिति के प्रतिवेदन की शीघ्र ही आने की आशा है।

(ग) संग्रह स्थानों की तथा ब्लाक रेकों में कोयला लाने-लेजाने की योजना का सम्पूर्ण देश में विस्तार करने का विचार है, सिवाय उन कुछ चन्द मामलों के जहां कि, परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, योजना व्यवहार्थ नहीं हो सकती ।

जासूसी प्रशिक्षण

†१२०. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गृह-कार्य मंत्रालय के गुप्तचर्या विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को विशेष जासूसी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कथित प्रयोजन के लिये कोई संस्थायें स्थापित की गई हैं और यदि हां, तो कहाँ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) केन्द्रीय गुप्तचर्या विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोई विशेष जासूसी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता क्योंकि यह संस्था अपराध का पता लगाने से सम्बन्धित नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजनैतिक पीड़ित

१२१. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय को जनवरी, १९५७ से मार्च, १९६२ तक राजनैतिक पीड़ितों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र देश भर से प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र उक्त अवधि में राज्य सरकारों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे गये;

(ग) कितने प्रार्थना-पत्रों पर केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया; और

(घ) अब तक कुल कितने राजनैतिक पीड़ितों को सहायता अथवा पेन्शन मिल चुकी है और कितने प्रार्थना-पत्र अब भी विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) प्रथम जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक ६,५८१ प्रार्थना-पत्र।

(ख) और (ग). राजनीतिक पीड़ितों की सहायता तथा पुनर्वास राज्य सरकारों का सीधा उत्तरदायित्व होने के कारण राजनीतिक पीड़ितों से प्राप्त हुए सहायता के प्रार्थना-पत्र राज्य सरकारों को उनकी सहायता की अपनी योजनाओं के अधीन विचारार्थ भेज दिये जाते हैं। उनके द्वारा सिफारिश किये गये विशिष्ट मामलों में गृह मंत्री के विवेकानुदान से छोटी नकद राशि के रूप में सहायता दी जाती है। प्रथम जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि में २६२० राजनीतिक पीड़ितों को गृह मंत्री के विवेकानुदान से आर्थिक सहायता दी गई।

(घ) प्रथम जनवरी, १९५६ से ३१ जुलाई, १९६३ तक गृह-मंत्री के विवेकानुदान से ३६९३ राजनीतिक पीड़ितों को सहायता दी गई। इस अनुदान से पेंशन आदि के रूप में आवर्ती सहायता नहीं दी जाती। प्रथम अगस्त, १९६३ को राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के इकत्तीस प्रार्थनापत्र शेष थे।

लुमुम्बा विश्वविद्यालय में दाखिला

१२२. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोवियत संघ के लुमुम्बा विश्वविद्यालय के लिये १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक कुल कितने अभ्यर्थियों के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए,

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल अभ्यर्थियों में से कितने शिक्षा के लिए चुने गये, और

(ग) इस समय कुल कितने विद्यार्थी उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा पा रहे हैं और उनकी शिक्षा का विषय क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) ८८०

(ख) ९२

(ग)

इंजीनियरी	३८
कृषि	४
चिकित्सा	४
खनन	४
रसायन शास्त्र	४
गणित	१
रूसी भाषा	१
इकौनौमिक प्लेनिंग	२
कुल जोड़	५८

दिल्ली के अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति की आयु

१२३. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजधानी शिक्षक संघ, दिल्ली ने प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या फैसला किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां।

(ख) विषय दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में विचाराधीन है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

†१२४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड के पुर्नगठन के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उप–विधियों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के विद्यार्थियों के शैक्षणिक दौरे

†१२५. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य में तथा राज्य के बाहर भी विद्यार्थियों के शैक्षणिक रों दौकी व्यवस्था करने के लिये १९६२–६३ में उड़ीसा सरकार को कोई सहायता अथवा अनुदान मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या व्यौरा हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा उसी अवधि में पूरी धनराशि का उपयोग किया गया था; और

(घ) उसी प्रयोजन के लिये १९६३–६४ में उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि दी गई है अथवा दिये जाने का विचार है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). १९६२–६३ के लिये, भारत के अन्दर ही शैक्षणिक दौरों के लिये अनुदान देने के हेतु उड़ीसा सरकार को २,२०० रुपये की राशि दी गई थी।

(ग) राष्ट्रीय आपात तथा शैक्षणिक दौरों के लिये रेलवे रियायतों के हटा लेने के कारण राज्य सरकार द्वारा कोई भी अनुदान नहीं दिया गया था।

(घ) १९६३–६४ के दौरान उड़ीसा सरकार को कोई भी अनुदान नहीं दिया गया है और न देने का ही हमारा विचार है क्योंकि राष्ट्रीय आपात के कारण सम्पूर्ण योजना का त्याग कर दिया गया है।

कोणार्क का 'सूर्य मन्दिर'

†१२६. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले पांच वर्षों में उड़ीसा में कोणार्क के 'सूर्य मन्दिर' के रक्षण के लिये उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं, क्योंकि कोणार्क का 'सूर्य मन्दिर' केन्द्र द्वारा रक्षित स्मारक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसान

†१२७. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा राज्य के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों पर वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) इससे लाभ उठाने वाले ऐसे किसानों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है। अपेक्षित जानकारी मिलते ही एक विवरण सभा–पटल पर रख दिया जाएगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता

†१२८. **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारायें १०७ और १५१ अन्तर्ग्रस्त हैं तथा जिनके संबंध में १९६२–६३ में दिल्ली न्यायाधीशों द्वारा दस से ज्यादा तारीखें दी गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/१५१ के अधीन ऐसे लम्बित मामलों की संख्या ३०४ है जिनमें १९६२–६३ में दस से ज्यादा तारीखें दी गई हैं।

दिल्ली में जनता कालिज

†१२९. **श्री धुश्लेवर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह २९ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा केन्द्र द्वारा दिल्ली में दो जनता कालेजों के मूल्यांकन में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इन दो कालेजों को चलाने के लिये अनुमानित वार्षिक व्यय क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) अलीपुर के पुरुषों के लिये जनता कालेज के बारे में मूल्यांकन प्रतिवेदन पूरा हो चुका है और उसे विचार के लिये भारत सरकार शिक्षा मन्त्रालय द्वारा गठित सामाजिक शिक्षा मन्त्रणा परिषद् के सामने रखने का विचार है। महिलाओं के लिये जनता कालेज को चलाने का मूल्यांकन करने का प्रश्न पुरुषों के लिये जनता कालेज के प्रतिवेदन पर विचार हो जाने के बाद लिया जाएगा ।

(ख) ७३,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय पुस्तकालय

†१३०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९६३ के अन्त तक उनके मन्त्रालय द्वारा पोषित तथा प्रबन्धित पुस्तकालयों की संख्या क्या है तथा वे कहां-कहां हैं ; और

(ख) १९६२–६३ में उनमें कितनी पुस्तकों की वृद्धि की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इलाहाबाद परीक्षा पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

†१३१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा-पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में दाखिल किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ख) इसी अवधि में उपरोक्त केन्द्र से आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० में भर्ती किये गये ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) और (ख): एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये संख्या एल० टी० १३९१/६३ ।**]

उत्कल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

†१३२. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९६२–६३ में उड़ीसा सरकार, उत्कल विश्वविद्यालय तथा उसके अधीन कालिजों को कितना अनुदान तथा ऋण दिया है ; और

(ख) १९६३–६४ में उनको दिए जाने के लिए कितना अनुदान अथवा ऋण निश्चित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऋण की स्वीकृति नहीं देता है, यह विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है परन्तु राज्य सरकारों को नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग द्वारा उत्कल विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध कालिजों को निम्नलिखित अनुदान दिया गया था :—

उत्कल विश्वविद्यालय रुपये	सम्बद्ध कालिज रुपये
१९६२–६३	
१६,८२,४२१	१३,१२४
१९६३–६४	
(२९–७–१९६३ तक)	
१,७६,३६०	४०,००९

आयोग का धन संख्यावार निश्चित नहीं किया जाता है । १९६३–६४ के शेष भाग में दिया जाने वाला धन स्वीकृत योजनाओं अथवा बाद में स्वीकृत योजनाओं की प्रगति पर आधारित होगी ।

उड़ीसा को कोयले का सम्भरण

†१३३. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में उड़ीसा राज्य को विभिन्न किस्म का कितना कोयला सम्भरित किया गया ; और

(ख) उड़ीसा राज्य की वार्षिक आवश्यकता क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). १९६२–६३ तथा १९६३–६४ (जून, १९६३ तक) उड़ीसा राज्य के लिए विभिन्न किस्म के कोयले तथा आवंटित मात्रा के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(वेगनों के आंकड़े)

	१९६२–६३		१९६३–६४ (जून १९६२ तक)	
	कोटा	भेजा गया	कोटा	भेजा गया
सोफ्ट कोक	८४०	८२५	२१०	१९६
हार्ड कोक	१६२	३११*	४८	१०३*
अन्य प्रकार का कोयला	५७३७	४५६२	१३४१	१९७१*
जोड़	६७३९	५६९८	१५९९	२२७०

*कोटे के अतिरिक्त तदर्थ आवंटन शामिल हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†१३४. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र में तीसरी योजनाविधि में आसाम राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा पूर्ण योजनावधि के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ; और

(ग) कौनसी योजनाओं को पूरा किया गया है तथा तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख) जी हां। बनाई गई योजनाओं, कुल तीसरी योजनावधि के लिए स्वीकृत धनराशि तथा १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में व्यय किया गया धन के दो विवरण राज्य क्षेत्र तथा केन्द्र क्षेत्र के अलग अलग सम्बद्ध हैं :—

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० १३९२ /६३]।

स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान

†१३५. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थाओं को विस्तार के लिए अथवा सुधार के लिए अथवा पूर्व प्रार्थमिक बुनियादी, अथवा माध्यमिक शिक्षा अथवा लड़कियों की शिक्षा के लिए नई संस्थायें बनाने के लिए, अनुदान देने की क्या योजनायें हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : निम्न नाम वाली योजनाओं की प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं :

(१) स्वयंसेवी शिक्षा संस्थाओं को सहायता योजना

(२) स्त्रियों की शिक्षा में लगी हुई स्वयंसेवी शिक्षा संस्थाओं को सहायता योजना।

बहुप्रयोजनीय स्कूलों को सहायता

†१३६. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक, प्रविधिक, तथा व्यावसायिक विषयों वाले बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने के लिए सरकार ने क्या सहायता तथा सुविधाओं की व्यवस्था की है ; और

(ख) क्या ये केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) ग्रामीण क्षेत्रों समेत, सभी बहुप्रयोजनीय स्कलों के लिए ५० प्रतिशत की दर पर राज्य सरकारों को तीसरी योजना में केन्द्रीय सहायता दी है।

(ख) राज्य सरकारों के द्वारा।

---

†मूल अंग्रेजी में

ताजमहल के फोटो

†१३७. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री मोहन स्वरूप
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय कर लिया है कि व्यावसायिक फोटोग्राफर ताजमहल के फोटो न लें ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह प्रतिबन्ध अन्य स्मारकों पर भी लागू किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सांध्यकालीन कालिज

†१३८. श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अ० व० राघवन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सांध्यकालीन कालिज खोलने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में ऐसे कालिज चालू हो गये हैं ; और

(ग) क्या इन कालिजों में पाठ्यक्रम की अवधि नियमित कालिजों से अधिक होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं परन्तु सांध्यकालीन कालिज खोलने के लिए अनुदानों देने की योजना विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) डाक द्वारा शिक्षा तथा सांध्यकालीन कालिजों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने सांध्यकालीन कालिजों में पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है । यह संगठन कर्त्ताओं पर छोड़ दिया गया है कि स्थानीय स्थिति के अनुसार अपने नियम तथा विनियम बनायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोचीन में तेल शोधक कारखाना

†*३९. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ राय:
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा ११ सदस्यीय स्थापना-स्थान चुनाव समिति ने कोचीन में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये स्थान का चुनाव कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी जमीन की आवश्यकता होगी तथा तेल शोधक कारखाना स्थापितक रने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां, जिस क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना बनेगा उस स्थान का अस्थाई रूप से चुनाव कर लिया गया है। भूमि तथा अन्य प्रविधिक आंकड़े मिल जाने के बाद स्थापना स्थान के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

(ख) स्थान का चुनाव कर लेने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(ग) तेल शोधक कारखाने के लिये लगभग ५०० एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार तथा फिलिप पैट्रोलियम कम्पनी के समझौते की शर्तों के अनुसार कम्पनी बनाई जा रही है। कम्पनी के लिये आवश्यक धन के बारे में प्रबन्ध कर लिये गये हैं। राज्य सरकार तेल शोधक कारखाने के लिये भूमि आर्जन करने के लिये कदम उठा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रविधिक शिक्षा में कमी

†१४०. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने यह बताया है कि प्रविधिक शिक्षा में कमी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह स्थिति किन परिस्थितियों में आई ; और

(ग) प्रविधिक शिक्षा में कितनी तथा किस प्रकार की कमी आई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं। लक्ष्यों में कोई कमी नहीं आई है। सच यह है कि लक्ष्य बढ़ाये गये हैं और उनको पूरा किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्दमान की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

१४१. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, किन्तु अन्दमान के विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह योग्यता कौन निर्धारित करता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों के अनु-सूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जाती हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। (इन द्वीप समूहों में अनुसूचित जातियां नहीं हैं)

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी नजरबन्द

श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री सुबोध हंसदा :
†१४२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० कं० देव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री पु० चं० देवभंज :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री बूटा सिंह :
श्री गो० महन्ती :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मई, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने चीनी नजरबन्दियों ने चीन लौटने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) इस इन्कारी के उन्होंने क्या कारण बताये हैं : और

(ग) क्या सरकार का विचार उनको भारत में बसाने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) ५९४ ।

(ख) उन्होंने कोई कारण नहीं बताये हैं ।

(ग) जी हां, उन लोगों के अतिरिक्त जिनकी स्वतन्त्रता सुरक्षा के प्रतिकूल न समझी जाती हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"पैरा साइकोलॉजी" सम्बन्धी सम्मेलन[1]

†१४३. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में न्यूयार्क में हुए "पैरा-साइकोलाजी" सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें भारत का प्रतिनिधि कौन था;

(ग) किन विषयों पर चर्चा हुई थी ; और

(घ) क्या निर्णय किए गए थे और क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रतिनिधि को सम्मेलन में पहुंचने से पहले अध्ययन के लिये अन्य देशों में भी जाना पड़ा था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारतीय दूतावास, वाशिंगटन से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूयार्क में पैरा-साइकोलौजी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हुआ था।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के लिए गणित की ग्रीष्मकालीन संस्था

†१४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष माध्यमिक-स्कूल अध्यापकों के लिये गणित की ग्रीष्म कालीन संस्था का संगठन किया था ; और

(ख) संस्था के संगठन से क्या लाभ हुआ है क्या क्या होने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) स्कूल गणित में नई बातों तथा अध्यापन के नये तरीकों का अध्यापकों तथा शिक्षकों को अधिक ज्ञान कराने के लिये।

कोयले के मूल्य

†१४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री १७ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस बीच क्या निर्णय लिए गए हैं ; और

(ख) यह वृद्धि किन कारणों से की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मामला अभी विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Conference of Para-Psychology.

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†१४६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ और १९६३ में अब तक हर तिमाही में पाकिस्तान को कितना-कितना कोयला भेजा गया ;

(ख) इनमें हर तिमाही में देश में कुल कितना कोयला निकाला गया ;

(ग) इनमें से हर निमाही में देश में कितने कोयले की जरूरत थी और वह जरूरत कहां तक पूरी की गयी ; और

(घ) हर तिमाही में कितना कोयला निर्यात के लिये दिया गया था ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) १९६२ और १९६३ की हर तिमाही में पाकिस्तान को भेजे गये कोयले की मात्रा इस प्रकार रही :

(आंकड़े मिलियन मेट्रिक टन में)

	१९६२	१९६३	
पहली तिमाही . . .	०.२६६	०.३०७	
दूसरी तिमाही	०.३०६	०.२५८	(लगभग)
तीसरी तिमाही	०.३३५	..	
चौथी तिमाही .	०.२६२	..	
कुल . . .	१.१६९	०.५६५	

(ख) १९६२ और १९६३ में कोयले का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

(आंकड़े मिलियन मेट्रिक टनों में)

	१९६२	१९६३	
पहली तिमाही	१५.०११	१७.२९४	
दूसरी तिमाही .	१४.९५८	१६.९००	(लगभग)
तीसरी तिमाही . .	१४.९१७	..	
चौथी तिमाही . .	१६.६६२	..	
कुल . . .	६१.५४८	३४.१९४	

(ग) १९६२ में, कोयले के सम्बन्ध में देश की निजी आवश्यकता सम्पूर्ण मात्रा में पूरी की गयी थी जहां तक कि वह महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं से सम्बन्धित थी। १९६३ में उनकी जरूरत न केवल पूरी ही की गयी वरन् उनके पास कोयले का इतना ज्यादा स्टाक हो गया था कि कुछ समय तक तो वे और सप्लाई नहीं लेना चाहते थे।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९६२ और १९६३ में पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों को किये गये निर्यात का ब्योरा इस प्रकार है :—

(मैट्रिक टनों में)

	१९६२			१९६३		
	नेपाल	जापान	कुल	नेपाल	जापान	कुल
पहली तिमाही	४,०००	५,०००	९,०००	४,०००	—	४,०००
दूसरी तिमाही	५,०००	४,०००	९,०००	६,०००	५,०००	११,००० (लगभग)
तीसरी तिमाही	५,०००	५,०००	१०,०००			
चौथी तिमाही	३,०००	५,०००	८,०००	..	..	
कुल	१७,०००	१९,०००	३६,०००	१०,०००	५,०००	१५,०००

दिल्ली यातायात मंत्रणा समिति

†१४७. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके द्वारा बनायी गयी ७ व्यक्तियों वाली यातायात मंत्रणा समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट पेश की है जिसमें नयी दिल्ली की यातायात पद्धति में सुधार के सुझाव दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) :** समिति ने जुलाई, १८, १९६३ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

भारत-रूस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान-प्रदान

†१४८. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान-प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में रूसी अधिकारियों के साथ हुई उनकी बातचीत के सम्बन्ध में अभी हाल में उनकी रूस यात्रा का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) प्रस्तावित सांस्कृतिक करार की खास खास बातें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). सांस्कृतिक, वैज्ञानिक , शिल्पिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच घनिष्ट सम्पर्क स्थापित करने के लिये फरवरी १९६०में दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे । इस करार के अधीन, भारत और रूस सरकारों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति वार्षिक

†मूल अंग्रेजी में

कार्यक्रम तैयार करती है और उसके अनुसार वर्ष १९६३–६४ के लिये आदान-प्रदान का कार्यक्रम मास्को में ७ मई, १९६३ को निश्चित किया गया था ।

इंजीनियरी पाठ्यक्रम

†१४९. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी के पंचवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के अधीन तीसरे और चौथे वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों के लिये पाठ्यक्रम की अवधि छुट्टियां कम कर और अतिरिक्त समय काम करा कर कम कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम में कितनी अवधि कम करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों पर अंतिम और अंतिम से पूर्व के वर्षों के पाठ्यक्रमों को, जहां कहीं संभव था, छुट्टियां कम कर और परीक्षायें पहले लेकर, बढ़ा दिया गया है । फिर भी उपाधि पाठ्यक्रमों की वास्तविक अवधि में कोई कटौती नहीं की गयी है ।

(ख) पाठ्यक्रमों के बढ़ा दिये जाने के कारण, स्नातक तीन से चार महीने पहले परीक्षायें पास करेंगे ।

अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†१५०. **श्री प० कुन्हन** :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये अत्रप्पदी में केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित योजनाऐं कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी रकम खर्च हुई है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) १९६२–६३ में अत्रप्पदी में एक आदिम जातीय विकास खंड चालू किया गया है । इस खंड में जो प्रगति हुई है वह संलग्न विवरण में दिखाई गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी १३९३/६३ ।]**

(ख) १.३८ लाख रुपया ।

टोकियो खेलकूद के लिए चुनाव

†१५१. **डा० उ० मिश्र** :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओलम्पिक एसोशियेशन ने टोकियो चुनाव के लिये निर्धारित स्तर कम कर देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सामान्य शिक्षा कार्यक्रम

†१५२. **श्री वारियर :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर १९५६-५७ में उनके मंत्रालय द्वारा चालू किया गया सामान्य शिक्षा कार्यक्रम अभी तक कई विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन विश्वविद्यालयों ने अभी तक वह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

शिक्षा और संकटकाल

†१५३. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने संकटकाल के कारण राज्यों के शिक्षा विषयक बजट में की गयी कटौती को पूरी कर देने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर राज्य सरकारों की क्या राय है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां । शिक्षा का राष्ट्रीय हित में जो महत्वपूर्ण अंशदान हो सकता है उसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लिए नियत की गयी रकमों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था और यह भी सुझाव दिया था कि शिक्षा के विकास की गति धीमी न होने दी जाये ।

(ख) राज्य सरकारों ने अपने अपने संसाधनों की सीमा में उस सुझाव को कार्यान्वित करने के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"चाइना टुडे"

†१५४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सुरक्षा और एकता के लिए हानिकारक सामग्री के कारण अब तक चालू वर्ष में 'चाइना टुडे' की कितनी प्रतियां जब्त की गयी हैं ; और

(ख) इन सभी मामलों में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**:(क) भारत रक्षा नियमों के नियम ४५ के अधीन दिनांक २२ फरवरी, २९ मार्च, ६ अप्रैल, और २४ मई, १९६३ के 'चाइना टुडे' के अंक जब्त किये गये थे ।

(ख) इन सभी मामलों में यह कार्यवाही की गयी कि इन प्रतियों से उद्धरण तथा अनुवाद सहित उनकी प्रतियों की बिक्री और वितरण रोक दिया गया और उसकी प्रत्येक प्रति या उसका अनुवाद सरकार के पास जमा कर दिया जाये । उस आदेश के अनुसार हर व्यक्ति को जिसके पास इनकी प्रतियां हों, यह हिदायत दी गयी थी कि वह उन्हें स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सौंप दें । निषेधाज्ञा की प्रतियां उपर्युक्त प्रकार से कार्यवाही के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई थी ।

अफसरों के लिए प्रशिक्षण शालाएं

†१५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से यह कहा गया है कि वे अपने वर्ग १ और २ के अफसरों के लिए प्रशिक्षण-शालायें स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करें;

(ख) क्या गृह-कार्य मंत्रालय नेशनल एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन के परामर्श से ऐसी शालायें और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कायम करने की एक योजना तैयार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जिन राज्यों में अभी प्रशिक्षणशालाएं काम कर रही हैं वहां की सरकारों को गृह-कार्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि नेशनल एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में चलाये गये बुनियादी शिक्षाक्रम के ढंग पर वे वर्ग १ और वर्ग २ के अपने अधिकारियों के लिए एक शिक्षाक्रम चालू करने के बारे में विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

जूनियर टेक्निकल स्कूल

†१५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर टेक्निकल स्कूलों को स्थापित करने की दिशा में राज्यों ने क्या प्रगति की है ;

(ख) फिलहाल कितने स्कूल चल रहे हैं ; और

(ग) निम्न स्तरों पर टेक्निकल कर्मचारियों की कमी पूरी करने में इन स्कूलों से कितनी मदद मिलेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) और (ख). राज्यों की दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उपबन्धित १४६ जूनियर टेक्निकल स्कूलों में से ७५ स्कूल ही अभी तक स्थापित किये जा चुके हैं ।

(ग) इन स्कूलों में इंजीनियरी उद्योग के लिए कुशल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है । प्रत्येक स्कूल से लगभग ६० उम्मीदवार निकलते हैं और उनकी संख्या प्रति वर्ष १०० तक बढ़ाने का विचार है ।

स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाएं

†१५७. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाओं तथा पाठशालाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना जारी रखने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी रकम नियत की गई है ; और

(ग) किन प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) २ लाख रुपया ।

(ग) स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाओं को अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं :—

(क) संस्कृत संस्थाओं/पाठशालाओं की स्थापना और विकास

(ख) संस्कृत शिक्षा की कक्षाएं चलाना

(ग) संस्कृत प्रचारकों का प्रशिक्षण और उनकी नियुक्ति

(घ) संस्कृत पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना, उन्हें चलाना या उन्हें सुदृढ़ करना

(ङ) संस्कृत के प्रचार के लिए प्रचार उपकरण की खरीद

(च) प्रसिद्ध संस्कृत विद्वानों के भाषण, संस्कृत वक्तृत्व प्रतियोगिता, संस्कृत वाद-विवाद, संस्कृत नाटक आदि संगठित करना

---

†मूल अंग्रेजी में

(छ) द्विभाषिक, जिनमें एक भाषा संस्कृत हो, शब्दकोष तैयार करना

(ज) संस्कृत पांडुलिपियां तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना

(झ) संस्कृत पत्रपत्रिकाओं का प्रकाशन

(ञ) बिरले मामलों में भवन का निर्माण, उसकी मरम्मत या उसका विस्तार

(ट) स्वीकृत संस्कृत सम्मेलन संगठित करना

(ठ) संस्कृत में अनुसंधान

(ड) अन्य कोई कार्य जो संस्कृत की समृद्धि, प्रचार और विकास के लिए सहायक हो ।

केन्द्रीय मंत्री

*१५८. **श्री कपूर सिंह :**
श्री केसरलाल :
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती :
श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई-जून, १९६३ में कितने केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री विदेश गये ;

(ख) वे किन-किन देशों में गये ;

(ग) उनके दौरे के कारण क्या थे ; और

(घ) उन्होंने कितनी धनराशि खर्च की ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (घ). जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है । **[पुस्कालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १३९४/६३ ।]**

विदेशियों का पंजीकरण कार्यालय

†१५९. **श्री कपूर सिंह :**
श्री केसरलाल :
श्री बूटा सिंह :
श्री सोलंकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशियों ने दिल्ली में विदेशियों के पंजीकरण कार्यालय के कामकाज के खिलाफ अभी हाल में कोई शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख). जी हां । लेकिन पूछताछ करने पर यह मालम हुआ कि विदेशियों पर लागू दृष्टांक तथा अन्य विनियमों का पालन न किये जाने के कारण जो असुविधायें हुईं उनके सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हरिजनों के लिए कुएं

१६०. **श्री बाल्मीकी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६३ के अन्तिम सप्ताह तक हरिजनों के प्रयोग के लिए कितने कुएं खोदे गये ; और

(ख) सब से अधिक कुएं किस राज्य में खोदे गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) तथा (ख). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से सूचना मांगी गई है। प्राप्त होने पर अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायगा।

सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी

†१६१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खान तथा ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी द्वारा रामगुडम में १८ मेगावाट का तापीय बिजलीघर स्थापित किए जाने के लिए असैनिक इंजीनियरी निर्माण कार्य कब शुरू किया जायगा ;

(ख) ३१ मार्च, १९६४ तक ३५.६ लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी को कुल कितनी बिजली की आवश्यकता होगी ;

(ग) बिजली पैदा करने के उसके अपने संयंत्रों से कितनी बिजली प्राप्त होगी ; और

(घ) राज्य सरकार संभवतः कितनी बिजली देगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) संभवतः फरवरी/मार्च, १९६४ तक यह शुरू कर दिया जाएगा।

(ख) १३,५००/१४,००० किलोवाट (अनुमानित)।

(ग) ९,०००/९,५०० किलोवाट ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड अब ३२०० किलोवाट दे रहा है। १०००/२००० किलोवाट अतिरिक्त सप्लाई के लिए जिसकी अभी आवश्यकता है, राज्य बिजली बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है।

आन्ध्र प्रदेश में कोयले की खानें

†१६२. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में उलुग तालुक के कुछ क्षेत्रों में कोयले के बड़े निक्षेप विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध कोयले की मात्रा निर्धारित करने के लिए भूछिद्रण कार्य कब आरम्भ किये जायेंगे ; और

(ग) क्या यह काम भारतीय खान कार्यालय या सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी द्वारा आरम्भ किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) उलुग तालुका, जिला वारंगल, आन्ध्र प्रदेश में कोरसाली और पुन्गोंडा गांवों के पास कोयला मिलने का समाचार प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) अनुमान है कि भूछिद्रण कार्य १९६३–६४ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा आरम्भ किया जायगा । सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी अपने पट्टे के क्षेत्र के कुछ हिस्सों में १९६४–६५ में संभवतः छिद्रण कार्य आरम्भ करेगी ।

राष्ट्रीय साइकिल चेम्पियनशिप प्रतियोगिता में दुर्घटना

१६३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत २४ मार्च, १९६३ को राष्ट्रीय साइकिल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में जो दुर्घटना हुई थी, उस के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड दिलाने में अब तक क्या प्रगति हुई ; और

(ख) मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा अथवा वित्तीय सहायता देने व दिलाने में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) मामले की पुलिस-जांच पूरी हो चुकी है और चालान न्यायालय में भेज दिया गया है ।

(ख) स्वर्गीय सर्वश्री प्रकाश सिंह और एम० कनिआप्पन के परिवारों को निम्नांकित सहायता दी गई है :—

(१) रेल मंत्री के कल्याण और सहायता फंड से प्रत्येक परिवार को १०००.०० रुपये का अनुदान दिया गया है ;

(२) रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड ने अपनी निधियों में से प्रत्येक परिवार को ६०००.०० की तदर्थ राशि दी है ;

(३) स्वर्गीय श्री कनिआप्पन के मामले में दक्षिण रेलवे की स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी ने ५००.०० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है; और

(४) दोनों मृत व्यक्तियों की विधवाओं को नौकरी दे दी गई है; श्रीमती सिंह को उत्तरी रेलवे में एक क्लर्क के रूप में और श्रीमती कनिआप्पन को दक्षिण रेलवे में एक अस्पताल परिचारिका के रूप में ।

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद

१६४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश व बिहार के सीमा-विवाद को निबटाने के लिये जिन श्री सी० एम० त्रिवेदी को नियुक्त किया गया था, उन्हों ने इस विषय में क्या प्रगति की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्री त्रिवेदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों के साथ इस विषय पर पत्रव्यवहार कर रहे हैं । हाल में वह सम्बन्धित जिले आरा और बलिया जाने वाले हैं जहां पर वह स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं को खुद भी देखेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी का प्रयोग

†१६५. श्री मणियंगाडन :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री य० ना० सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के अधीन विभागीय प्रमुखों ने कुछ राजकीय कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिये अपने सभी कर्मचारियों को आदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो पूरी तौर से किन किन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग किया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). केन्द्रीय विभागों और कार्यालयों के प्रमुखों ने दिनांक २७ मार्च, १९६१ के गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या १६-७-६२—ओएल में उल्लिखित उपबन्ध के अनुसार कतिपय राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी के अलावा हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के लिये समय समय पर आदेश जारी किये हैं। केवल हिन्दी का ही प्रयोग करन का कोई विचार नहीं है । इसलिये सभी मंत्रालयों से प्रार्थना की गई है कि वे जहां तक हो सके, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही भेजा करें ।

बुनियादी शिक्षा

†१६६. श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी शिक्षा की वर्तमान रूपरेखा में परिवर्तन करने का विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या इस नयी रूपरेखा में कृषि को भी शामिल करने का विचार है; और

(ग) वर्तमान प्रणाली में किन अन्य परिवर्तनों को करने का विचार किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) (ख) और (ग). यह मामला प्रारम्भिक शिक्षा का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति को भेजा गया है। इस के अध्यक्ष श्री उ० नू० ढेबर हैं । आशा की जाती है कि समिति मार्च, १९६४ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लक्कदीव

†१६७. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकों को लक्कदीव में जाने अथवा वहां रहने पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) क्या भारतीय संविधान को दृष्टि में रखते हुए उस पर पुनर्विचार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) लक्कदीव और मिनिकाय द्वीप समूह विनियम, १९१२ में यह व्यवस्था की गयी है—

कि राज्य सरकार अपने आदेश द्वारा :

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को आने तथा रहने से रोक सकती है जो वहां का आदिवासी नहीं है; और

(ख) ऐसा व्यक्ति जो आदिवासी नहीं है, द्वीप छोड़ने के लिये कह सकती है तथा ऐसे नियम बना सकती है जिन्हें वह इस धारा के प्रयोग के उपयुक्त समझे

अमिनदीव द्वीप समूह (प्रवेश एवं निवास पर प्रतिबन्ध) विनियम, १९४९ की धारा २ में यह व्यवस्था की गई है —

राज्य सरकार अपने आदेश द्वारा :

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को रोक सकती है जो उस द्वीप का निवासी नहीं हो जहां यह विनियम लागू होता है, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोग के लिये नियुक्त अधिकारी की परमिट के बिना, इनमें आने और अपना घर बनाने से रोक सकती है ; अथवा

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से जो इन द्वीपों का निवासी नहीं है द्वीप को छोड़ने को कह सकती है, तथा इस विनियम के प्रयोग के लिये नियम बना सकती है ।

(ग) जी हां ।

बुन्देलखंड क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण

१६८. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र का जो भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था उसका क्या प्रतिफल निकला और क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में उच्च कोटि की कांच बनाये जाने वाली बालू की बहुत लाभदायक खानें मिली हैं; और

(ख) क्या चांदी की खान और कोयले की खान पाई जाने की सम्भावना है और क्या निकट भविष्य में कोई सघन सर्वेक्षण करने का विचार सरकार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मिट्टी, कांच-रेत और पाइरोफिलाइट के सुकाये निक्षेपों का पता चला है। स्फोदिज (वाक्साइट), कच्चे तांबे, सिक्के एवं चांदी, कच्चे लोहे, मोल्बिडिनाइट, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, गेरू खड़िया मिट्टी, मुलतानी मिट्टी की मामूली विद्यमानता का पता चला है। झांसी में मुरारी और बालाबेहट के बीच और बान्दा में धवौरा तथा परीहई के बीच में कांच बनाने के लिये उत्तम बालू की विद्यमानता का पता चला है।

(ख) इस क्षेत्र में अभी तक चांदी धातु के पाये जाने का पता नहीं लगा है। बुन्देलखंड क्षेत्र में कोयले की विद्यमानता के लिये शैल समूह, अनुकूल नहीं है।

पाठ्य पुस्तकें

१६९. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिये जिस संगठन की स्थापना सरकार ने की थी उस के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) कितनी पुस्तकों के निर्माण, लेखन एवं प्रकाशन में उक्त संगठन से सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) उक्त संस्था पर अभी तक कुल कितना आवर्तक अथवा अनावर्तक व्यय हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-१३९५/६३।]

(ग) ६१,०००.०० रुपये (लगभग)

उद्योगों के लिये भूमि का वितरण

१७०. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उद्योगों के लिये वृहत योजना में भूमि वितरण की क्या योजना है;

(ख) उद्योग-अभ्यर्थियों को किस आधार पर भूमि मिल सकेगी; और

(ग) भूमि का क्या मूल्य निश्चित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) दिल्ली की वृहत-योजना के अन्तर्गत लगभग कुल ५,८०० एकड़ भूमि को सन् १९८१ तक निम्नलिखित उद्योगों के उपयोग के लिये सिफारिश की गई है :—

	एकड़
(१) विस्तृत उत्पादन	३,६००
(२) लाइट और सरविस उद्योग	१,५८३
(३) विशेष उद्योग	१००
(४) उद्योग तथा उत्पादन केन्द्र	१६८
(५) फ्लटिड फैक्ट्रीज	१९२
(६) पौटरी फैक्टरियां	१००
	५,७४३

(ख) तथा (ग) भूमि का वितरण और मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा स्वीकृत "दिल्ली में भूमि के उच्च-स्तरीय अधिग्रहण, विकास तथा निपटान" की योजना के अधीन होगा, जिसकी मुख्य मुख्य बातें लोक सभा में २३ मार्च, १९६१ को श्री पी० जी० देव द्वारा दिये गये नियम १९७ के नोटिस के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में समाविष्ट हैं। संक्षेप में भूमि का वितरण लीज होल्ड और पूर्व निश्चित मूल्य पर, अर्थात्, अधिग्रहण की कीमत, विकास की कीमत तथा कुछ अतिरिक्त चार्ज को छोड़ कर निम्नलिखितों को दिया जायेगा :—

(क) जिन उद्योग-पतियों की भूमि दिल्ली के योजनात्मक विकास के अधीन अधिग्रहण की जा रही है;

(ख) जिन उद्योग पतियों से उनकी फैक्टरियां अपनी वर्तमान जगहों से हटाने के लिये कहा जा रहा है; और

(ग) उद्योग सहकारी समितियां। अन्य लोगों को भूमि लीज-होल्ड बाजार भाव पर दी जावेगी।

बहरे और गूंगों के लिये रेलवे भाड़े की रियायतें

†१७१. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय बधिर संघ से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि बहरे और गूंगों को उसी तरीके से रेलवे भाड़े की रियायतें दी जाये जिस तरीके से रेल गाड़ी से यात्रा करने वाले अंधों तथा उनके साथियों को मिलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) और (ख) जी हां। अभी हाल में नहीं। इस मामले पर अपंग शिक्षा के लिये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा १९५८ में की गई। सिफारिशों के आधार पर विचार किया गया तथापि भारत सरकार के लिये बहरों के लिये रेलवे किराये की रियायत करना संभव नहीं हुआ।

असम और बंगाल में तूफान

१७२. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और बंगाल में २३ अप्रैल, १९६३ को जो तूफान आया था, उस में कितने आदमियों की मृत्यु हुई और कितने आदमियों की सम्पत्ति नष्ट हुई और कितने रुपये का नुकसान हुआ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सहायता केन्द्रीय सरकार ने प्रदान की ; और

(घ) क्या इस तूफान के साथ भूकम्प भी आया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : असम या बंगाल में २३ अप्रैल, १९६३ को कोई तूफान नहीं आया। परन्तु असम में गोलपाड़ा जिले के ढुबरी सब डिवीजन के कुछ भागों में तथा बंगाल के कूच-बिहार जिले के तूफानगंज सबडिवीज़न में १९ ,अप्रैल, १९६३ को एक तूफान आया था। इस से हुई क्षत्ति का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन की सम्पत्ति नष्ट हुई
१	आसाम	९९	२५०० परिवार
२	बंगाल	३९	५७४३ व्यक्ति

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

कागज प्रौद्योगिकी तथा पोलोटेक्नीकल स्कूल

†१७३. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेडन की सरकार कागज़ प्रौद्योगिकी के स्कूल तथा उत्तर प्रदेश में दो पोलोटेकनीकल स्कूल खोलने के लिये काफी सहायता देगी; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो स्वेडन की सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता दी गयी ; और

(ग) ये स्कूल कब तक खुलेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख) स्वेडन की सरकार सहारनपुर में एक कागज़ प्रोद्यगिकी स्कूल खोलने में सहमत हो गयी है। वह १५ लाख रुपये के मूल्य की मशीनें, ६ स्वेडिश विशेषज्ञों की सेवायें तथा भारतीय कर्मचारियों को स्वेडन में प्रशिक्षण की सुविधायें देंगे।

(ग) इमारतें तथा अन्य सुविधायें तैयार होते ही स्कूल खुल जायेगा।

विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली

१७४. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विखायतन योगाश्रम नाम का आश्रम जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली पर चल रहा है तथा उसकी एक शाखा जम्मू में भी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसको केन्द्रीय सरकार सहायता देती है यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितना-कितना रुपया अलग-अलग शाखाओं को दिया गया ; और

(ग) क्या जम्मू शाखा के हिसाब में कोई गड़बड़ी पाई गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। योग आश्रम को अब तक भारत सरकार से निम्नांकित सहायता मिली है :—

वर्ष	दिल्ली केन्द्र द्वारा प्राप्त अनुदान	वैष्णव देवी केन्द्र (जम्मू)
१९६०–६१	४०,०००	कुछ नहीं
१९६१–६२	३०,०००	६२,०००
१९६२–६३	२७,४०९	कुछ नहीं

(ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

नक्शे की जब्ती

१७५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृहकार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा करौल बाग (दिल्ली) स्थित क्लिफ्टन एण्ड कम्पनी के प्रबन्ध में छापा गया एशिया का एक नक्शा जब्त कर लिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उस नक्शे में क्या त्रुटियां पाई गईं और उनका विस्तृत विवरण ?

†मूल अंग्रजी में

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतबीस) : (क) जी हां।

(ख) उस नक्शे में उत्तरी सीमा ग़लत दिखाई गई थी।

आयल इंडिया लिमिटेड

१७६. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इण्डिया लिमिटेड में भारत सरकार व बर्मा आयल की आधे-आधे की साझेदारी है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के हिस्से का मूल्य क्या है ;

(ग) अब तक आयल इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य क्या रहा है ; और

(घ) क्या उस लक्ष्य की पूर्ति हो गई है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :(क) जी, हां।

(ख) १४ करोड़ रुपये।

(ग) वर्तमान में आयल इण्डिया लि० ने अपने विद्यमान तेल क्षेत्रों से प्रतिवर्ष कच्चे तेल के ३ मिलियन मीटरी टन उत्पादन की योजना बनाई है।

(घ) १९६५ तक इस लक्ष्य के प्राप्त होने की सम्भावना है।

कालेज की फीस

१७७. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों से सिफारिश की है कि वे शिक्षा के अतिरिक्त शुल्क की वसूली बन्द कर दें; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर कालेजों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) जी नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है कि वह अपने सम्बद्ध कालेजों में लिये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में सामान्य एकरूपता की नीति लागू करने की सम्भावना पर विचार करे। विषय विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

आयोग की सलाह पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्णय किया है कि दिल्ली में ऐसा कोई भी कालेज जिसको आयोग से अनुरक्षण अनुदान मिलता हो, विद्यार्थियों से भवन-शुल्क नहीं लेगा।

भूचुम्बकीय अनुसन्धान

†१७८. **श्री रा० बरुआ** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् रेखा के चुम्बकीय हलचल वाले क्षेत्रों में संयुक्त भारतीय तथा रूसी भू चुम्बकीय अनुसन्धान करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त अभियान से भारत को क्या लाभ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) मन्त्रालय को विषुवत् रेखा के चुम्बकीय हलचल वाले क्षेत्रों में किसी संयुक्त भारतीय और रूसी भू चुम्बकीय अनुसन्धान सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में पता नहीं है। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय शान्त सूर्य वर्ष के कार्यक्रम के अंश के रूप में एक चुम्बकीय अनुसन्धान, जिसमें अचम्बकीय रूसी जहाज 'जारया" का प्रयोग किया जायेगा, करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय शांत सूर्य वर्ष (१९६४–६५) में विश्व के कई देश सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के सरकारी परीक्षणों से सभी सहयोगी देशों को लाभ होगा।

आसाम में संस्कृत शिक्षा

†१७९. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, आसाम सरकार की ओर से राज्य में संस्कृत के विकास के सम्बन्ध में कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या सरकार के पास संस्कृत के विकास तथा राज्य में संस्कृत अध्यापकों की दशा में सुधार के लिये कोई प्रस्थापना है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क), (ख) और (ग) १९६२ के दौरान आसाम सरकार ने राज्य में संस्कृत शिक्षा पुनर्गठन के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना में एक एक संस्कृत कालेज तथा ५० संस्कृत विद्यालय खोलने की व्यवस्था थी जिन्हें उन संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के अधीन सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के रूप में चलाया जायेगा। राज्य सरकार को यह सलाह दी गयी है कि वह उन संस्थाओं से, स्वेच्छा संस्कृत संगठन/संस्थायें और पाठशालाओं को वित्तीय सहायता देने वाली योजना के अन्तर्गत मन्त्रालय से अनुदान मंगाने को कहा।

सरकार देश में संस्कृत अध्यापकों वेतन क्रमों के प्रश्न तथा उनकी प्रतिष्ठा के सामान्य प्रश्न पर भी विचार कर रही है। है

चन्द्रकेतुगार में खोज

†१८०. श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० के० देव :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चन्द्रकेतुगार में पुरात्तत्व विभाग के निदेशालय की खोजों की रिपोर्ट की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इसके संरक्षण के लिये कोई कदम उठाया गया है ; और

(ग) क्या इसे पुरातन स्मारक संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां । प्रारम्भिक अधिसूचना पुरातन स्मारक और पुरातत्वीय स्थानों और अवेशेषों अधिनियम १९५८ के अधीन जारी की जा चुकी है ।

शिक्षा का पर्यवेक्षण

†१८१. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शैक्षणिक प्रबन्ध अध्ययन परिषद् के तत्वावधान में अप्रैल, १९६३ में शिक्षा पर्यवेक्षण सम्बन्धी एक गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) (१) पर्यवेक्षण का मतलब ।

(२) दिली में पर्यवेक्षण के वर्तमान तरीके

(३) पर्यवेक्षण के द्वारा स्कूल में शिक्षा देने के तरीकों को सुधारने से सम्बन्धित समस्याएं ।

(४) निरीक्षक के कार्य को बढ़ाना ।

इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, दिल्ली

१८२. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर" नामक संस्था को दिल्ली में भवन निर्माण के लिए ७·२५ लाख रुपये दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी और किन किन संस्थाओं को आयोग के द्वारा कितना कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "इंडिया इण्टरनेशनल सेन्टर" के सहयोगी संस्थापक सदस्य बनने के लिए २०,००० रुपये प्रत्येक विश्वविद्यालय के हिसाब से ३८ विश्वविद्यालयों को ७·६० लाख रुपये की राशि १९५९–६० से १९६१–६२ वर्षों तक दी ।

(ख) विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य किसी संस्था को सीधे ही अनुदान नहीं देता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार के शिक्षकों को पेंशन

१८३. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए पेंशन की व्यवस्था करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

(ग) क्या बिहार सरकार ने यह कदम केन्द्र के सुझाव पर उठाया है और इसमें केन्द्र की ओर से किसी प्रकार की सहायता भी दी जायेगी ; और

(घ) क्या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार सरकार ने अभी ब्यौरे तैयार नहीं किए हैं ।

(ग) भारत सरकार ने अध्यापकों के लिए राज्य सरकारों को "त्रिसूत्रीय लाभ योजना" (जिसमें पेंशन भी शामिल है) की सिफारिश की थी । इस प्रयोजन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है ।

(घ) राज्य सरकारें इस सुझाव पर विचार कर रही हैं और कुछ अन्य राज्य इसे पूर्णतया या आंशिक रूप से अपना लेंगे ।

स्कूलों में लड़कों और लड़कियों का प्रवेश

†१८४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस योजना के तीन वर्षों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कलों में लड़कों और लड़कियों के नवीन प्रवेश में राज्यवार पृथक २ तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

(ख) उस स्कूल-प्रवेश आयु वर्ग की कुल संख्या में ये आंकड़े कितने प्रतिशत होते हैं ;

(ग) क्या सरकार यह मालूम करने का उपाय सोच रही है कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है ; और

(घ) क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने के लिये कोई अधिक राशि आवंटित की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ख) दो विवरण संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये सख्या एल०टी०–१३६९/६३**]

(ग) इस विषय में एक कार्य संचालन सूत्र राज्य सरकारों को भेजा गया है ।

(घ) लड़कियों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं में शामिल है और उनके लिये शत प्रतिशत सहायता केन्द्र द्वारा दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

राजस्थान में तेल के निक्षेप

†१८५. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बीकानेर के मुख्य भाग समेत २०,००० वर्ग मील क्षेत्र में राजस्थान में तेल संसा नों की खोज करने के लिये विमान द्वारा भेजे गये चुम्बकीय सर्वेक्षण का क्या परिणाम हुआ है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण १९५६ में, इस प्रदेश में तल-छट संबंधी चट्टानों के मोटापे का अनुमान लगाने के लिये पश्चिम राजस्थान में किया गया था। सर्वेक्षण से, जो अंशत: बीकानेर में और अंशत: जैसलमेर जिलों में १७०० वर्ग मील भूमि में किया गया था, पता चला कि जैसलमेर ज़िले के पश्चिम और उत्तर-पश्चिम भागों में तलछट काफी मोटा है। तदनसार जैसलमेर में अग्रत्तर खोज कार्य आरम्भ किया गया है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप

†१८६. **श्री घुलेकर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री ६ माच १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश तथा अन्दमान और निकोबार द्वीपों की बीच संचार साधनों को बढ़ाने के लिये एक यात्री एवं माल वाहक जहाज लेने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख): मामला विचाराधीन है।

असैनिक सुरक्षा विशेषज्ञ

†१८७. **श्रीरामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेकर मीना :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री २७ फरवरी १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक सुरक्षा के इंगलिस्तानी विशेषज्ञ की रिपोट पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) उन निर्णयों का ब्यौरा लोक हित की दृष्टि से नहीं दिया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरातत्व विधान समिति का प्रतिवेदन

†१८८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री (धुलेकर) मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री २१ नवम्बर १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरातत्व विधान समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है और उन पर निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्णय क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां। बहुत सी सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और उन पर निणय किया गया है ।

(ख) किये गये निर्णयों को दर्शाने वाले पांच विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी-१३९७/६३ ।]**

हिमालय अभियान

†१८९. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार १९६३–६४ में कोई हिमालय अभियान करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितने व्यय का अनुमान है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम

†१९०. **श्री वारियर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन किन विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में पत्रकारिता की शिक्षा दी जाती है ;

(ख) इन में से किन में पत्रकारिता संबंधी अनुसंधान की सुविधा है, ;

(ग) क्या उन विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को इन पाठ्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलते हैं , और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कितना अनुदान दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) निम्न विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम हैं :—

१. कलकत्ता विश्वविद्यालय
२. गुजरात ,, (श्री एच० के० आर्टस कालेज अहमदाबाद)
३. मद्रास ,,
४. मैसूर ,,
५. नागपुर ,, (हिसलेज कालेज, नागपुर)
६. उस्मानिया ,,
७. पंजाब ,,

इसके अतिरिक्त प्रेस इंस्टीच्यूट आफ इंडिया में पत्रकारिता की अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रम की व्यवस्था है ।

(ख) प्रेस इंस्टीच्यूट आफ इंडिया में अनुसंधान सुविधाएं भी हैं ।

(ग) जी नहीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में हिस्लेज कालेज, नागपुर, यनिवर्सिटी में पत्रकारिता के मास्टर की डिग्री पाठ्यक्रम के लिये अनुदान देना मंजूर किया है, किन्तु अभी तक धन नहीं दिया गया ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसन्धान कार्य का समन्वय

†१९१. **श्री अ० ना० विद्यालंकार:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विविध विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं में किये जा रहे अनुसंधान कार्य का समन्वय तथा तालमेल करने के लिये कोई अभिकरण विद्यमान है,

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नाम है ; और

(ग) क्या वह चालू वर्ष का अनुसंधान कार्यक्रम एवं विविध संस्थाओं को आवंटित कार्यों का ब्यौरा सभा पटल पर रखेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

आविष्कारों का पंजीयन

†१९२. **श्री अ० ना० विद्यालंकार:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में जो आविष्कार होते हैं क्या उन्हें तुरन्त भारतीय एकस्व अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कर लिये जाते; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल्य अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** (क) भारतीय प्रयोगशालाओं में जो भी "पेटेन्ट के योग्य आविष्कार किये जाते हैं उन्हें तुरन्त भारतीय पेटेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कर लिया जाता है । इस मामले में विलम्ब बिलकुल नहीं किया जाता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिन्धी

†१९३. **डा० (म० श्री) अणे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग अलग रहने वाले सिन्धियों की संख्या क्या है ; और

(ख) सिन्धी भाषा भाषी लोगों की संख्या क्या है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: १९६१ की जनगणना की प्रश्नावली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त किसी जाति अथवा सम्प्रदाय अथवा वर्ग के बारे में कोई मद शामिल नहीं था ।

(ख) सिन्धी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बारे में अस्थायी आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(१) मातृ भाषा के रूप में बोलने वाले —९७६,९७०
(गोआ, दमन और दीव को निकाल कर)

(२) सहायक भाषा के रूप में बोलने वाले —७०,९४८
(गोआ , दमन और दीव तथा मणिपुर को निकाल कर) ।

चिटफंड

†१९४. **श्री जसवन्त मेहता** :
श्री पु० र० पटेल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हाल ही के कुछ महीनों में दिल्ली पुलिस ने चिट फंड संस्थाओं द्वारा की गयी धोखादेही के बहुत से मामले दर्ज किए हैं ; और

(ख) सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है कि इन मामलों को शीघ्रतिशीघ्र निपटाया जा सके ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां, चिट फंड सम्वादों के विरुद्ध धोखादेही के ९ मामले दर्ज हुये हैं ।

(ख) प्रयत्न किया जा रहा है कि उनका निपटारा शीघ्र ही कर दिया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक द्वारा शिक्षा

†१९५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक द्वारा शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने की दिशा में कालिजों तथा विश्व-विद्यालयों में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस प्रणाली की उपयोगिता और क्षमता का कुछ अनुमान लगाया गया है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) डाक द्वारा शिक्षा का पाठ्यक्रम केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में सितम्बर १९६२ से आरम्भ किया किया गया है ।

(ख) इस प्रणाली के प्रयोग का अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

सीमान्त क्षेत्रों का विकास :

†१९६. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर १९६२ से सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए उनके मंत्रालय ने जिलावार कितनी राशि निर्धारित की है ;

(ख) अब तक उपयोग में लाये गये धन का जिलावार ब्योरा क्या है ;

(ग) अब तक किये गये कार्य तथा प्राप्त की गई सफलताओं का जिलावार ब्योरा क्या है ; और

(घ) कितने प्रतिशत प्रवासी लोगों को उन्हीं के पहाड़ी इलाकों में बसाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) नवम्बर १९६२ से गृह-काय मंत्रालय ने निम्न राशियों की विकास योजनाओं की स्वीकृति दी है :—

उत्तराखंड डिवीजन	६५७.५१३ लाख रुपये
लद्दाख जिला	३५.८८६ लाख रुपये
लाहौल जिला	१६.५६४ लाख रुपये

जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) से (घ) जानकारी सम्बन्द्ध राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रखा दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक

†१९७. **श्री बड़े** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के संघ ने दिल्ली के शिक्षा निदेशक से ८० प्रतिशत शिक्षकों की नौकरी को पक्का करने का निवेदन किया है, जब कि यह काम बहुत पहिले हो जाना चाहिये था ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या किया जा रहा है ; और

(ग) अधिक से अधिक कब तक इन लोगों की नौकरी को पक्का कर दिया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) अस्थायी स्थानों को स्थायी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसा होते ही जितने भी स्थायी स्थान होंगे उतने लोगों को स्थायी कर दिया जायेगा।

(ग) इस कार्य को शीघ्र ही किया जायेगा, तथापि कोई निश्चित तिथि का बताना सम्भव नहीं।

शिक्षक कल्याण राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

†१९८. **श्री बड़े** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय दिल्ली के अन्तर्गत काम करने वाले शिक्षकों के मरने के बाद जिन लोगों के परिवारों को शिक्षक कोष के राष्ट्रीय प्रतिष्ठान से सहायता दी गयी है, उनकी संख्या क्या है ;

(ख) क्या दिल्ली के शिक्षा निदेशक को सहायता न मिलने के बारे में भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा र हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) किसी को नहीं दी गई।

(ख) से (ग) शिक्षक कल्याण राष्ट्रीय प्रतिष्ठान से सहायता प्राप्त करने के लिये कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । इस कोष में जो धन अब तक एकत्रित हुआ है उसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांडों में लगा दिया गया है। सहायता का कार्य तो अभी आरम्भ किया जाना है और इस का निर्णय निकट भविष्य में प्रतिष्ठान की सामान्य समिति करेगी।

सरकारी स्कूल शिक्षक संघ, दिल्ली

*१९९. **श्री बड़े** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूल शिक्षक संघ को चालू वर्ष में अनुदान नहीं दिया है ;

(ख) इस वर्तमान संस्था का चुनाव कब हुआ था ; और

(ग) यह संस्था कितने वर्षों तक काम करेगी ?.

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) संघ की वर्तमान कार्यकारिणी का चुनाव ४-११-६२ को हुआ था।

(ग) संघ के वर्तमान विधान के अनुसार इस की कार्य-अवधि एक वर्ष है।

पंजाब के लिये 'हार्ड कोक'

†२००. श्री हेमराज : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ के वर्ष में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये पंजाब सरकार द्वारा हार्ड कोक की जो मांग की गयी है उसकी मात्रा क्या है ;

(ख) अब तक इस दिशा में निर्धारित की गयी तथा संभरित मात्रा कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि कोयला सम्भरण न होने के कारण पंजाब में इंजीनियरिंग उद्योगों की इकाइयों को बहुत हानि पहुंची है तथा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को भी काफी धक्का पहुंचा है

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख) १९६३ के लिए पंजाब सरकार की आवश्यकताओं का अनुमान ८२८० गाड़ियां पत्थर के कोयले का था, परन्तु कोयला नियन्त्रक ने २९४९ गाड़ियां अलाट की हैं। जनवरी से जून १९६२ तक पंजाब को १५८० गाड़ियां पत्थर के कोयले की सम्भरण की गयी।

(ग) और (घ) यह सम्भव है कि कुछ औद्योगिक एककों को कुछ हानि हो जिनके बारे में पहले पता नहीं था कि पत्थर का कोयला न मिलने पर हानि होगी। परन्तु जहां तक सम्भव होता है समय समय पर तदर्थ अलाटमैन्ट द्वारा इस प्रकार की औद्योगिक एककों की सहायता की जाती रहती है।

पंजाब में बाल तथा समाज कल्याण कार्यक्रम

†२०१. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६२–६३ और १९६३–६४ के लिए पंजाब में बाल कल्याण तथा समाज कल्याण का कार्य करने वाली स्वयं सेवक संस्थाओं को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) जी हां

(ख) अपेक्षित विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–१३९८/६३।]

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए छात्रवृत्तियां

†२०२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत १९६२–६३ के वर्ष में पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को केन्द्रीय सरकार की ओर से दिये जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) इसकी राशि क्या है ; और

(ग) यह वर्ष के कौन से महीने में दी गयी थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क) अनुसूचित जातियां . . . ४,३९६

अनुसूचित आदिम जातियां ७७

(ख) अनुसूचित जातियां . . . १६,९२,११७ रुपये

अनुसूचित आदिम जातियां . . ३७,५७५ रुपये

(ग) छात्रवृत्तियां १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष में दी गयी थीं इसके लिए कोई विशेष मास निर्धारित नहीं था।

भास्कर पाड़ा कोयला खनन परियोजना

†२०३. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में भास्करपाड़ा कोयला खनन् परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो, वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य क्या है ;

(ग) क्या कुल निक्षेप का कुछ अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) परियोजना पर कुल व्यय की राशि कितनी होगी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में भास्कर पाड़ा खान के विकास के लिये परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें ५ लाख मीटरी टन प्रति वर्ष का उत्पादन लक्ष्य है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के निदेशक बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। कुल निक्षेपों का अनुमान ३१५ लाख मीटरी टन है जिसमें से १०५ लाख मीटरी टन का पता भी लग गया है। इस योजना पर प्रारम्भिक अवस्था में ३ करोड़ १० लाख रुपये के विनियोजित होने की सम्भावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंका को तेल का संभरण

†२०४. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने लंका को संसार भर के दामों से भी कम दामों पर तेल सम्भरण करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठमेा.

गुजरात क्षेत्र में पाइपलाइन

†२०५. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खान तथा इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात क्षेत्र में कोई पाइप लाइने बिछाने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां बिछाई जायेगी और इनकी संख्या क्या होगी ;

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) निम्न पांच पाइप लाइनों के बिछाये जाने की सम्भावना है ;

	लम्बाई
	किलो मीटर
(१) केम्बे–धूवरण — विद्युत केन्द्र	२६
(२) अंकलेश्वर— उत्तारण विद्युत केन्द्र	४२
(३) अंकलेश्वर— बड़ौदा गैस लाइन	६८
(४) अंकलेश्वर— बड़ौदा क्रूड आयल लाइन	६८
(५) बड़ौदा-अहमदाबाद— प्रोडक्टस लाइन	८५

(ग) १६३.८२ लाख रुपये

(घ) दिसम्बर १६६४

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी सेवा में गैर भारतीय लोग

†२०६. **श्री रामचन्द्र मल्लिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई १९६१ से लेकर ३० जून, १९६३ तक भारत सरकार ने प्रथम, द्वितीय और पीसरी श्रेणी के कितने पदों पर गैर-भारतीय लोगों को अपनी सेवाओं पर प्रशासनिक मंत्रालयों में नियुक्त किया ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्व-प्राइमरी शिक्षा

†२०७. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त कर पूर्व-प्राइमरी शिक्षा के लिए नयी पद्धति तैयार कर रही है, क्योंकि वर्तमान प्राइमरी शिक्षा में अत्यधिक बर्बादी (वेस्टेज) और गतिरोध हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्व-प्राइमरी शिक्षा का ढांचा क्या होगा ; और

(ग) क्या चुने हुए क्षेत्रों में नयी पद्धति लागू की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में टैक्निकल संस्थायें

२०८. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के जालोन और झांसी जिले के प्रधान स्थानों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से टेक्निकल संस्थायें स्थापित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितना धन खर्च किया जाने वाला है; और

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) झांसी में १९६० में एक पोलीटेक्नीक स्थापित किया गया था । जालौन में पोलीटेक्नीक शुरू करने का कोई सुझाव नहीं है ।

(ख) और (ग) झांसी पोलीटेक्नीक का तख़मीना, इमारत और साजसामान के लिए २२ लाख रुपये और आवर्ती एक साल का ३.३७ लाख रुपये है ।

गोहाटी में तेल शोधक कारखाना

†२०९. { **श्री प्र० च० बरुआ** :
श्री सिद्दय्या :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने की मिट्टी के तेल की इकाई को बन्द कर दिया गया है, यदि हां, तो कब से;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस इकाई के बन्द कर देने का क्या कारण है; और

(ग) इस कार्य को पुनः चालू करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां, इस इकाई ने अप्रैल, १९६३ से काम आरम्भ किया, इस बीच यह कई बार बन्द होती रही। अब यह २-२-१९६३, जो कि बन्द होने का सब से लम्बा अर्सा है।

(ख) एक्सप्रेसर्स में तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों में कुछ लम्बी खराबी होती रही है।

(ग) रूमानिया का एक विशेषज्ञ दल आजकल रूमानिया के पेट्रोलियम उपमंत्री के नेतृत्व में गोहाटी में इसका व्यापक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि इस मिट्टी के तेल की इकाई को सन्तोषजनक ढंग से चालू किया जा सके।

निवेली में तापीय केन्द्र

†२११. **श्री सेझियान** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव आया है कि निवेली के तापीय केन्द्र की क्षमता में वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो बिस्तार से यह क्या है; और

(ग) इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) :

निवेली के तापीय केन्द्र की क्षमता तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत २,५०,००० किलोवाट से बढ़ा कर, ४,००,००० किलोवाट कर दी जायेगी। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में इस क्षमता को ४,००,००० किलोवाट से बढ़ा कर ६,००,००० किलोवाट कर देने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के प्रस्तावों की पूर्व सूचनाओं के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : सर्वश्री त्रिदिब कुमार चौधरी और अ० क० गोपालन द्वारा कल प्रस्तुत किया गया स्थगन प्रस्ताव और पांच अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पांच ध्यान दिलाने की सूचनायें सभा के सम्मुख हैं। अब प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगे।

वायस आॅफ अमेरिका के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आल-इंडिया रेडियो के विदेशी प्रसारों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान पहले भी कई बार आकर्षित किया जा चुका था, और इस ओर ध्यान देना उस समय और भी

---

†मूल अंग्रेजी में

ज़रूरी हो गया जब १९६२ के अंतिम भाग में चीनियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, विशेषकर जब चीनी प्रसार सेवाओं के द्वारा विभिन्न भाषाओं में विभिन्न भारतीय प्रदेशों, सीमांत क्षेत्रों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ़्रीका के देशों में भी भारत सरकार के विरुद्ध गंदा और ज़हरीला प्रचार किया जाने लगा। नवम्बर, १९६२ में यह निर्णय किया गया कि उच्च शक्ति प्रसारक प्राप्त करने की दिशा में यह पता लगाया जाए कि जिन देशों से ऐसे प्रसारक मिल सकते हैं, क्या वे हमें उन्हें सुविधाजनक शर्तों पर देने को तैयार होंगे।

एक उच्च शक्ति-प्रसारक प्राप्त करने की संभावनाओं की खोज करने के लिये जो निर्णय किया गया था उसके अनुसार जो प्रारंभिक जांच पड़ताल की गई उससे यह पता लगा कि ऐसा प्रसारक केवल वायस आफ़ अमेरिका के पास है और वह जल्दी मिल भी सकता है। मार्च, १९६३ वॉयस आफ़ अमेरिका ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह सूचित किया कि किन्हीं शर्तों पर वह ऐसा प्रसारक देने को तैयार है। चूंकि चीनी प्रचार का निराकरण करने के लिए हमें एक उच्च शक्ति प्रसारक की सख्त ज़रूरत थी इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि पता लगाया जाए कि वायस आफ अमेरिका से हमें यह प्रसारक किन शर्तों पर मिल सकता है।

१९६३ के मार्च, से जून तक, समय समय पर, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के बीच बातचीत होती रही। जो प्रसारक भारत के नियंत्रण में होगा उसके द्वारा ब्वायस आफ़ अमेरिका के प्रसारण होने में कठिनता उपस्थित होगी, इसका अनुभव किया जा चुका था, फिर भी दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि बातचीत जारी रक्खी जाए और देखा जाए कि प्रसारक मिलने की क्या शर्तें सामने आती हैं।

दो तीन मौकों पर मुझ से सलाह ज़रूर ली गई मगर किसी भी दर्जे पर मैंने पूरे मामले पर गौर नहीं किया। फिर भी करार पर हस्ताक्षर करने के पहले इस मामले का ज़िक्र, संक्षेप रूप में, मुझसे किया गया और इस कारण मुझे इसकी जबाबदेही लेनी ही चाहिए।

इसके बाद जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार का क़रार हमारी सामान्य नीति और इच्छा के अनुरूप नहीं है और यदि हम इस पर आगे बढ़े तो भारत में ही भारत-अमेरिका सम्बन्ध विवाद का विषय बन जाएगा; साथ ही हम चीनी रेडियो के भारत विरोधी प्रचार का निराकरण करने में भी सफल न हो सकेंगे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमने इन मामलों को संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के साथ उठाया है और हमारी बातचीत इस पर चल रही है कि ऊपर बताई गई मुश्किलों का सामना किस तरह किया जाए। यह बातचीत अभी चल रही है। कोई भी निर्णय हो, वह निश्चय ही हमारी आधारभूत नीति के अनुरूप होगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): कुछ प्रश्नों के पूछने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: चाहे स्थगन प्रस्ताव हो या ध्यान दिलाने की सूचना, यदि हमें मालूम हो कि आगे इस विषय पर चर्चा होगी तो पहले ही उन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये १९, २० और २१ अगस्त, निश्चित कर दिये गये हैं। अगर उस पर चर्चा के दौरान इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई तब मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री प्रिय गुप्त: आपने कहा कि आपने जो नो कोनफिडेन्स मोशन एडमिट किया है और जिसके लिये आपने तीन दिन का समय दिया है; उसके सिलसिले में वाइस ऑफ अमरीका पर

---

†मूल अंग्रेजी में

बहस की जा सकती है। मगर सब पार्टियों का तो वह मोशन नहीं था। वाइस ऑफ अमरीका का मोशन तो कम्युनिस्ट पार्टी ने रखा था। हमने नहीं रखा। इस समय आप वाइस ऑफ अमरीका पर चर्चा करने का अधिकार किस प्रकार छीन सकते हैं। आपका यह विनिर्णय हम पर नहीं अपितु साम्यवादी दल पर लागू होता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कहने की इज़ाजत दीजिए। आप ज़रा बैठ जाइए। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो मोशन दिया गया था उसमें वायस ऑफ अमेरीका का ज़िक्र था।

श्री प्रिय गुप्त : वह तो ड्रापआउट हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कह लेने दीजिए। दूसरी जो तहरीक़ दी गई उसमें कोई हद नहीं लगायी गई, कोई रिजन्स नहीं दिए गए, उसमें कोई सबजेक्ट भी बाहर नहीं किया हुआ है। सिर्फ़ दो लाइन का मोशन है और मेरे अपने ख्याल से उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिये उसमें कोई मेम्बर कोई भी सबजेक्ट उठा सकता है। उसमें किसी किस्म की पाबन्दी नहीं है। जो मोशन कम्यूनिस्ट पार्टी का था उसके सपोर्ट में ५० आदमी खड़े नहीं हुए, इसलिये वह मूव नहीं हो सका, लेकिन जो मोशन एडमिट हुआ है उसमें कोई हदबन्दी नहीं है कि कौनसा सबजेक्ट लिया जाएगा। वह बगैर किसी लिमिटेशन के है, उसमें किसी खास सबजेक्ट का ज़िक्र नहीं और न कोई रीजन्स दिए गए हैं। उसको एडमिट किया गया है। उसके बारे में मैंने कहा है: मैं उस चर्चा के समाप्त होने तक उन्हें रोके रखूंगा। यदि उन पर उस चर्चा के दौरान चर्चा नहीं हुई तब मैं इसके लिए फिर अवसर दूंगा।

†**श्री प्रिय गुप्त :** समय बचाने के लिये मेरा यत्न अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वाइस ऑफ अमेरीका पर चर्चा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसलिए इसी समय हमें अवसर क्यों नहीं दिया जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा के सम्मुख अवसर प्राप्त होने पर कोई भी सदस्य उस पर चर्चा कर सकता है। यदि वह उस समय चर्चा नहीं करता तो फिर उसे और कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने जो रूलिंग दिया है उसको तो मैं मानता हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव सदन के सामने है वह स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए उसकी बहस शुरू होने के पहले इन दो चार दिनों में कोई चीज देश में हो जाए, वायस ऑफ अमरीका को छोड़ कर कोई दूसरी घटना किसी हड़ताल आदि के सिलसिले में हो जाए, वह चीज़ भी उसमें आवेगी या नहीं। अगर कोई ऐसी घटना देश में हो जाए तो उसके बारे में अलग से सवाल उठाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आपके इस रूलिंग से मेम्बरों का राइट काफी करटेल हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी हाईपाथिटिकल सवाल का जवाब देने के लिये तैयार नहीं हूं जो चीज़ मेरे सामने है उसका जवाब मैंने दिया। जब कोई नई घटना होगी तो उसके बारे में कहा जाएगा। अभी जो चीज़ सामने है उसका जवाब दे दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी : डिफेंस ग्रॉफ इंडिया रूल्स को किस नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है यह ग्राप उसमें एलाऊ करेंगे या नहीं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप बैठ जाइये ।

†**श्री कपूर सिंह :** श्रीमान् ग्रापके विनिर्णय के संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । किसी विषय पर चर्चा करना ग्रौर उस विषय के संबंध में जानकारी मांगना, इन दोनों बातों में ग्रन्तर है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिये । ग्रविश्वास प्रस्ताव के समय इन विषयों पर चर्चा होगी ग्रौर इस समय हम प्रधान मंत्री से केवल जानकारी चाहते हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : यही मैं भी कहना चाहता था । ऐसे विषयों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को एक प्रश्न पूछने की ग्राज्ञा दी जाती है, ग्रापने भी दी है ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** संभव है किसी दूसरे ग्रवसर पर, बाद में, मैं प्रश्न पूछने की ग्रनुमति दूं । माननीय सदस्य इसी समय इतने ग्रधीर क्यों हो रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुग्रा** (गोहाटी) : वे प्रश्न प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से संबंधित हैं; बाद को उनका प्रभाव ग्रौर शक्ति उतनी नहीं रहेगी ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** इस समय मेरा कथन यही है कि इसके लिये ग्रवसर मिलेगा । यदि उस ग्रवसर का उपयोग नहीं किया गया तो मैं इसके बाद प्रश्न पूछने का ग्रवसर दूंगा । चार दिन के विलम्ब से कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता ।

†**श्री नाथ पाई :** मेरा विचार है कि यदि इस समय कुछ संगत प्रश्न पूछने की ग्रनुमति दे दी जाये तो उनके उत्तरों के प्रकाश में ग्रविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा ग्रधिक उपयोगी होगी ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को यह समझ लेना चाहिये कि यह बात को दोहराना होगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ग्रविश्वास के प्रस्ताव को देने वाले दो तरह के लोग हैं । एक पछतावे के साथ दे रहे हैं ग्रौर दूसरों का मन पिछले पन्द्रह वर्ष से पका हुग्रा है । इसलिए यह जरूरी है कि यह ग्रविश्वास के प्रस्ताव की बहस बहुत बड़ी बड़ी व्यापक बातों पर रक्खी जाय । तीन दिन की बहस में यह तो बड़ा मुश्किल होगा जोकि मैं पहले कह दूं कि कुछ लोगों को ज्यादा मन पर रुकावट है ।

दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहनी है कि ग्रविश्वास का प्रस्ताव ग्राने में ग्रभी कुछ दिन हैं । बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे युद्धकोष पर ग्रौर युद्ध प्रयत्नों पर बड़ा प्रतिकूल ग्रसर पड़ रहा है । कल, परसों में हो सकता है कि मामला बहुत बिगड़ जाय ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** जब कोई मामला होगा तब देखा जायगा । मगर वायस ग्रॉफ ग्रमेरिका के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उस पर ग्रभी गौर किया जा रहा है । चार दिन की देर से उसमें कोई चीज नहीं बिगड़ जायेगी ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में :

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा पटल पर रखे जायें। श्री कृष्णमाचारी।

श्री बागड़ी : ऑन ए प्वाएंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री राम सेवक यादव : एक जानकारी के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं। प्रश्न सामने वायस ऑफ अमेरिका का था। क्या आपकी यह व्यवस्था दूसरे जो स्थगन प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में भी है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका जवाब आपको अलहदा मिलेगा। सबके जवाब में नहीं है। कइयों पर लागू होती है और कइयों पर नहीं होगी।

श्री राम सेवक यादव : आपने कहा कि कुछ घटनाएं घट रही हैं। बम्बई में जैसी महत्वपूर्ण घटना घट रही है उसका सुरक्षा प्रयत्नों पर असर पड़ रहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : अब इसमें कोई चीज़ नहीं ला सकते। अगर कोई चीज़ हुई हो तो आप उसे मेरे सामने लायें।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार): बम्बई के तीस हजार सिविल एम्पलाईज स्ट्राइक कर रहे हैं। यह बहुत ही अरजेंट मैटर है . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रिय गुप्त : सुरक्षा यत्नों पर इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रिय गुप्त अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, बम्बई की हड़ताल हाउस के सामने है। ऐडजोर्नमैंट मोशन उसके सामने आया। ३०,००० आदमी जो इस देश के सबसे पिछड़े हुए लोग . . .

अध्यक्ष महोदय : प्वाएंट ऑफ आर्डर आपका क्या हुआ ? आप सिर्फ अपना प्वाएंट ऑफ आर्डर बतलायें।

श्री बागड़ी : वाकयात बयान कर के मैं उसे बता रहा हूं क्योंकि तभी सदन उसे समझेगा . . .

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, सारे वाकयात को इस तरह से डिसकस नहीं करना चाहिए। यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। वह सीधे अपनी बात पर आजायें।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्वाएंट ऑफ आर्डर है कि सदन के सामने यह चीज़ आई हुई है कि ३०,००० लोग बम्बई में हड़ताल पर हैं। ४००, ५०० व्यक्ति वहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं। वहां पर काफी टेंशन है और हो सकता है कि वहां पर गोलियां चलने की नौबत भी आ जाय और ऐसी नाजुक घड़ी में देश की हालत बिगड़ जाय . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : कोई प्वाएंट ऑफ आर्डर नहीं है खाली मैम्बर साहब अपनी बात कहना चाहते थे। अब माननीय सदस्य बैठ जायं।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : श्रीमान् मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। नियम १९७ के अधीन जब कोई सदस्य ध्यान दिलाने की सूचना देते हैं तब उन्हें और दूसरे सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। अब आप नई प्रथा कायम कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह आप किस नियम के अधीन कर रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कोई नई प्रथा कायम नहीं कर रहा। यदि कोई स्थगन प्रस्ताव रखा जाये। तब उस सारे पर चर्चा होगी, ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा होने तक प्रतीक्षा की जाये क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि अभी उस संबंध में चर्चा चल रही है।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह वांछनीय नहीं होगा कि प्रक्रिया नियमों को कुछ सीमा तक तथ्य समझा जाये क्योंकि जिस समय हमने यह नियम बनाये थे उस समय हमें आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ रहा था। कम से कम जब अत्यधिक महत्व के प्रश्न पूछे जायें तब तो ऐसा किया ही जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हमें अवसर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कई बार कहा है कि यदि कोई सदस्य मेरे निर्णय से असंतुष्ट हों तो वे बाद को मुझसे आकर मिल सकते हैं। मुझे कुल तीस या चालीस सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यदि सूचनायें देने वाले सब सदस्य प्रश्न पूछना चाहें तो उनका उत्तर दिया जाना कहां तक संभव होगा।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मई-जून, १९६३ में कैनेडा, अमेरिका और ब्रिटेन यात्रा के बारे में एक वक्तव्य

†**वार्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मैं मई–जून, १९६३ में अपनी कैनेडा, अमेरिका और ब्रिटेन यात्रा के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३७८/६३।]**

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वायस आफ अमेरिका का मामला यह समझा गया कि वह खत्म हुआ इसलिए उसको मैं इस समय खत्म किये देता हूं। लेकिन अब एक दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उसके सम्बन्ध में है जोकि पढ़ा गया है?

डा० राम मनोहर लोहिया : दोनों के बीच में है। **[इंटरप्शन्स]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : दोनों के बीच में और कुछ नहीं आ सकता है। डा० लोहिया अब बैठ जायं और हाउस में जो विजनैस चल रहा है उसको आगे चलने दें।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आपका हुक्म मानता हूं, लेकिन मैंने आपकी नियमावली रात के दो बजे तक पढ़ी है और . . . **(इंटरप्शन्स)**

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखा

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** मैं १ सितम्बर, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखेसहित सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-१३७९/६३ ।]**

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, तथा सालारजंग संग्रहालय अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२७९ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६३ की एक प्रति।

(२) सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, १९६१ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३० में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय (संशोधन) नियम, १९६३।

(ख) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३१ में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल टी १३८०/६३-एल० टी० १३८१/६३ ।]

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनाओं तथा कोयला बोर्ड के लेखे के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** मैं —

(१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८०५ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४३ में प्रकाशित खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३।

(ग) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४२ में प्रकाशित खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, १९६३।

(२) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, कोयला बोर्ड के वर्ष १९६१-६२ के लेखे के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० १३८२/६३ एल० टी० १३८३/६३।]

समवाय अधिनियम के अधीन पत्र

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं—

समवाय अधिनियम (१) १९५६ की धारा ६१९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) वर्ष १९६१-६२ के लिए उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, लिमिटेड, बरहामपुर का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) वर्ष १९६१-६२ के लिए उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर के डायरेक्टर का प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल टी-१३८४/६३ एल टीं १३८५/६३।]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

†श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति से राज्य सभा के सदस्य को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव

†श्री त्यागी (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री नवाब सिंह चौहान के राज्य-सभा से त्याग-पत्र देने से हुई रिक्ति में ३० अप्रैल, १९६४ को

---

†मूल अंग्रेजी में

समाप्त होने वाली शेष अवधि तक इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सम्बद्ध करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री नवाब सिंह चौहान के राज्य सभा से त्याग-पत्र देने से हुई रिक्ति में ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली शेष अवधि तक इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सम्बद्ध करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य मन्त्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं .

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो १३ अगस्त, १९६३ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।**

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरे एक दो सुझाव हैं। एक तो इस प्रतिवेदन में चीनी के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय सभा के सम्मुख प्रस्तुत कार्यों के लिये ही निर्धारित किया गया है। यदि किसी अन्य विषय के लिये समय निर्धारित नहीं किया गया तो यह दूसरी बात है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिये केवल १४ घंटे रखे गये हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिये कम से कम २० घंटे रखे जायें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्री कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। यह एक ऐतिहासिक महत्व का विषय है . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय हम केवल समय के आवंटन के विषय में ही चर्चा कर सकते हैं। किसी विषय के गुणदोषों के सम्बन्ध में नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैररकपुर) : उनके दल का नेता समिति की बैठक में उपस्थित था। फिर पता नहीं क्यों प्रजासमाजवादी नेता इस पर आपत्ति उठाते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इस पर कम समय देना चाहते थे। मैंने हस्तक्षेप करके यह समय निश्चित किया है।

कार्य मंत्रणा समिति की स्थापना इसी काम के लिये की गई है कि वह समय निर्धारित करे और उसमें विभिन्न दलों के सदस्य भी इसीलिये सम्मिलित किये गये हैं कि यह यहां प्रश्न नहीं उठयें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा सर्वोच्च है और वह किसी भी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा कर सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा। मेरा कहना तो केवल यही है कि जब सब दलों के सदस्य समिति में उपस्थित रह कर समय के निर्धारण पे सहमत हो जाते हैं तो फिर उस प्रश्न को यहां नहीं उठाया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आचार्य कृपलानी का प्रस्ताव ऐतिहासिक महत्व का है। प्रधान मंत्री ने गत नवम्बर को जो प्रस्ताव रखा था उसी के समान महत्वपूर्ण यह प्रस्ताव भी है। इसलिये इस प्रस्ताव पर कम से कम एक सप्ताह तक चर्चा होनी चाहिये और या ऐसा किया जाये कि प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा किये जाने वाले भाषणों को इस तीन दिन के समय में सम्मिलित नहीं किया जाये।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, जब कल बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही थी तो मैं ही ऐसा आदमी था जो यह समझता था कि समय काफी नहीं है और ज्यादा समय मांगना चाहते हुए भी मैं ने अन्त में सभी लोगों के कहने के मुताबिक स्वीकृति दी। लेकिन आज की स्थिति में और कल की स्थिति में बड़ा अन्तर आ गया है। अभी जो यहां पर काम रोको प्रस्ताव...

अध्यक्ष महोदय : जो इन्होंने कहा है, इसी के बारे में आप...

श्री राम सेवक यादव : मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। आज की आपकी व्यवस्था के बाद कुछ घटनायें आज घट सकती हैं और कुछ सोलह तारीख को घट सकती हैं और उन सब को अविश्वास के प्रस्ताव के साथ जोड़ करके और उनको हैल्ड ओवर रख कर के यह समझना कि ये सब विषय उसके अन्दर आ जायेंगे, ठीक नहीं है। इससे जो मुख्य प्रश्न है, उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि या तो इस व्यवस्था को बदल दिया जाए कि जो तात्कालिक प्रश्न उठते हैं, उन पर तत्काल ही चर्चा हो जाए और निर्णय ले लिये जायें या फिर...

अध्यक्ष महोदय : आपकी तजवीज क्या है?

श्री राम सेवक यादव : मेरे दो सुझाव हैं। या तो आपने जो व्यवस्था दी है--

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैं दो नहीं कह रहा हूं।

श्री राम सेवक यादव : जो समय दिया गया है, यह एक वीक का कर दिया जाए यह सुझाव यहां पर रखा गया है...

अध्यक्ष महोदय : इनकी जो प्रोपोजल है, इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री राम सेवक यादव : उसी के बारे में मैं कह रहा हूं। जो समय निश्चित हुआ है उसके बारे हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन शर्त यह है कि जो अभी प्रश्न उठेंगे या उठे हैं, उन पर तत्काल निर्णय ले लिया जाए, उनका तत्काल फैसला हो जाए, उन पर तत्काल चर्चा हो जाए। यदि ऐसा होता है तो हमें कोई शिकायत नहीं है। वर्ना तो समय बढ़ा दिया जाना चाहये।

श्री त्यागी (देहरादून) : मुझे दुख है कि जो एक बात सबझौते से तय हो गई थी, उसके ऊपर इनको एतराज हो गया है, मेरे मित्रों को ऐतराज हो गया है। इन्होंने जो एक हफ्ते का प्रस्ताव रखा है, इसका मतलब यह है कि जो समझौता वहां हुआ था, उस पर ये कायम नहीं रहे। मैं माफी चाहूंगा अगर मैं यह कहूं कि मेरी पार्टी भी इस बात में आजाद है कि वह भीउस पर कायम रहे या न रहे। अगर एक हफ्ते का प्रस्ताव है...

श्री नाथ पाई : दरख्वास्त है।

श्री हरि विष्णु कामत : नम्र निवेदन है।

श्री त्यागी : मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी को भी इसके बारे में पूरी छूट मिलनी चाहिये। मेरी राय है कि तीन दिन को घटा कर दो दिन कर दिया जाना चाहिये।

श्री नाथ पाई : बहस से क्यों डरते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कामत का एक संशोधन है।

†**श्री कामत :** मैं इस पर जोर नहीं दे रहा। मैं इसे पूर्णतया आप पर और सभा पर ही छोड़ता हूं।

†**श्री त्यागी :** उस अवस्था में मैं भी वापिस लेता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो १३ अगस्त, १९६३ को सभा में उपस्थापित किया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रधान मंत्री जी से एक निवेदन है। बहुत से लोग बाहर आये हुए हैं। वह जाकर उनसे मिलें और उनकी बात सुन लें...

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। बाहर जो कुछ होता है उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्त्र समिति विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दी० चं० शर्मा : अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : खंड ८ में तीन समितियों की स्थापना का उल्लेख है। मैं समझता हूं कि एक ही समिति पर्याप्त होगी । आवश्यकता पड़ने पर अन्य तदर्थ समितियों की स्थापना की जा सकती है ।

खंड ९ के अधीन नियुक्तियों के विषय में सारी शक्तियां केन्द्र सरकार के पास हैं। मेरा निवेदन है कि यह कार्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाये जिससे भ्रष्टाचार के लिये स्थान न रहे।

खंड ११ में अधिकारियों को सम्पूर्ण शक्ति दे दी गई है। यह प्रजातंत्रीय व्यवस्था में उचित नहीं है । निरीक्षकों की यह असीमित शक्ति समिति के कार्य सम्पादन के लिये उपयोगी नहीं होगी।

खंड १४ के अनुसार समिति अपनी शक्तियां समिति के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी । मैं शक्ति के प्रतयोजन के पक्ष में हूं किन्तु यह शक्ति का वास्तविक प्रत्यायोजन नहीं अपितु यह उन्हें उप-तानाशाह की शक्तियां देता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

अब मैं खंड १७ पर आता हूं। इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले को एक वर्ष की सजा दी जा सकेगी अथवा अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा अथवा दोनों सजायें दी जा सकेंगी। अर्थ दण्ड की मात्रा भी निश्चित नहीं की गई । यह सजा कम है। मेरे विचार में कम से कम तीन वर्ष की कैद और १०,००० रुपये का जुर्माना होना चाहिये ।

खंड १८ में यह उपबन्ध है, कि अपराधी व्यक्ति पर अभियोग चलाया जाये। किन्तु अन्य उपबन्धों से इस खंड के उपबन्ध शून्य हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि इस खंड के उपबन्धों को अधिक स्पष्ट कर दिया जाये ।

अब मैं खंड २२ पर आता हूं। यद्यपि हम हर विधेयक में नियम बनाने के लिये शक्ति प्रत्यायोजित करते हैं किन्तु इस विधेयक में हर बात नियम बनाने वाले अधिकारियों पर ही छोड़ दी गई है। सदस्यों की संख्या के विषय में तो, कम से कम इस विधेयक में उपबन्ध किया जाना चाहिये था। यह विधेयक अत्यन्त अस्पष्ट है। अधिकारी नियम और उपनियम बनायेंगे और इस प्रकार इस विधेयक का आशय लगभग शून्य हो जायेगा ।

इस विधेयक के उद्देश्य बहुत ऊंचे हैं। सभा का प्रत्येक सदस्य इस विधेयक का स्वागत करेगा जिसके द्वारा हमारे कपड़े और कपड़ा बनाने वाली मशीनों को प्रोत्साहन मिलेगा। किन्तु मेरा विचार है कि इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने वाली वस्त्र समिति अत्यन्त दोषपूर्ण है । मेरी इच्छा थी कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाता जिससे कि यह यथासम्भव पूर्ण बन सकता। इस समय इस में इतनी कमियां हैं कि इसके उपबन्धों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वस्त्र समिति की स्थापना इस लिये की जा रही है कि वस्त्रों की किस्म और अच्छी हो और विदेशी बाजारों में उनकी मांग

---

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ाई जा सके। किन्तु श्रेणी के निरीक्षण के लिये यह आवश्यक है कि समिति में कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व मिले जो कि वस्त्र की भी श्रेणी के विषय में अधिक जागृत हैं।

दूसरी बात यह है कि उत्पादन की किस्म के निरीक्षण और स्तर को बढ़ाने के बहाने वस्त्रों का मूल्य बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। २० जुलाई के "कामर्स' में इस संबंध में कुछ उल्लेख हैं। वस्त्र का मूल्य पहले ही बहुत अधिक बढ़ चुका है। यदि इसका मूल्य और अधिक बढ़ गया तो देश के आन्तरिक बाजार में स्थिति खराब हो जायेगी जिस से सम्पूर्ण उद्योग को काफी क्षति पहुंचेगी।

तीसरी बात यह है कि काफी समय से नियोक्तागण मजदूरों को हानि पहुंचाकर परिव्यय को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु हमारे देश में पहले ही बेरोजगारी की समस्या है। मेरा सुझाव है कि वस्त्रों के उत्पाद की किस्म में सुधार करने और निर्यात को बढ़ाने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाये। इस सुझाव के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन** (कोयम्बटूर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान इस विधेयक द्वारा वस्त्र उद्योग में किस्म नियंत्रण लागू किया जायेगा। यदि इस उद्योग में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। किन्तु इस उद्योग को देश में कुछ सीमा तक संरक्षण प्राप्त है और देश के अन्दर भी मूल्य काफी ऊंचे हैं इसलिये उद्योग को यह आवश्यकता अनुभव नहीं हुई कि वस्त्रों की किस्म अथवा मूल्य स्तर को बनाये रखने का प्रयास करता। यह कार्य अब सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वस्त्र उद्योग में काफी प्रगति हुई है। वस्त्र बनाने की मशीनों के क्षेत्र में भी कई सुधार हुये हैं। अब मशीनें पहले से अधिक तेजी से चलती हैं। ऐसी मशीनों के निर्माण के लिये प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में भी प्रगति होनी चाहिये।। इसीलिये इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि गवेषणा संकेन्द्रित रूप में हो। व्यक्तिगत रूप में भी गवेषणा की जा सकती है, किन्तु सीमित रूप में। इसके अतिरिक्त यह समिति बाहर के देशों से नवीनतम जानकारी प्राप्त कर उसे मशीन-निर्माताओं, वस्त्र-निर्माताओं, यहां तक कि छोटे निर्माताओं को भी उपलब्ध करा सकेगी।

वस्त्र के निर्यात में प्रगति नहीं हो रही। इसके कई कारण हो सकते हैं। उन में से एक यह भी है कि विदेशी क्रेता को संतोषजनक किस्म का माल नहीं मिलता। वस्त्र समिति की स्थापना से यह समस्या हल हो जायेगी। समिति वस्त्रों की किस्म का निरीक्षण करेगी और उसके विषय में प्रमाणपत्र देगी। और समिति की गारन्टी पर निर्माता की गारंटी से अधिक विश्वास किया जा सकेगा।

इस समय वस्त्र उद्योग के सहयोग के लिये भारत में तीन गवेषणा संस्थायें हैं। मुझे आशा है कि समिति इस क्षेत्र में कार्य करते समय इन विद्यमान संस्थाओं को भी महत्व देगी। प्रस्तुत सुविधाओं का प्रसार करना नई सुविधाओं की स्थापना करने से अधिक सरल है। मुझे आशा है कि समिति इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कच्चे माल की भी अच्छी किस्म उपलब्ध हो।

इस समित के गठन की व्यवस्था संतोषजनक है। मुझे हर्ष है कि सरकार समिति को नाम निर्देशित करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पी० रा० रामकृष्णन्]

खंड १८(२) में यह उपबन्ध है कि यदि किसी समवाय के डाइरेक्टर आदि की सहमति से, अथवा उनकी जानकारी में नियमों का उल्लंघन किया जाये तो उन पर अभियोग चलाया जा सकेगा। यह उपबन्ध बहुत सख्त है । यद्यपि खंड १९ में यह कहा गया है कि कोई भी अभियोग केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं चलाया जा सकेगा। इससे संबंधित व्यक्ति के लिये अपील करने की गुंजाइश हो जाती है ।

मेरा यह भी सुझाव है कि वस्त्र उद्योग और वस्त्र बनाने वाली मशीनों के निर्माण संबंधी उद्योग से संबंधित व्यक्ति ही इस समिति के सदस्य चुने जायें ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर)** : इस विधेयक का समर्थन करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मेरी कुछेक बातों का स्पष्टीकरण करें।

मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक जिस रूप में हमारे सामने है अधुरा है। इस में बहुत सी बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है। इस विधेयक द्वारा एक बोर्ड अथवा समिति बनाई जायेगी जिसे उल्लिखित उद्देश्यों के लिये शक्तियां प्रदान की जायेंगी। परन्तु इस मंत्रालय के अधीन पहले ही बहुत से बोर्ड हैं जो वस्त्र उद्योग सम्बन्धी विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे हथकरघा बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, आदि। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित बोर्ड अथवा समिति के ठीक ठीक क्या कृत्य होंगे। प्रस्तावित बोर्ड वर्तमान बोर्डों के साथ किस प्रकार कार्य करेगा इसे स्पष्ट करना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, मुझे इन बोर्डों के आयव्ययक तैयार करने के बारे में आपत्ति है। इन समितियों को यह शक्ति प्राप्त है कि फीस इकत्रित कर सकती हैं, लोगों से अनुदान प्राप्त कर सकती हैं, निर्यातकों की किसी प्रकार सेवा करके उनसे धन प्राप्त कर सकती हैं, आदि आदि। वित्तीय दृष्टि से ऐसा करना वांछनीय नहीं है। मेरा सुझाव है कि इन बोर्डों द्वारा एकत्रित धन राजकोष को जाना चाहिए और इन्हें जब भी धन की आवश्यकता पड़े यह भी राजकोष ही से प्राप्त करें।

प्रस्तावित बोर्ड के सदस्य कितने होंगे, वह कहां से लिये जायेंगे, आदि का वर्णन परिनियम में कर दिया जाना चाहिए ।

प्रस्तावित बोर्ड की रचना एवं कृत्यों आदि का वर्णन स्वयं विधेयक में होना चाहिए था।

निर्यात बढ़ाने के लिये आज हम प्रशंसाजनक कार्य कर रहे हैं। निर्यात के लिये कुछ अभिकरण स्थापित किये गये हैं। परन्तु वह अभिकरण इस प्रस्तावित बोर्ड के अधीन कार्य करेंगे अथवा इसके अतिरिक्त कार्य करेंगे, इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है ।

मशीनरी के निर्माण के बारे में हमने निसन्देह काफी प्रगति की है परन्तु अब भी कुछ त्रुटियां हैं । इस उद्योग के लिये आधुनिकतम मशीनरी उपलब्ध की जानी चाहिए तभी यह सन्तोषजनक परिणाम दे सकती है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस बात का भी स्पष्टीकरण करेंगे कि हर प्रकार की आवश्यक मशीनरी हम प्राप्त कर रहे हैं।

इस प्रकार जब हम इस विधेयक को देखते हैं, तो इस में बहुत सी कमियों का भास होता है। प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है परन्तु इसे ठीक तरह से तैयार नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तावित समिति की रचना होने पर हमारे कपड़े की किस्म में सुधार होगा और इस क्षेत्र में हम चीन और जापान के मुकाबले में अधिक अच्छा माल तैयार कर सकेंगे।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ कपड़ा मिलों की हालत की ओर, विशेषकर उत्तर प्रदेश की कपड़ा मिलों की हालत की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। कानपुर को भारत का मानचैस्टर कहा जाता था परन्तु वहां की कपड़ा मिलों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इन मिलों में मशीनरी बहुत पुरानी है जिस के कारण इन का कार्य करना असंभव हो रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों ने ऋण और तकनीकी सहायता के लिये सरकार से आवेदन किया है ताकि वह अपनी मिलों का आधुनिकीकरण कर सकें, निर्यात के लिये अधिक कपड़ा तैयार कर सकें, और बम्बई एवं अहमदाबाद के समान बढ़िया किस्म का कपड़ा तैयार कर सकें।

कानपुर कपड़ा मिलों की स्थितियों का निरीक्षण बहुत सी समितियो ने किया है परन्तु उनके प्रतिवेदनों को कार्यान्वित नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये आप सम्पूर्णानन्द समिति को लीजिए। जो सुझाव इस समिति ने मजदूरी बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने, आदि के बारे में दिये थे उनको मिल मालिकों द्वारा स्वीकार ही नहीं किया गया। अतः मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाय। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री राज्य सरकार से कहें कि वह प्रभाव डाल कर इस प्रतिवेदन को कार्यान्वित करवायें।

विधेयक में प्रस्तावित समिति के बारे में भी मेरा एक सुझाव है वह यह कि एक मजदूर प्रतिनिधि भी इस समिति में लिया जाना चाहिये यह आश्चर्य की बात है कि प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की योजना को वस्त्र उद्योग में लागू नहीं किया जा रहा है। प्रस्तावित समिति कपड़ा मिलों के अधिक कुशलता से काम करने, कपड़े की किस्म में सुधार लाने, आदि संबंधी परामर्श देगी, इसलिये कोई कारण नहीं है कि इस में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि न लिया जाय। श्रमिकों के प्रतिनिधियों को मैं स्वयं मिला हूं और मने देखा है कि वह वस्त्र उद्योग के बारे में हर प्रकार का ज्ञान रखते हैं। इसलिये समिति में यह लोग बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की कपड़ा मिलों की बम्बई आदि की मिलों के साथ प्रतियोगिता है परन्तु उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो बिजली का खर्चा अधिक है। कई बार उत्तर प्रदेश की कपड़ा मिलों ने राज्य सरकार से और केन्द्रीय सरकार से बिजली का शुल्क कम करने के लिये कहा भी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस बारे में क्या पग उठाया गया है।

अन्त में मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार कपड़ा उद्योगपतियों के प्रभाव में आ कर कहीं कपड़े के मूल्य न बढ़ा दें। कपड़ा भी एक आवश्यक वस्तु है। सरकार मूल्यों का स्तर बनाये रखने का भरसक यत्न कर रही है। अतः कपड़ के मूल्य कदापि नहीं बढ़ने चाहिए, वरना जनता में बहुत रोष उत्पन्न होगा।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड़-उत्तर) : प्रस्तुत विधेयक में कपड़ा समिति गठित करने का प्रस्ताव है जो कपड़े की किस्म, मशनरी के निर्माण, आदि की ओर ध्यान देगी। परन्तु मेरा सुझाव है कि हथकरघा उद्योग भी इस के क्षत्राधिकार में होना चाहिए। कई कपड़ा एककों

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सरोजिनी महिषी]

को समय पर धागा उपलब्ध नहीं किया जाता और सुसंगठित बाजारों का भी अभाव है। मैसूर राज्य के कुछ भागों में हथकरघा बुनकरों को धागा प्राप्त करने में और कपड़ा बेचने के लिये उचित बाजारों के बारे में अधिक कठिनाई का अनुभव हो रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित समिति ऐसे बुनकरों की कठिनाईयो को दूर करने में समर्थ हो सके।

युद्ध से पूर्व हम बहुत सा कपड़ा आयात किया करते थे परन्तु अब आयात किये जा रहे कपड़े की मात्रा बहुत कम रह गई है। इसके साथ ही साथ देशीय श्रमिकों को प्रोत्साहन और संरक्षण देना आवश्यक है। ऐसा तभी हो सकता है यदि उत्पादक और उपभोक्ता के आपसी संबंध सुधरें और वह एक दूसरे को समझें। सूती कपड़ा अध्यादेश निधि के अधीन जो समिति गठित हुई थी उसने इस क्षेत्र में कुछ काम किया था परन्तु इस समिति का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित था, जब कि प्रस्तावित समिति का क्षेत्राधिकार रेशम, सूत, आदि सभी प्रकार के कपड़ों तक होगा। उस की शक्तियां भी अधिक होंगी। इसलिये आशा है कि यह समिति बहुत अच्छा काम कर सकेगी।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे राज्य में सहकारी कातने तथा बुनने की मिलें आशा के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं। न तो यह प्रत्येक प्रकार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकीं हैं और न ही अधिक लोगों को काम दिला सकीं हैं। काफी वर्ष काम करने के पश्चात् भी वह घाटे में जा रही है। दूसरी ओर कारखाना अधिनियम अथवा श्रम कल्याण नियमों के अनुसार जो आवश्यक सुविधायें श्रमिकों को मिलनी चाहिए वह गैर-सरकारी उपक्रमों में उन्हें नहीं दी जा रही हैं।

जो कपड़ा निरीक्षणालय नियुक्त किया जा रहा है उसका मिल मालिकों और कपड़ा बुनकरों की अन्य संस्थाओं ने स्वागत तो किया है परन्तु वही लोग इसकी ओर से किये जाने वाले निरीक्षण को पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि वह श्रमिकों को उचित सुविधायें आदि नहीं देना चाहते। मुझे आशा है कि यह प्रस्तावित समिति श्रमिकों को उचित सुविधायें दिलाने में समर्थ और सफल होगी और साथ ही साथ सहकारी मिलों का तकनीकी पथ-प्रदर्शन भी करेगी। इस समिति को बहुत सी शक्तियां प्राप्त होंगी और इसका क्षेत्राधिकार भी अधिक बड़ा होगा। हमें आशा करनी चाहिये कि यह बहुत सी कमियों को दूर करने में सफल होगी।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि यह समिति देश के लिये बहुत बड़ा काम करेगी।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : यह विधेयक उपयुक्त समय पर लाया गया है। इससे भारतीय कपड़े और कपड़े बनाने वाली मशीनरी की किस्मों में सुधार होगा। इसलिये मैं इसका स्वागत करना हूं। निर्यात बाजारों में भारतीय माल की स्पर्धा बढ़ रही है। विशेषकर जापान और चीन प्रतियोगी हैं। इसलिये ऐसी प्रस्तावित समिति की और भी आवश्बकता है। स्वत्रं मिल कालिकों की संस्था ने एक स्वतंत्र निरीक्षणालय का स्वागत किया है। सूती कपड़ा निधि समिति को समाप्त करके नई समिति बनाई जायेगी। इस नई समिति की शक्तियां और क्षेत्राधिकार और कृत्य सब स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे। यह एक परिनियत निकाय होगा। हमें पूर्ण आशा है कि सभी प्रकार के कपड़े का किस्म इस समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। इस नये प्रस्ताव में किस्म नियंत्रण पर अधिक ज़ोर

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है। हम जानते हैं कि किस प्रकार आजकल प्रत्येक देश द्वारा किस्म नियंत्रण की आवश्यकता को समझा गया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिये यह अत्यावश्यक महत्व की बात है।

इस विधेयक का खंड ३ कपड़ा समिति के गठन से सम्बन्धित है। मेरा सुझाव है कि व्यापार तथा उद्योग के कुछ प्रतिनिधि भी इस में अवश्य होने चाहिए।

खंड १७ (१) के बारे में मेरा सुझाव है कि किस्म निर्धारित करने वाले अभिकरण की शक्तियां अधिक सीमित नहीं होनी चाहियें।

खंड १७, (२) न्यून स्तर, के माल के बेचने और निर्यात करने के लिये दण्ड से संबंधित है। उपखंड में, मद (१) में जो दण्ड निर्धारित है उसके बारे में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है परन्तु उसके पश्चात्मद (२) में जिस दण्ड का उपबन्ध है उसकी मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार खंड १८ (२) में जिस दण्ड का उपबन्ध है, वह भी अनावश्यक है। इसका परिणाम यह होगा कि लोग संचालक का पद ग्रहण करने से हिचकिचायेंगे। जहां तक दण्ड का संबंध है मैं चाहूंगा कि वह इस प्रकार का होना चाहिये कि उससे उद्योग चलाने वालों और सरकारी निरीक्षकों में आपसी सदभाव बढ़े। मैं अधिक कड़े दण्ड के पक्ष में नहीं हूं। केवल अधिक कड़े दण्ड के उपबन्ध से समस्या का समाधान होना कठिन होता है।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत करते हुए मैं इसकी शब्दावली की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि यदि इस शब्दावलि में कुछ हेर फेर न किया गया तो कुछ व्यवहारिक और वैधानिक कठिनाइयां पैदा हो सकतीं हैं।

पृष्ठ ८ पर कम्पनी की डेफीनीशन इस प्रकार दी गई है

> "समवाय" का अर्थ एक निगमित निकाय है और एक धर्म अथवा व्यक्तियों की अन्य संस्था भी इस के अर्थ में शामिल हैं।"

जहां तक अब तक की जानकारी का सम्बन्ध है कम्पनी में कानूनी तौर पर लिमिटेड कम्पनी या कोआपरेटिव सोसाइटी शामिल हो सकती हैं, किन्तु कोई फर्म एसोसियेशन आफ इंडीवीजुअल्स कम्पनी में शामिल हों यह उल्लेख कानूनी दायरे से बाहर है। इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस विषय पर वह प्रकाश डालने की कृपा करें। कारपोरेट सेक्टर में यदि इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी तो इसमें कठिनाई पैदा होने की आशंका है।

धारा १८ में जो कम्पनी को शामिल किया गया है वह ठीक है लेकिन जहां तक उनको दंड देने का प्रश्न है, जो दंड का विधान पृष्ठ ७ के ऊपर धारा १७ में है वह इस प्रकार है :

> "पहले अपराध के लिये एक वर्ष तक कैद की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों"
>
> "दूसरे अथवा उसके बाद के अपराध के लिये एक वर्ष कैद की सजा और साथ जुर्माना भी।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशीराम गुप्त]

तो कम्पनी पर फाइन तो लागू हो सकता है, उसके डाइरेक्टर्स या अन्य लोगों पर सजा और फाइन दोनों लागू हो सकते हैं। लेकिन किसी कम्पनी पर सजा भी लागू हो सकती है यह समझ में नहीं आता। चूंकि धारा १८ में कम्पनी को भी शामिल किया गया है और इस में सजा का विधान है इसलिए यदि इसमें सुधार न किया गया तो कठिनाई की सम्भावना है।

तीसरे जो पीनल सेक्शन है उस में सभी लोग आ जाते हैं। वास्तव में यह बिल केवल टैक्स्टाइल की मैशिनरी के लिए लागू किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अब डीलर्स में बहुत से लोग आ जाते हैं। रिटेल डीलर भी आ जाते हैं। अगर उत्पादक के साथ डीलर को भी पकड़ा जाएगा तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। यह ठीक है कि धारा १८ में लिखा है कि जो यह साबित कर सकेगा कि उसका उससे सम्बन्ध नहीं है तो उस पर यह लागू नहीं होगा। लेकिन अच्छा होता कि स्पष्ट तौर से यह लिख दिया जाता कि धारा उत्पादकों और उनसे सम्बन्धित लोगों पर लागू होगी और इससे आगे जो कपड़ा पकड़ा जाना है उसका सम्बन्ध मिल से होगा न कि डीलर से। इस नुक्स को ठीक किया जाए तो ठीक रहेगा।

पृष्ठ तीन पर जो "टैक्स्टाइल्स" लिखा है उसके सारे प्रासेस उस में शामिल होने चाहियें क्योंकि टैक्सटाइस पूरा होने के बाद ही होता है। इसलिये इसमें मिल के अन्दर जो प्रासेस होगा उसको साफ तौर पर से लिखा जाना आवश्यक है।

पृष्ठ ३ पर जो उपधारा एच है उसमें लिखा है

> "कपड़े के निर्माताओं और व्यापारियों से उपरयुक्त उद्देश्यों में से किसी एक के लिये आंकड़े एत्रित करना।"

जैसा मैं ने पहले निवेदन किया उत्पादकों के साथ डीलर्स को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इतने आंकड़े इकट्ठा करना सम्भव नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें उत्पादक के सेल्स एजेंट को शामिल कर सकते हैं। इस में से डीलर्स को निकाल देना चाहिये।

वास्तव में जो टैक्स्टाइल्स है वह स्वयं ही वे बहुत ही पेचीदा बात है। मुस से पहले श्री शराफ ने तो बताया है कि उसके लिए अनेक बोड बने हैं। किन्तु इसको भी इस में लाया गया है। इसलिये मेरा कहना है कि यह बहुत ही विचारणीय विषय है।

यह जो कमेटी बनी है इस में जो चेयरमैन रखा गया है उसकी व्याख्या नहीं की गयी है कि यह चेयरमैन किस प्रकार का होगा। क्या सरकार कोई आइ० ए० एस० अफसर बिठा देगी या वह कोई टैकनिकल आदमी होगा और उसकी क्या क्या योग्यता होगी यह इसमें नहीं बताया गया है। इसके साथ साथ इसमें मेम्बरों की तादाद भी नहीं लिखी गयी है। कम से कम यह तो लिखना चाहिये था कि इसमें इतने मेम्बर होंगे। यह भी बताने की कृपा करें कि ये मेम्बर सरकारी ही होगे कि बाहर के लोग भी इनमें होंगे जिनको इस विषय का यथेष्ट ज्ञान हो।

अभी मुझ से पहले माननीय मित्र श्री एस० एम० बनर्जी ने एक बात की तरफ़ ध्यान दिलाया था कि जो मजदूरों की यूनियंस हैं उनके जो तजुर्बेकार लोग हैं वे भी इस में काम दे सकते हैं। यह बिलकुल सही बात है लेकिन वह तभी हो सकता है जब कि विशेष तौर से यह निर्धारित कर दिया जाय कि अमुक अमुक अनुभव प्राप्त आदमी हों। केवल वे पदाधिकारी हो जांय इससे काम नहीं चलता है। उसमें यदि केवल पदाधिकारी आयेंगे तो उस के कारण वहां की

राजनीति आने की सम्भावना है । इसलिये वे लोग अनुभवी हों और एक अनुभव का मापदंड हो इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है ।

अन्त में मैं मंत्री महोदय का ध्यान टैक्स्टाइल कमेटी बिल के पेज ५ पर ११(१) क्लाज़ में लिखे शब्दों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं :—

समिति आवेदन किये जाने पर, अथवा अन्यथा, कपड़े की किस्म का निरीक्षण करने के लिये अथवा निर्माण के समय प्रयोग में लाई जाने वाली कपड़ा मशीनरी अथवा प्रयोग में लाई जा रही मशीनरी की उपयुक्तता का निरीक्षण करने के लिये किसी विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी को समिति का प्रतिवेदित करने के लिये आदेश दे सकेगा ।"

अब जहां तक टैक्सटाइल मशीनरी की बात है वह तो सही है लेकिन जहां तक टैक्सटाइलस की क्वालिटी या सूटैबिलिटी का सवाल है वह उस के सारे प्रासैस में देखेगा अथवा केवल जो उसका आखिरी प्रोसेस होगा, उस को देखेगा, इस के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है । इसलिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बारे में रूल्स में नियमों में प्रोवाइड किया जाय, समाविष्ट किया जाय अथवा यहां पर लिखा जाय । अगर यहां पर इस बारे में लिखा जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यहां लिखना ज्यादा अच्छा होगा कि टैक्सटाइल के इंसपैक्शन के मतलब क्या होंगे ? उस के सब प्रोसैसज को देखेंगे अथवा उन के पूरी तौर से पूरा होने के बाद ही देखेंगे ? यह तय होना इसलिये जरूरी है कि टैक्सटाइल में अनेक बातों का समावेश है । उस में क्वालिटी का समावेश है, डिजाइन का समावेश है और भी बहुत सी बातें उस में आती हैं । चूंकि इस का केवल एक्सपोर्ट ही नहीं होता है अपितु देश के अन्दर भी इस की खपत होती है इसलिये यह एक और भी बड़ी समस्या हो जाती है । हमारी हजारों तरह की डिजाइन हैं, हजारों तरह की क्वालिटीज हैं । उन का निर्धारण करना और फिर एक स्टैण्डर्ड बनाना बहुत बड़ी समस्या हो जायेगी । इसलिये, उस समस्या के बारे में नियम बनाते समय बहुत कुछ देखना पड़ेगा ।

मैं ने इस सम्बन्ध में कानून की कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां बतलाई हैं । एक वैधानिक आपत्ति कानून की है अगर वह यह है कि कम्पनी ला के अन्दर अभी तक जितने भी कानून बने हैं उन में यह फर्म इत्यादि शब्द नहीं आता है । वह बिल्कुल अलग है । अच्छा होता कि फर्मों के लिये एक अलग उपधारा बनाई जाती जिस से यह कानूनी अड़चन आगे चल कर हम को पेश न आती और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में या अन्य किसी अदालत में इस अड़चन का मुकाबला न करना पड़े । बस मुझे इतना ही निवेदन करना था । धन्यवाद ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित समिति को खंडीय आधार पर बनना चाहिये और संगठित श्रमिकों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों के प्रतिनिधि इस में लिये जाने चाहिये । सदस्यों की संख्या घोषित कर दी जानी चाहिये थी । देश के सभी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को इस समिति में स्थान दिया जाना चाहिये ।

यह समिति वर्तमान मशीनरी में भी सुधार लायेगी । मेरा सुझाव है कि नई मशीनरी के लिए पहले से ही श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

14 hrs.

[श्री प्रिय गुप्त]

इस समिति के गठन से जो पुरानी समिति समाप्त होगी उस के कर्मचारियों को आयु आदि में ढील दे कर भी नई समिति में लिया जाना चाहिये ।

रंगाई के प्रश्न पर भी इस समिति को पथ प्रदर्शन करना चाहिये ताकि सहकारी समितियां और हथकरघा उद्योग उस से लाभ उठा सकें ।

इस समिति के कार्यों में समन्वय लाने के लिये सारे देश में खंडीय आधार पर उपभोक्ता प्रतिनिधि समितियां होनी चाहियें ।

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : माननीय सदस्यों ने एकमत हो कर जो इस विधेयक का समर्थन किया है उस के लिये मैं उन का आभारी हूं । इस विधेयक को सभा में लाने से पूर्व मुझे इस के बारे में कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों आदि से भी चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस देश का और उद्योग का सौभाग्य है कि सभी प्रकार के लोग प्रस्तुत विधेयक के सभा में लाये जाने के बारे में एकमत थे ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार के कपड़े की किस्म के बारे में देश में जागरूकता लाई जाय । गत वर्षों में कई प्रयास किये गये, निरीक्षण प्रयोगशालायें भी स्थापित की गई ताकि भारतीय कपड़े की किस्म को सुनिश्चित किया जा सके । यह विधयक एक अधिक विस्तृत प्रकार का है और लगभग सभी प्रकार के वस्त्र इस के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं ।

हमें ज्ञात है कि भारत विश्व भर के बड़े बड़े सूती कपड़ा उत्पादकों में से एक है । गत १६ वर्षों में कपड़े के क्षेत्र में हम ने इतनी प्रगति की है कि आज संसार भर में सब से अधिक संख्या में सूती कपड़े की खड्डियां हमारे देश में हैं । यह खड्डियां लगभग १५५ लाख हैं । तृतीय योजना में २० से ३० लाख खड्डियां और लगेंगी जिन से भारतीय कपड़ा उद्योग सब से बड़ा हो जायेगा ।

यह सच है कि अन्य देशों में मिश्रित और हाथ से बने वस्त्र अधिक बनते हैं और यदि आप तस्वीर के इस पहलू को देखें तो स्वभावतः हमारा नाम विश्व में पहला नहीं होगा । परन्तु जहां तक सूती कपड़े का सम्बन्ध है हमारा स्थान अद्वितीय है और जापान भी हमारी तुलना में ६६ प्रतिशत ही निर्माण करता है । अमरीका का स्थान काफी नीचे है । यह मैं स्थिति की अविलम्बनीयता और इस समिति के समक्ष कितना वृहद काम है यह बताने के लिये बता रहा हूं यदि हम अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह समिति समुचित प्रकार से गठित हो सभी सदस्यों द्वारा दिये गये, सुझाव सरकार द्वारा सामने रखे जायेंगे । उस उद्योग में सभी प्रकार के लोग हैं : तकनीकी लोग श्रमिक संघ, अनुसन्धान करने वाले और अर्थ शास्त्री हमारा यह प्रयत्न होगा कि यह एक सक्षम और उच्च शक्ति प्राप्त समिति बने ।

गत अधिवेशन में मैं (निर्यात निरीक्षण तथा किस्म नियंत्रण) विधेयक लाया था जिस का उद्देश्य यह था निर्यात करने से पूर्व सभी तरह के माल का निरीक्षण कर लिया जाय । इस मामले में हम ने आंतरिक और विदेशी सभी प्रकार के व्यापार को ले लिया है । यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि समय बीतने पर देश में आन्तरिक उपयोग के लिये किस्म के प्रति जागरूकता अवश्य आयेगी और जब तक आन्तरिक उपयोग के लिये किस्म में सुधार नहीं आता तब तक विदेशी उपयोग के लिये किस्म में सुधार नहीं हो सकता। रेयन, सूती कपड़े और ऊनी कपड़े से हमें ६५ करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में मिलते थे और इस वर्ष यह बढ़ कर ७०–७५ करोड़ हो रही है । निर्यात से जब इतनी बड़ी मात्रा में आय होती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम देश में उत्पादित कपड़े की किस्म का निरीक्षण करें । हम यही चाहते

†मूल अंग्रेजी में

हैं कि ३ अथवा ४ वर्षों में व्यापार अथवा उद्योग अथवा सहकारी समितियों अथवा सरकार के जरिये और उस समिति के जरिये एक समुचित निरीक्षण प्रयोगशाला बन जाये। इस का यह अर्थ नहीं है कि अब निरीक्षण नहीं होता। निर्यात योजना के अन्तर्गत उन वस्त्रों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जो किस्म नियंत्रण के बिना जाते हैं। अब हम निर्यात किये जाने वाले बहुत से माल का सैम्पल निरीक्षण कर रहे हैं परन्तु अब हम यह चाहते हैं कि और अधिक मात्रा में माल का समुचित निरीक्षण किया जाये।

श्री सर्राफ ने कहा कि कहीं उस समिति के कृत्य अन्य समितियों के कृत्यों के समान न हों। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसा नहीं है। अन्य बोर्ड विकास बोर्ड हैं। यह समिति किस्म नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिये है। विधेयक के खंड ४ में उद्देश्य दिया हुआ है। हम कपड़ा उद्योग के वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसन्धान कार्यों में और कपड़ा मशीनरी में सहायता करना चाहते हैं और प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इस खंड में और सब कुछ विस्तार से दिया हुआ है। इसलिये प्रस्तावित समिति का कार्य हथकरघा बोर्ड अथवा रेशम बोर्ड के समान प्रोत्साहन, विकास अथवा धन अथवा सहायता उपलब्ध करना नहीं होगा। उस के कृत्य ठीक तरह से परिभाषित हैं और इस के कृत्य अन्य बोर्डों के मूल्यों के समान नहीं होंगे। मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि कहीं त्रुटि पाई गई तो यह मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि उचित काम उचित निकाय द्वारा कराया जाय। मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी प्रकार का दोहराव न हो।

हमने वस्त्र बनाने की मशीनरी को भी इस में शामिल कर लिया है क्योंकि जब तक औद्योगिक मशीनरी का समुचित प्रारूप निर्धारित न हो आप अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार नहीं कर सकते। हम ने इस में सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, रेशम और अन्य विभिन्न प्रकार के वस्त्र उद्योग को शामिल कर लिया है। इसलिये, हम ध्यान रखेंगे कि यह उद्योग उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के कपड़े का उत्पादन करता है। विशेष विवरण दिये गये हैं। इस उद्देश्य के लिये ४ गवेषणा संस्थायें हैं। चौथी, उत्तरी भारत कपड़ा गवेषणा संस्था कानपुर में बन रही है। उन संस्थाओं की सहायता से उद्योग तकनीकी समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेगा, और उस समिति का यह कार्य होगा कि विकास और गवेषणा कार्यों में उन चारों संस्थाओं में समुचित समन्वय रहे।

बहुत से माननीय सदस्य विदेशी बाजार हाथ से निकल जाने के बारे में चिन्तित हैं। मैंने कई बार स्थिति को यहां स्पष्ट किया है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसे प्रत्येक स्वतंत्र होने वाला देश आरम्भ करना चाहता है। बहुत से एशियन और अफ्रीकी देश जहां भारतीय कपड़ा पहले जाता था अब वह स्वयं अपने देशों में यह उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। अभी कल ही सोमाली के बारे में मेरी प्रधान मंत्री से बात हो रही थी जो अपने देश में कपड़ा उद्योग का विकास करना चाहता है। नाईजेरिया, इथोपिया, लागोस, कम्बोडिया, आदि, देशों में कपड़ा मिल स्थापित करने के लिये हम भारतीय राष्ट्रजनों को जाने की अनुमति दे रहे हैं। हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना है। सूती कपड़े के निर्यात से प्राप्त आय का अनुमान अत्यधिक सावधानी से लगाना चाहिये। यदि हम ५०००–६००० लाख गज का निर्यात कर पाय तो यह अधिकतम मात्रा होगी जिस की कि हम आशा कर सकते हैं। ८००० अथवा ९००० अथवा १०००० लाख गज निर्यात करने के बारे में सोचना, जैसा कि कुछ वर्ष पूर्व हमारा पूर्वानुमान था, वास्तविक नहीं होगा।

जैसा कि श्री सर्राफ ने कहा विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करने की नीति ही जापान के लिये सहायक सिद्ध हुई है। हम भी भारतीय वस्त्र उद्योग को मिश्रित कपड़े, ऊनी कपड़े आदि का उत्पादन करने के लिये तैयार कर रहे हैं। सूती कपड़ा हमें हाथ से बने तन्तुओं से बनाना है। इस क्षेत्र में जापान ने काफी उत्साहवर्द्धक काम किया है। हमें भी यह देखना है कि हम केवल सूती

[श्री मनुभाई शाह]

कपड़े पर ही निर्भर न रहे। बल्कि संसार भर में प्रयोग किये जाने वाले सभी प्रकार के कपड़े हमें तैयार करने चाहिएं। इसी नीति से हमें शक्ति और आशा मिलेगी। यदि हम एक ही दिशा में काम करते जायगे, जिस दिशा में हमारे सामने कई अड़चने हैं, तो यह हमारे लिये बुद्धिमत्ता नहीं होगी। इसलिये हम अपने व्यापार में विभिन्नता लाने जा रहे हैं। यदि आप कुल निर्यात को सामने रखे तो हम ने काफी अच्छा माल निर्यात किया है। आज से ५ वर्ष पूर्व रेयन का निर्यात १ करोड़ का भी नहीं था परन्तु आज यह १० करोड़ तक का हुआ है। इसी प्रकार ऊनी कपड़ा आज से कुछ वर्ष पूर्व १० लाख रुपये से कम का निर्यात हुआ था और आज यह लगभग २ करोड़ का निर्यात हुआ है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम ऐसे वस्त्रों का विकास करके सूती कपड़े के साथ साथ अन्य प्रकार के कपड़े का निर्यात बढ़ा सकते हैं।

एक और पहलू जो विचारनीय है, तैयार कपड़ों का है। मैंने अपने पूर्वी योरोप और बर्मा के दौरों से देखा है, कि वहां, विशेषकर अमीर देशों में तैयार कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां सीने पिरोने, काटने के लिए मजूरी बहुत महंगी है और काम करनेवालों की संख्या भी कम है। हमारा सूती कपड़ा तैयार माल के रूप में निर्यात किया जा सकता है। दो वर्ष पहले कपड़े के निर्यात में विदेशी मुद्रा की प्रधानता थी। कपड़ा उद्योग को इन पहलुओं पर विचार करना चाहिये। मेरा उद्योग से निवेदन है कि वह केवल ग्रे कपड़े पर जोर न दे, जिस से हमें केवल ५० से ६० नये पैसे प्रति गज आय होती है। इसे रंग देना और भी अच्छा है और इस पर छपाई आदि भी की जानी चाहिये। मोटे बिना धुले कपड़े को निर्यात करने की बजाय, यदि ऐसा कपड़ा भेजा जाये, तो हमें विदेशी मुद्रा भी मिल सकती है और सूती कपड़े के उत्पादकों का नाम भी हो सकता है।

कानपुर की कपड़ा मिलों के बारे में मैं श्री बनर्जी से कई बार चर्चा कर चुका हूं। हमारी इच्छा यही है कि कि उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग को हर तरह की सहायता--ऋण, मशीनरी के लिए आयात लाईसेंस आदि दी जाये। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अपना सहयोग दें और उद्योग के वैज्ञानिकरण में सहायता करें। हम मानते हैं कि उद्योग श्रमिकों का शोषण कर के अनुचित लाभ न कमाये किन्तु साथ ही यह भी होना चाहिये की उद्योग में पुराने कर्घों की बजाय नवीन स्वचालित कर्घे लगाये जायें। इस से न केवल उद्योग को बल्कि श्रमिकों को भी नुकसान पहुंचेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा निवेदन है कि सम्पूर्णानन्द समिति की सिफारिशों को मिल मालिकों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**श्री मनुभाई शाह** : उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में बहुत सी समितियां या आयोग जांच कर चुकी हैं। मैं यह कहता हूं कि उत्तरी भारत की मिल दक्षिण भारत की मीनाक्षी मिल का मुकाबला क्यों न करें। विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिलों में से कुछ मिलें हमारे देश में हैं। विश्व के कपड़ा उद्योगों में से ३० प्रतिशत भाग भारत में है। किन्तु यदि आप स्वचालित करघों का विरोध करेंगे और मशीनरी नहीं लगाने देंगे, जिससे श्रमिकों की संख्या कम नहीं होगी तो हमारा उद्योग उन्नति नहीं कर सकेगा। इस लिये मेरा श्री बनर्जी और उनके मित्रों से निवेदन है कि वे उन्नति का समर्थन करें। मुझे हर्ष है कि स्वचालित करघों के मामलों में इन्टक ने हमारे साथ सहयोग किया है किन्तु अन्य मित्रों ने पूरा साथ नहीं दिया। मैं सब मित्रों से निवेदन करूंगा कि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है और हमें आधुनिकीकरण द्वारा रोजगार के साधन बढ़ाने है। उद्योग की कोई मशीन १० वर्ष से अधिक समय तक के लिए नहीं रखनी चाहिये। यदि राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग ने उन्नति और विकास करना है, तो इसका आधुनिकरण आवश्यक है। कुछ मिलों में मैंने देखा है कि

†मूल अंग्रेजी में

प्रति हजार तकलों के लिये २१ से २५ व्यक्ति हैं और कुछ और में केवल ७ व्यक्ति है । यह धारणा गलत है कि २५ व्यक्तियों से अधिक रूपया कमाया जा सकेगा, क्योंकि विस्तार अधिकतर अक्षय होगा अत: जब तक इस विधेयक को सदन द्वारा स्वीकार किया जाना है, हम उद्योग से यह निवेदन करेंगे कि आधुनिकीकरण शीघ्र से शीघ्र किया जाये । उद्योग के लिये यह आग्रह करना कि हर एक आयात वस्तु के प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिये । जहां पर मशीनरी घटिया है, वहां पर हम आयत की अनुमति देंगे किन्तु जब तक देशी मशीनरी का प्रयोग न किया जाय, जिसके लिये हम प्रमाप निर्धारित करेंगे । आयात की अनुमति देना उचित न होगा । इस समिति के द्वारा हम यह प्रबंध करेंगे कि गुण प्रकार नियन्त्रण को उत्पादन के स्तर पर भी लागू किया जाये । इस वर्ष हमने २६ करोड़ रूपये की मशीनरी बनाई है और १४ करोड़ रूपये के स्टाकों के पुर्जे । यह ४० करोड़ रूपये की मशीनरी आधुनिक होनी चाहिये इस लिए हमने कपड़ा उद्योग की मशीनरी को इस विधेयक के अर्न्तगत रखा है ।

निहित शक्तियों के संबंध में, मैं य कहना चाहता हूं कि इस विषय में प्रादेशिक समितियां नहीं हो सकती । यह एक राष्ट्रीय समिति है । एक सलाहकार समिति या तदर्थ समितियां बनाई जा सकती है,किन्तु राज्यकार या प्रादेशिक समितियां नहीं बनाई जा सकती । यह हाथ करघा बोर्ड या खादी उद्योग की तरह नहीं है जहां पर राज्य बोर्ड या राज्य आयोग भी बनाये जा सकते हैं, यह एक केन्द्रीय समिति होगी जिस का काम प्रविधिक प्रकार का होगा । किन्तु कपड़ा उद्योग या रेशम के लिए विशेषज्ञ या एक तदर्थ समिति होगी, जो कि उचित देखभाल करेगी । मैं श्री गांधी का उनके इस सुझाव के लिये आभारी हूं कि मिल मालिक संस्था के कुछ सदस्य इसमें सम्मिलित होने चाहियें । प्रयोजन यही है किन्तु केवल वे ही हम में नहीं रहगे टैकनिकल विशेषज्ञ और श्रम संघों के प्रतिनिधि भी होने चाहियें । व्यापारी लोग भी होने चाहिये । स्टाकों से संबंध रखने वाले व्यक्ति भी होने चाहियें, ताकि इस में हर प्रकार के योग्य व्यक्ति हों ।

दंड के बारे में, दो अधिनियम हैं, जिन के अन्तर्गत जुर्माना और कैद दोनों अनिवार्य है ?

†**श्री काशीराम गुप्त :** कम्पनी को कैसे कैद किया जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कम्पनी का अन्य व्यक्ति है जो बुरी नियत के लिये उत्तरदायी हो और कम्पनी को परिमाण में निदेशक, प्रबन्धक या मंत्री को सम्मिलित किया गया है ।

अत: इनको दंड दिया जा सकता है । यदि कोई व्यक्ति एक बड़ा अपराध करता है तो केवल १ लाख रुपया देकर छूट नहीं सकेगा । पहले अपराध के मामले में दंडाधीश देखेगा कि जुर्माना या कैद की सजा देनी चाहिये । किन्तु दूसरे अपराध में , दोनों दंड दिये जा सकेंगे । इस बात को नियमों में स्पष्ठ किया जायेगा ।

मैं श्री शर्मा को आश्वासन देता हूं कि अनुसंधान और डिजाइन के संबंध में , डिजाइन ही कपड़े का आधार है । अत: डिजाइन का प्रश्न औद्योगिक उन्नति का अटूट अंग है, यदि वे मास्को में हुये भारतीय प्रदर्शनी की फिल्म देखें तो वह भारतीय कपड़ों के बढ़िया डिजाइन देख कर आश्चर्य करगे। हमारे लोगों ने अच्छे अच्छे डिजाइन भेजने में बहुत सावधानी से काम लिया है । किन्तु हमें अभी डिजाइन के मामले में काफी प्रगति करनी है । यदि भारत ने विश्व की मंडी में खड़ा होना है, तो वह अच्छे डिजाइनों के बल पर ही खड़ा हो सकेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है : कि वस्त्रों और वस्त्रों के कारखानों की मशीनों की किस्म सुनिश्चित करने और तत्संबंधी विषयों के लिए एक समिति की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** अब विधेयक पर खंडशः विचार होगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंड ४ के बारे में एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ ३—

पंक्ति ३ से ८ तक के स्थान निम्न रख दिया जाये ।

"(c) establish, adopt or recognise standard specifications for textiles for the purposes of export and for internal consumption and affix suitable marks on such standardised varities of textiles ;

(d) specify the type of quality control or inspection which will be applied to textiles or textile machinery;"

["(ग) वस्त्रों के निर्यात तथा देश में खपत के प्रयोजनों के लिये स्थापित, अपनाये या विशिष्ट मापदंड का मानना और इस प्रकार के वर्गीकृत कपड़ों की किस्मों पर उचित निशान लगाना,

(घ) किस्म नियंत्रण अथवा निरीक्षण करने के तरीकों को निर्दिष्ट करना जो कि वस्त्रों अथवा वस्तु उत्पादन मशीनरी पर लागू होगा "] (३)

[श्री मनुभाई शाह] :

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५ से १२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड १३ के सम्बन्ध में एक सरकारी संशोधन है :

संशोधन किया गया :—

पृष्ट ६—

खंड १३ के स्थान पर निम्न रख दिया जाय ।

13, (1) The Committee shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statements of accounts, including the balance-sheet in accordance with such general directions as may be issued, and in such form as may be prescribed, by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Committee shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Committee to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Committee shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the Audit of Government accounts, and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Committee.

(4) The accondts of the Committee as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament."

"लेखे तथा लेखा परीक्षा :

१३ (१) समिति लेखों की जिसमें संतुलन पत्र सम्मिलित होगा, के उचित ब्योरे तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेख रखेगी और एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जो कि ऐसे सामान्य निर्देशों के अनुसार होगा जैसे कि जारी किये जायें, और इस प्रकार से होगा जैसे कि निर्धारित किये जायें, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी होंगे ।

(२) समिति के लेखे भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष देखे जाया करेंगे तथा उसके द्वारा इस प्रकार की लेखा परीक्षा पर किया गया व्यय समिति भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को देगी ।

(३) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को समिति के लेखों की परीक्षा करने की नियुक्ति पर इस प्रकार के लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में वहां अधिकार और विशेषधिकार होंगे जैसे कि सरकारी लेखा परीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रकों महालेखापरीक्षक को प्राप्त हैं, तथा विशेष प से उसको यह अधिकार होगा कि वह पुस्तकों, लेखाविवरणों, सम्बन्धित बीजकों तथा अन्य

†मूल अंग्रेजी में

दस्तावेजों और अन्य कागजों की उपस्थित करने की मांग कर सकता है और समिति के किन्हीं भी कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है ;

(४) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित समिति के लेखा विवरणों को वह अथवा इस सम्बन्ध के उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जायेंगे और सरकार उनको संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगी"] (४) **[श्री मनुभाई शाह]**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १४ से १६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड १७ के सम्बन्ध में तीन सरकारी संशोधन हैं :

संशोधन किये गये

(१) पृष्ठ ७, पंक्तियां १० और १२ —

"evolved any standard variety of textiles" ["वस्त्रों की विशिष्ट किस्म तैयार की गई"] शब्दों के स्थान पर "established' adopted or recognised standard specification for textiles" ["वस्त्रों के लिये स्थापित स्वीकृत अथवा मानी गई शिष्टि प्रकार की बातें"] रखे जायें (५)

(२) पृष्ठ ७, पंक्ति १३—

"evolved standard type of textile machinery" ["वस्त्र उत्पादन की मशीनरी की कोई विशेष किस्म निकाली हो"] शब्दों के स्थान पर "established, adopted or recognised standard type oi textile machinery" ["वस्त्रों की मशीनों के लिये स्थापित, स्वीकृत अथवा माना गया मापदंड "] रखे जायें । (६)

(३) पृष्ठ ७ पर —

पक्तियां ३२ से ३९ हटा दी जायें (७) **[श्री मनुभाई शाह]** :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

---

†मूल अंग्रेजी में '

खंड १७, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री व० वा० गांधी :** मैं अपने संशोधन संख्या १५ और १६ प्रस्तुत करता हूं । ये संशोधन खंड १८ के सम्बबध में हैं, जिसका सम्बन्ध कम्पनियों द्वारा अपराधों से हैं । मेरे विचार में अधिनियम का प्रयोजन पंक्ति १८ से २५ तक निकाल देने से पूरा हो जायेगा । इस प्रकार के अपराधों के लिये खंड १८ के पहले भाग में काफी उपबन्ध है । हमें जाल को दूर दूर तक फेंक कर हर प्रकार के लोगों को नहीं फंसाना चाहिये ।

†**श्री मनुभाई शाह :** सरकार ने इस खंड में बहुत नर्मी से काम लिया है । यदि प्रबन्धक या मंत्री उत्तरदायी पाये जायें, तो क्या उन्हें छोड़ देना चाहिये और उनके स्थान पर छोटे लोगों को पकड़ लिया जाये ?

†**श्री व० वा० गांधी :** मैं अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या १५ और १६ सदन की अनुमति से वापस लिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १८ विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १९—२२ विधेयक में जोड़ दिया गये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २३ और २४ विधेयक का अंग बनें"

खंड २३ और २४ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड १—(संक्षिप्त नाम विस्तार तथा संशोधन किया गया

पृष्ट १, पंक्ति ३—

"1963" (१९६२)" के स्थान पर "१९६३" (१९६३)" रख दिया जाये ।

[श्री मनुभाई शाह]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** : प्रश्न यह है :

"खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ १, पंक्ति १—

"Thirteenth" (तेरहवां) के स्थान पर "Fourteenth" (चौदहवां) रख दिया जाय । (१

[श्री मनुभाई शाह]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय " ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संघ राज्य क्षेत्र नाट्य-प्रदर्शन (निरसन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नाट्य प्रदर्शन अधिनियम १८७६ के निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये " ।

इस विधेयक का प्रयोजन यह है कि नाट्य प्रदर्शन अधिनियम १८७६ का निरसन कर के उसके स्थान पर मद्रास नाट्य प्रदर्शन, १९५४ लागू किया जाय । १८७६ का अधिनियम संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) अधिनियम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षत्रों पर लागू किया गया था किन्तु इस का निरसन, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इसका निरसन केवल विधान मंडल द्वारा किया जा सकता है। इस का निरसन करते हुए हम क्षेत्र खाली नहीं छोड़ना चाहते बल्कि उसके स्थान पर मद्रास नाट्य प्रदर्शन अधिनियम १९५४ रखना चाहते हैं। निरसन इस लिये किया जा रहा है कि इसे तीन उच्च न्यायालयों ने संविधान के अनच्छेद १६ के विरूद्ध घोषित किया है, क्योंकि यह वाक स्वातन्त्र का उल्लंघन करता है। क्या कोई प्रदर्शन आपत्तिजनक है या नहीं, इस का निर्णय निर्धारित प्राधिकार करता था और आपत्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी

मद्रास नाट्य प्रदर्शन अधिनियम १९५४ के अधीन व्यक्तिगत निर्णय के स्थान पर वस्तुगत शर्तें रख दी गयी हैं। अब प्रदर्शन के आपत्ति होने के सम्बन्ध में कार्यापालिका अधिकारी निर्णय नहीं करेंगे कुछ मापदंड निर्धारित कर दिय गए हैं, किसी भी प्रदर्शन को आपत्तिजनक करार देने के पूर्व उनके अधीन आना होगा ।

दूसरी बात यह है कि आदेश जारी करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को अपनी सफाई देने का अवसर दिया जायगा। उन्हें उच्चन्यायालय में अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। वहां दो न्यायाधीशों की बेंच उसकी सुनवाई करेगी। उच्चन्यायालय ने भी यह मत प्रगट किया है कि यह संविधान में विहित स्वतन्त्रता के अनुरूप है। अत : मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि यह विधेयक स्वीकार करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री प्रभात कार (हुगली)** : हम १८७६ के अधिनियम के निरसन का स्वागत करते हैं। उक्त अधिनियम अंग्रेजी शासनकाल में कलाकारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिये बनाया गया था । अतः इसके निरासन से सभी की प्रशन्नता है । तथापि दुःख का विषय यह है कि जिन प्रतिबन्धों पर हमने आपत्ति की थी वे ही प्रतिबन्ध मद्रास नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, जिसका वर्तमान विधेयक द्वारा संघ राज्य क्षत्रों में विस्तार किया जा रहा है, लगाये जा रहे हैं ।

मद्रास अधिनियम के अधीन भी सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि निर्णय करने का अंत्रिम अधिकार उनका है और यदि वें यह निर्णय करें कि कोई विशेष प्रदर्शन आपत्तजनक है तो उसकी अनुमति नहीं दी जायगी । केवल इतना सुधार किया गया है कि अनुमति अस्वीकार करते समय उसके सम्बन्ध में कारण भी दे दिया जायेगा । वस्तुतः इस अधिनियम में कोई सुधार नहीं किया गया है वही पुराने प्रतिबन्ध मौजूद हैं । कला और संस्कृति के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकारियों को निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है । इन प्रतिबन्धों के विरुद्ध अभी हाल पश्चिम बंगाल के नाटककारों और कलाकारों ने अन्दोलन किया था ।

अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार मामले पर पुनर्विचार करेंगी ।

†**श्री मा० श्री अणे** (नागपुर) इस विधेयक के द्वारा सरकार मद्रास की विधि को संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू करना चाहती है, तथापि सरकार को चाहिये था कि मद्रास में लागू पुराने विधि की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध की जातीं जिससे उन्हें उन उपबन्धों का पता होता जिन्हें वे लागू करना चाहते हैं । दुःख का विषय यह है कि हम बिना ठीक से जाने हुए ही उसके लिये अपनी स्वीकृति दे रहे हैं ।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दि यूनियन टेरिटरीज ड्रामेटिक परफार्मेन्सिज (रिपील) बिल, १९६२, में जो कि इस सदन के सामने रखा गया है, "रिपील" शब्द को देख कर पहला इम्प्रैशन यह होता है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनिपुर में जो ड्रामेटिक परफार्मेन्सिज एक्ट लागू था, उस को रिपील किया जा रहा है । लेकिन इस बिल को पढ़ कर यह मालूम होता है कि उक्त एक्ट को रिपील करने के साथ साथ मद्रास ड्रामेटिक परफार्मेन्सिज एक्ट, १९५४ को एक नोटिफिकेशन के द्वारा इन यूनियन टेरिटरीज में एक्सटेंड किया जा रहा है । मेरा कहना यह है कि जहां तक १८७६ के एक्ट को रिपील करने का प्रश्न है, हम उस के सम्बन्ध में शासन से सहमत हैं । वह रिपील होना चाहिये ।

जहां तक मद्रास ड्रामेटिक परफ़ार्मेन्सिज़ एक्ट, १९५४ को एक्सटेंड करने का सम्बन्ध है, इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्ज में कहा गया है कि चूंकि मद्रास, इलाहाबाद और पंजाब हाईकोर्टस ने १८७६ के ऐक्ट के कुछ प्राविजन्ज को **अल्ट्रावायर्स** ठहराया है, इस लिये मद्रास एक्ट को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनिपुर की यूनियन टेरिटरीज में एक्सटेंड किया गया है। शासन से मेरी बिनती यह है कि १८७६ के एक्ट को जो रिपील किया गया है, वह तो ठीक है, लेकिन मद्रास के एक्ट को एक्सटेंड करना उचित नहीं है। इस सदन ने एक कानून पास कर के हिमाचल प्रदेश और मनिपुर को लेजिस्लेटिव एसेम्बलीज़ दी हैं । इस लिए उन एसेम्बलीज को इस बात का अवसर देना चाहिये कि वे अपने यहां की सामाजिक परिस्थितियों आदि को दष्टि में रख कर चाहे तो मद्रास एक्ट को अपना लें, अथवा कोई और एक्ट पास कर लें । मैं निवेदन करना

---

†मूल अंग्रजी में

चाहता हूं कि मद्रास लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने अपने यहां की परिस्थितियों पर विचार कर के अपने लिए एक कानून बनाया। उसी कानून को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनिपुर में लागू करना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कानून पास कर के सरकार मद्रास के पानी को दिल्ली में लाना चाहती है। मनिपुर और हिमाचल प्रदेश में जो साहित्य है और जो सामाजिक परिस्थितियां और नैतिक आदर्श हैं, उन पर विचार कर के वहां की एसेम्बलीज अपने लिए कोई कानून बना सकती हैं।

अगर इस बिल के प्राविजन्ज को देखा जाये, तो इस का नाम वास्तव में दि यूनियन टेरिटरीज़ ड्रामेटिक परफ़ार्मेन्सिज़ (रिपील) एंड एक्स्टेंशन आफ़ मद्रास ड्रामेटिक परफ़ार्मेन्सिज़ एक्ट बिल रखा जाना चाहिए, ताकि यह मालूम हो सके कि इस के प्राविजन्ज का अर्थ क्या है। जैसा कि मैं ने अभी निवेदन किया है, जब हम ने मनिपुर और हिमाचल प्रदेश को लेजिस्लेटिव एसेम्बलीज दी हुई हैं, तो यह उचित है कि उन को यह विचार करने का अवसर दिया जाये कि वे अपने यहां मद्रास एक्ट को लागू करना चाहते हैं या कोई दूसरा कानून पास करना चाहते हैं। जब कि यह कहा जाता है कि हमारे संविधान के अनुसार प्रान्तों को आटानोमी दी गई है, तो केन्द्र की ओर से साहित्य और ड्रामा जैसी छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। हमारे कांस्टीट्यूशन में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दी गई है। अगर केन्द्र स्टेट लिस्ट के विषयों के बारे में भी कानून बनाने लगेगा और स्टेट्स के मामलों में हस्तक्षेप करने लगेगा तथा हिमाचल प्रदेश और मनिपुर आदि यूनियमन टेरिटरीज को मद्रास एक्ट लागू करने के लिये बाध्य करेगा, तो साधारण जनता पर यह इम्प्रैशन पड़ेगा कि प्रान्तों की आटानोमी केवल कागज पर है, केवल शब्दों में है और वास्तव में केन्द्र छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप कर सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि १८७६ के ऐक्ट को जो रिपील किया गया है, वह तो ठीक है, लेकिन मद्रास ड्रामेटिक परफ़ार्मेन्सिज़ एक्ट, १९५४ को एक्सटेंड करने का मैं विरोध करता हूं।

†**श्री गोरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : मेरे समझ में यह नहीं आता कि मद्रास राज्य के इस अधिनियम को संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तृत करने की क्या आवश्यकता है जब कि प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। मेरे विचार से इसे राज्यों की विधान सभाओं के ऊपर ही छोड़ दिया जाता कि वे स्वयं इस सम्बन्ध में विधेयक बनातीं।

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारा देश बहुत विशाल है तथा प्रत्येक राज्य की स्थितियां दूसरे राज्य से भिन्न हैं। अतः एक राज्य के अधिनियम को दूसरे राज्य तक विस्तृत करना उचित नहीं है क्योंकि वहां की समाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां बिल्कुल भिन्न हो सकती हैं। अतः उन राज्यों को अपनी सांस्कृति तथा स्थितियों के अनुसार अपने नियम बनाने चाहियें।

यह दुख का विषय है कि मद्रास नाट्य प्रर्दशन अधिनियम १९५४ की कई धारायें केन्द्रीय अधिनियम १८७६ की तरह हैं। हमारे संविधान के द्वारा हमें भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नया अधिनियम, अधिनियमित करना चाहिये।

†**श्री हजरनवीस** सभा में जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) अधिनियम की रूपरेखा पर विचार नहीं किया गया है, । संघ राज्य क्षेत्रों के लिये विधियां बनाने का दायित्व संसद का है। तथापि समय के अभाव के कारण संघ राज्य क्षेत्रों

†मूल अंग्रेजी में

के लिये विधियां बनाने के लिये समय निकालना संभव नहीं है। तथापि संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) अधिनियम में एक ऐसी भी विधि है जिसके अधीन अधिसूचना के द्वारा उस विधि को संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह अवैध है अथवा नहीं इस बात के सम्बन्ध में दिल्ली विधि अधिनियम नामक एक प्रसिद्ध मामला है जिस पर उच्चतम न्यायालय ने अपना विनिर्णय दिया था इस विषय पर पटना केस भी हुआ था। अतः संसद में आने के स्थान पर अधिसूचना द्वारा इसे विस्तृत कर दिया गया। हम यहां एक ऐसे अधिनियम को जिसे कई न्यायालयों ने अवैध ठहरा दिया था न केवल निरसन कर रहे हैं अपितु हम उसके स्थान पर एक बहुत अच्छा अधिनियम बना रहे हैं। तथा इसके विरुद्ध श्री प्रभात कार के अलावा किसी ने कोई विशेष बात नहीं कही है।

न्याय प्रक्रिया की मुख्य बातें विधेयक में शामिल कर ली गयी हैं। पहिले आदेश दिये जाने वाले पक्ष को नोटिस देंगे, दूसरे कार्यवाही करने के पूर्व कुछ शर्तें पूरी होना तथा तीसरे उच्च न्यायालय में पुनर्विचार का अधिकार। यदि हम भी यह विधेयक बनाते तो वह इससे भिन्न नहीं होता।

जहां तक डा० अणे द्वारा की गयी आपत्ति का प्रश्न है, यदि मांग पहिले से की जाती तो हम निश्चितरूप से दूसरी प्रतियां उपलब्ध कर सकते थे तथापि भविष्य में हम विधेयक के अन्तर्गत ही इसकी व्यवस्था करेंगे।

जहां तक श्री प्रभात कार की आपत्ति का प्रश्न है, उनका कहना है कि अभी भी निर्णय अधिकारियों के हाथों में रहेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि वे सारे खंड को पढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि धारा ३ के अधीन, आदेश देने के पूर्व खंड में दी गयी कई शर्तों को पूरा करना होगा।

यदि बात मनमाने निर्णय की ही होती तो उच्चन्यायालय में अपील करने की बात मिथ्या हो जाती है। जहां तक 'सेटिसफाइड' 'संतुष्ट है' शब्द का तात्पर्य है वह वस्तुगत शर्तों की पूर्ती के लिये भी प्रयुक्तहोता है। उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया में भी वहां कहीं वस्तुगत शर्तों की पूर्ति का विधान है वहां 'संतुष्ट है' शब्दों का प्रयोग होता है। मेरे विचार से केवल उक्त शब्दों के प्रयोग से ही धारा ३ में दी गयी शर्तों के सम्बन्ध में उन्हें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिये।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नाट्य प्रदर्शन अधिनियम १८७६ के निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

खंड २ (नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, १८७६ का निरसन)

संशोधन किये गए :

(१) "पृष्ठ १, पंक्ति ७ और ८—

to any of Union Territories of Delhi, Himachal Pradesh and Manipur ["दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में"] शब्दों के स्थान पर the Union Territory of Delhi. ["दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में"] शब्द रख दिये जायें (४)

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) "पृष्ठ १, पंक्ति ९,—

such["ऐसे"] शब्द के स्थान पर The ["यह"] शब्द रख दिया जाय । (५)

(श्री हजरनवीस)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १ (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ १, पंक्ति ३ और ४—

Union Territories Dramatic Performances (Repeal) Act, 1962" ["संघ राज्य क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) अधिनियम १९६२"] के स्थान पर

"Dramatic Performances (Delhi Repeal)" Act 1963" ["नाट्य प्रदर्शन (दिल्ली निरसन) अधिनियम १९६२"] शब्द रख दिये जायें । (३)

(श्री हजरनवीस)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १ पंक्ति १,—

"Thirteenth" ["तेरहवां"] के स्थान पर "fourteenth" ["चौदहवां"] शब्द रख दिया जाये । (२)

(श्री हजरनवीस)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का पूरा नाम

संशोधन किया गया :

१. पृष्ठ १ विधेयक के पूरे नाम में :

"Union territories of Delhi, Himachal Pradesh and Manipur" ["दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर]" शब्दों के स्थान पर "Union Territory of Delhi" ['दिल्ली का संघ राज्य क्षेत्र"] शब्द रख दिये जायें (१)

[श्री हजरनवीस]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री हजरनवीस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

परिसीमन विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विमुद्येन्दु मिश्र) :** मैं श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मुकदमों तथा अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन सम्बन्धी विधि को समेकित करने तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

विधेयक को संयुक्त समिति में भेजते समय मैंने जो बातें कही थीं, मैं उन्हें नहीं दुहराना चाहता हूं। मैं केवल सभा को यह बताना चाहता हूं कि विधि आयोग ने भारतीय परिसीमन आयोग के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। विधि आयोग ने तीन सिफारिशें की थीं। पहिरा, अनुच्छेदों को विषयों के अनुसार रखा जाये। यह सिफारिश स्वीकृत कर ली गयी है। दूसरी यह सिफारिश भी स्वीकृत कर ली गयी है कि एक प्रकार के मुकदमों के लिए एक ही अवधि स्वीकृत की जाये। यह सिफारिश भी स्वीकृत कर ली गयी है। निविदा पर आधारित सारे मामलों के बारे में उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। जब कि दुष्कृति पर आधारित मामलों के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभुधेन्द्र मिश्र]

यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी है। वर्तमान अधिनियम के अधीन दुष्कृत पर आधारित मुकदमों के लिये समय की सीमा एक वर्ष है, अतः कोई कारण नहीं है कि एक वर्ष की अवधि को बढ़ा कर तीन वर्ष कर दिया जाये।

तीसरी सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी है इसका कारण यह है कि परिसीमन विधेयक समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह बात सभी जानते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना बहुत कठिन होता है और कभी कभी इसका पता लगाने के लिये वकीलों को बहुत तर्क करने हैं। अतः इससे मुद्दई और मुकदने में अन्तर्ग्रस्त पक्षों को बहुत कठिनाई हो सकती है अतः विधि आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया।

मैं संयुक्त समिति के सदस्यों को उनके प्रयत्नों के लिये धन्यवाद देता हूं। इसमें कई संसद सदस्य थे जो प्रसिद्ध वकील भी है। मैं यहां संयुक्त समिति द्वारा विधेयक में किये गये परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा।

खंड ४ में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी मुकदमें में अपील या निवेदन करने की तारीख छुट्टी के दिन समाप्त होती है, तो प्रार्थनापत्र या मुकदमा उस दिन लिया जा सकता है जब कि न्यायालय खुलता है। तथापि कभी कभी यह भी होता है कि न्यायालय केवल दिन में कुछ ही समय के लिये खुल कर बन्द हो जाता है। प्रश्न यह है कि तब क्या स्थिति होगी। उसके लिये संयुक्त समिति द्वारा यह व्यवस्था रख दी गयी है कि यदि दिन के किसी भी भाग में न्यायालय बंद रहे तो उसे दिन भर के लिये बंद समझा जायेगा।

खंड ६ में अल्पवयस्कों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। यदि अल्प वयस्क के हक में कार्यवाही करने का कोई कारण हो तो वह उसे व्यस्क होने के तीन वर्ष के अन्दर कर सकता है।

प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि गर्भस्थित शिशु को अल्पवयस्क समझा जाये या नहीं। इस सम्बन्ध में लाहौर के न्यायालय ने यह माना है कि 'व्यक्ति' केवल उत्पन्न हुए 'व्यक्ति' को ही कहा जा सकता है तथापि कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद के न्यायालयों का निर्णय इसके विपरीत था। कामगर प्रतिकर अधिनियम में भी गर्भस्थित बालक को इन लाभों का अधिकारी माना गया है। अतः संयुक्त समिति ने यह निश्चय किया कि अल्पवयस्क बालक की पभिाषा के अधीन गर्भस्थित बालक को भी शामिल किया जाये।

खण्ड १३ बिल्कुल नया खण्ड है।

अब मैं खण्ड २९ का उल्लेख करता हूं। पहले यह व्यवस्था की गई थी कि इस विधेयक के लागू होने के बाद मुकद्दमा दायर करने को कालावधि दो वर्ष होगी और आवेदनपत्र देने के लिए समय ३० दिन होगा। संयुक्त समिति ने सोचा कि चूंकि यह नया विधेयक है, अतः यह उचित होगा कि उन्हें समय दिया जाना चाहिए। इसीलिए संयुक्त समिति ने मुकद्दमा दायर करने की दो वर्ष की अवधि बढ़ा कर ५ वर्ष कर दी है और आवेदनपत्र देने की ३० दिन की अवधि बढ़ा कर ९० दिन कर दी है।

कई अनुच्छदों में कालावधि बदल दी गई है। संयुक्त समिति के प्रतिवदन से इस बात का पता चलेगा। चूंकि उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, उन्होंने इसे बदल कर एक वर्ष से दो वर्ष कर दिया है इत्यादि। आवेदनपत्रों और अपीलों के सम्बन्ध में संयुक्त समिति में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं चले हैं। अनुच्छेद करूंगा ११५(क), १३२ और १३३ के सम्बन्ध में विधि आयोग ने ३० दिन की कालावधि का भी सुझाव दिया। परन्तु संयुक्त समिति का विचार था कि ६०

और ९० दिन का पहला प्रबन्ध ही ठीक रहेगा। प्रत्येक मामले के गुणों पर कालावधि निर्भर होगी। अतः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अपीलों और आवदन पत्रों के क्षत्र में विधि आयोग की सिफारिशों को नहीं माना है।

जहां तक ४४(ख) का सम्बन्ध है एक अनुषांगिक संशोधन था, जिसका ध्यान नहीं रहा था और जिसकी संयुक्त समिति ने सिफारिश नहीं की थी, परन्तु जब राज्य सभा में मेरा उस ओर ध्यान दिलाया गया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि मुकदमों तथा अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विचार किया जाए।"

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : यह महत्वपूर्ण विधेयक है। यह अवश्य इस देश में होने वाली मुकदमेबाज़ी पर अमिट प्रभाव डालेगा। परिसीमन अधिनियम जसे कानून जल्दी नहीं बदले जाते हैं। यह परिवर्तन भी विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार किया जा रहा है और ५० वर्ष बाद किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन अधिनियम को इस प्रकार आसान बनाना है कि एक ही किस्म के मुकदमे एक ही जसे समझे जाएं।

घातक दुर्घटना अधिनियम के सम्बन्ध में परिसीमन में वृद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सीमा एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत ६० दिन की सीमा को बढ़ा देना चाहिए।

गरीब लोगों की अपीलों के बारे में व्यवस्था बहुत अच्छी है।

मूल विधेयक ने अपीलों के परिसीमन की कालावधि को बहुत कम कर दिया था, परन्तु संयुक्त समिति ने इसे पहले जितना ही कर दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए अनुमति का परिसीमन करके समिति ने बहुत अच्छा काम किया है। मृत्यु दण्ड के सम्बन्ध में परिसीमन ३० से ६० दिन कर दिया है। उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने में बहुत खर्च होता है। देर से किया गया न्याय कोई न्याय नहीं होता। बहुत व्यय वाला न्याय तो न्याय के इंकार से भी बुरा है। यह हमारे संविधान के आदेशों के विरुद्ध है। न्याय के मामले में अमीर और गरीबों को बराबर अधिकार होने चाहियें।

परिसीमन की कालावधि को ३० दिन से बढ़ा कर ६० दिन करना छोटा प्रयास है। यह कोई इलाज नहीं है। यह महत्वपूर्ण कदम है जो कि काफी सहायक होगा।

विधेयक में एक भारी दोष यह रह गया है कि डिग्री लागू करने की अवधि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। ऐसा संशोधित अनुच्छेद १३६ में किया गया है। संशोधन की तिथि के बाद बारह वर्ष के भीतर डिग्री लागू करना असम्भव रहेगा। सरकार को विधेयक की इस त्रुटि को दूर कर देना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दाजी]

सम्भव है कि यह विधेयक ५० वर्ष के लिए चलेगा। हम अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना रहे हैं। सरकार द्वारा त्रुटि दूर कर देनी चाहिए।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : मेरे विचार में परिसीमन विधि का यह संशोधन समय बर्बाद करना है। इस से वर्तमान कानन में कोई अन्तर नहीं आता। जम्मू और काश्मीर राज्य को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना ठीक नहीं। इस राज्य पर संसद् द्वारा पारित विधियां लागू होनी चाहिएं।

घातक दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत परिसीमन अवधि एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष करने का प्रस्ताव है। मोटर परिवहन अधिनियम में दावे दाखिल करने की अवध केवल ६० दिन की ही है। इस उपबन्ध का संशोधन किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के अनेक आश्रित व्यक्ति मुआवज़ा हासिल करने से न रह जाएं।

असैनिक प्रक्रिया संहिता में धारा ४८ के लोप और उसके स्थान पर विधेयक की अनुसूची के अनच्छेद १३६ के समावेश की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसका यह प्रभाव होगा कि यदि किसी डिग्री को लागू करने में कोई आपसी समझौता भी हो जाए तो इसे बारह वर्ष के अन्दर लागू करना पड़ेगा। ऐसे न करने पर डिग्री रद्द कर दी जाएगी।

गैर-सरकारी व्यक्तियों के सम्बन्ध में तीन वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। सरकार के लिए यह सीमा ३० वर्ष नहीं होनी चाहिए।

विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि निर्धन व्यक्तियों की अपीलों को अन्य व्यक्तियों की अपीलों के समान समझा जाए।

आशा है कि माननीय मन्त्री इन बातों की ओर ध्यान देंगे।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हतकंगले) : मैं इस विधान का समर्थन करता हूं। काफी विचार के बाद ही यह सदन के समक्ष आया है, मेरे विचार में अब इसमें कोई कमी नहीं रह गयी है। मैं भी संयुक्त समिति का सदस्य था अत: इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। विधि आयोग ने तीन सिफारिशों में से दो को स्वीकार कर लिया था। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी ईमानदार नागरिक को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। खण्ड ४ और ६ के लिए समुचित व्यवस्था दी गयी है। यद्यपि यह विधेयक समस्त भारत में लागू नहीं होगा परन्तु इस कमी को विधेयक की अनुसूची में मद ११२ द्वारा काफी हद तक पूरा कर दिया है। अपील का समय भी ७ दिन से बढ़ा कर ३० दिन कर दिया है। इस विधेयक के लिए मैं विधि उपमन्त्री महोदय की प्रशंसा करता हूं तथा इसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : इस अधिनियम में परिवर्तन करते समय केवल विधि आयोग के प्रतिवेदन को ही आधार मान लेना ठीक नहीं कहा जा सकता। आज विभिन्न राज्यों में 'कोर्टफीस' बढ़ाने की प्रवृत्ति चल रही है। उत्तर प्रदेश में कोर्ट फीस दुगुनी हो गयी है। अत: न्याय प्राप्त करना बहुत ही महंगा हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के अपने-अपने सामाजिक हालात हैं।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को मैंने पढ़ा है और श्री बड़े का विरोध टिप्पण भी देखा है। मूल अधिनियम की धारा १९ और २० को उसी तरह रखा जा रहा है। मेरे विचार में इससे साधारण जनता की कठिनाइयां बनी रहेंगी। धारा १९ और २० को निकाल दिया जाना चाहिए। यह केवल उन लोगों

†मूल अंग्रेजी में

के हितों को संरक्षण देने के लिए है जिन पर कर्ज़ा है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि परिसीमन अवधि में ग्रामीण लोगों की ज़रूरतों के अनुसार वृद्धि कुछ और कर दी जाये एक दम सारी अदायगी कोई नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि सरकार को हिन्दू नियम के अनुसार दत्तक ग्रहण सम्बन्धी मामलों पर विचार करना चाहिए। दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी मामलों के बारे में कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी दावों और अन्य सामान्य दावों के बीच भेद किया जाना चाहिए।

इन शब्दों से मैं पुनः विधि मंत्री से अपील करता हूं कि उन्हें खण्ड १९ में संशोधन करने का मैंने जो प्रस्ताव किया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री बड़े (खारगोन) : सभापति महोदय, मैं इस ज्वाएंट कमेटी का मेम्बर था। मैम्बर होने की हैसियत से जितने इस लिमिटेशन बिल के प्राविजन्स थे उन पर मैंने अपना मत दिया हुआ है। कुछ प्राविजन्स पर मैंने अपना डिस्सेंटिंग नोट दिया है।

उनमें विशेषतः ऐगजिस्टिंग लिमिटेशन ऐक्ट में में जो आर्टिकिल १८२ है और अभी के वर्तमान बिल में आर्टिकिल १३६ है वह मेरे नोट आफ़ डिस्सेंट में १३५ छप गया है। मेरी ग़लती से यह ऐसा हुआ है या प्रिंटिंग की ग़लती से १३६ के बजाय १३५ उसमें छप गया है यह कह नहीं सकता। वह आर्टिकल १३६ समझा जाये। जैसा कि मैंने अपने नोट आफ डिस्सट में भी कहा है मैं बिल के १३६ आर्टिकिल में अमेंडमेंट चाहता हूं। ऐगजिस्टिंग (वर्तमान) ऐक्ट का आर्टिकिल १८२ इस प्रकार है कि किसी दीवानी अदालत की डिक्री अथवा आदेश को कार्यान्वित करने के लिए तीन साल या यहां उस डिक्री अथवा आदेश की प्रति रजिस्टर कराई गयी हो तो छः साल।

मैं बिल के आर्टिकिल १३६ में चाहता हूं कि यह शब्द जोड़ दिये जाये :—

"या यहां १३६ डिक्री को संशोधित किया गया है तो संशोधन की तिथि।"

यह शब्द बिल के आर्टिकिल १३६ में नहीं हैं। उसमें से इनको निकाल दिया गया है। अब इन शब्दों के न रहने से क्या होगा ? जब काश्तकारों की फसल का सीज़न ख़राब होता है या कोई अकाल पड़ता है या वे इतने ग़रीब हैं कि वे उन पर वाजिब आने वाली रक़म अदा नहीं कर सकते हैं तो मौजूदा बिल के प्राविज़न से डेक्री होल्डर हार्श हो जायेगे और वह अपनी रकम डिक्री की गरीब कर्ज में लदे हुए किसानों के खेत व मवेशी और घरबार आदि नीलाम करके वसूल करने की कोशिश करगे। अभी तक तो हालत यह है कि जब काश्तकार फसल की ख़राबी, अकाल पड़ने आदि की वजह से रकम अदा नहीं कर पाते हैं तो गांव में सब पंच इकट्ठे होकर साहूकारों को समझाते हैं कि अभी इसकी हालत बहुत खस्ता है, वे थोड़ा ठहर जायें और उसके खेत, बैल ब मकान आदि ज़ब्त न करें। वे यह मांग करते हैं कि उसके लिए पसा अदा करने की तारीख आगे बढ़ा दी जायें। उसके लिए समय बढ़ा दिया जायें। वे कोर्ट में जाते हैं और कम्प्रोमाइज़ होने से किसानों को इस की मुद्दत मिल जाती है जिससे साहूकार का भी काम होता है और काश्तकार का भी काम होता है लेकिन ला कमिशन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। ला कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में पेज ६५ पर यह लिखा है कि इस लिए ऐसे उपबन्ध की जरूरत नहीं है जिसमें डिक्रीधारी को बाध्य किया जाये कि वह हर तीसरे साल प्रार्थना पत्र देकर डिक्री को चालू रखे।

इसके सम्बन्ध में उन्होंने यह राय प्रकट की है कि हमारी राय यह है कि निर्णीत अधमर्ण द्वारा डिक्रियों की तामील से बचने की आदत को रोकने के लिये कड़े उपबन्ध की जरूरत है।

[श्री वड़े]

इस के साथ मैं आगे जाकर कहता हूं कि उनके दिल में इसका डर पैदा करने के लिये न्यायालयों को उन्हें दीवालिया घोषित कर देना चाहिये यदि वे डिक्री की राशि अदा न करे। यानी इसका मतलब यह है कि उस वक्त ला कमिशन का दिमाग इंगलैंड में जा रहा था। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिये कि इंगलैंड हम से शायद १००, २०० साल आगे होगा। हमारे गांवों की परिस्थिति क्या है ? वहां के आदिवासियों की परिस्थिति क्या है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। केवल शहरों की तरफ ही उनका ध्यान रहा जान पड़ता है। इसीलिए उन्होंने यह शब्द कहे हैं। ला कमिशन के यह रिमार्क इंगलैंड के वास्ते लागू होते हैं। असलियत तो यह है कि हमारे यहां कोई डिस्ओनेस्ट जजमेंट डैटर्स नहीं रहते हैं। जब उसके पास पैसा देने की परिस्थिति नहीं रहती है, बिलकुल कंगाल हो जाता है तब वह कर्ज अदा नहीं करता और उसको बेईमान कहा जाता है और जब डिक्री का ऐक्जीक्यूशन होता है उस वक्त यदि इस प्रकार का इस बिल में अमेंडिग प्राविजन नहीं रखा जायेगा तो फिर उन गरीब कर्ज में डूबे हुए काश्तकारों का क्या बनेगा ? कर्जा अदा न होने की सूरत में उस पर डिग्री आयेगी, कुर्की साहूकार लायेगा और उसका मकान, खेत और मवेशी बैल आदि सब नीलाम करा लेगा। पहले खेती नीलाम नहीं होती थी लेकिन आजकल के लैंड रैवेन्यू टेनेंसी ऐक्ट के अन्तगत उसकी सारी खेती नीलाम होने लगेगी। मकान और ढोर आदि सब नीलाम हो जायेंगे। आज साहूकार और काश्तकार के बीच एक बन्धुत्व भाव है। काश्तकार समझते हैं कि यह हमारे मां, बाप हैं और यह हमारा रक्षण करते हैं और साहूकार भी उनको लड़का समझते हैं, यह गांवो में जो एक भाई चारे और बन्धुत्व की भावना है वह खत्म हो जायेगी। मौजूदा बिल की धारा अगर अमेंड नही की गई और साहूकारों को फौरन बगैर मुद्दत दिये कुर्की कराने और कर्जदार सब कुछ नीलाम करने का अधिकार रहने दिया गया तो किसानों की हालत बड़ी दर्दनाक होने वाली है। इस तरह का प्राविजन रख कर काश्तकार की तरफ ला कमिशन ने देखा नहीं है। वह इंगलैंड की बात कह देते हैं कि डिस्आनेस्ट जजमेंट डैटर्स के संग सख्ती से पेश आना चाहिये। लेकिन हमारा देश इंगलैंड नहीं है। यहां अगर डिस्ओनेस्ट होते भी हैं तो गरीबी के मारे मजबूर होकर करते हैं। काश्तकारों में इतनी गरीबी है कि वे कर्जे में ही डूबे रहते हैं। एक दफे कर्जे का खाता खुल गया तो फिर उसके बंद होने की नौबत ही नहीं आती है। वह जीवन पर्यन्त उसी कर्जे के बोझ के नीचे दबा रहता है। वह कर्जे से कभी बाहर नहीं निकल पाता है। कोर्ट के दरवाजे उसके वास्ते इस कदर बंद हो गये हैं कि वह वहां अपनी फरियाद कामयाबी के साथ नहीं कर पाता है। एक दफा कोर्ट में दावा हो गया। उसके बाद में कोर्ट फीस और वकील के लिये उसे पैसा चाहिये। ऐप्लीकेशन गुजारने के लिए कोर्ट फीस स्टाम्प्स लगाने पड़ते हैं। अगर ऐडजर्नमेंट कराना है तो अर्जी पर जहां पहले एक रुपये की कोर्ट फीस लगती थी वहां अब डेढ़ रुपये के स्टाम्प्स लगते हैं। अदालत में दावा वगैरह का खर्चा पहले ही अधिक था और अब वह और भी बढ़ गया है जब कि उस बेचारे की आर्थिक हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब किसानों के लिये अदालत में दावा करने और अर्जी दायर करने के बारे में एक कहावत मशहूर हो गयी है :--

"जूता हो तंग, खिसा हो बम और गवाह हो संग तब आता है रंग मुकद्दमे में"। चूंकि कोर्ट में आते जाते, इधर से उधर चक्कर काटने और पेशियां बढ़ते बढ़ते काश्तकार का जूता ढीला हो जाता है इसीलिये कहा जाता है कि उसका जूता तंग होना चाहिये। अदालत में इतना रुपया लगता है और हर कदम पर किसान को पैसा खर्च करना पड़ता है कि जब तक उसका खिसा बम न हो अर्थात् पूरी तरह उसकी जेब भरी न हो तब तक उसका कोर्ट में जाना व्यर्थ है। आजकल कोर्ट गरीबों के लिये नहीं है। इस के अलावा किसान के पास उसकी तरफ से बोलने के लिये गवाह भी होने चाहिये अब देर है कि गवाह अपने लिये रखने के लिये किसान को उनके चाय, पानी आदि का बंदोबस्त करना होता है तभी वे किसान का पक्ष लेकर गवाही देंगे। अब इसके लिए भी पैसा दरकार होता

है। यह सब इंतज़ाम होने से ही मुकद्दमें में रंग आता है अन्यथा उसका मुकद्दमा लड़ना व्यर्थ रहता है और वह मुकद्दमा जीत नहीं सकता है ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि बिल के मौजूदा आर्टिकल १३६ को जैसा मैंने सुझाया है अमैंड किया जाय। श्री होमी दाजी भी इससे सहमत हो गये हैं। श्री गौरी शंकर कक्कड़ भी कहते हैं कि इस प्रकार का इसमें प्राविज़न जुड़ना चाहिये। जैसा कि ऐगज़िस्टिंग ऐक्ट का आर्टिकिल १८२ है उसी प्रकार का इसमें प्राविज़न रहना चाहिये कि जब तक वह अमेंडमेंट हो जाता है या पेमेंट होता है तो फिर उसको आगे मुद्दत मिलेगी ।

सरकार ने कोर्ट के हाथ बांध दिये हैं और सैक्शन १९ और २० मे भी अमेंडमेंट कर दिया है। इस बारे में ला कमीशन की रिपोर्ट में पेज़ २२ पर पैराग्राफ ५१ में लिखा है कि इस प्रश्न पर बहुत से उच्च न्यायालयों ने परस्पर विरोधी निर्णय दिये हैं, क्योंकि १२ वर्ष की अवधि उस धारा में रखी गयी है इसलिये हमारा विचार है कि इसको बढ़ाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये ।

यदि वह कुछ पेमेंट देता है, तो उसके लिये आगे मियाद नहीं बढ़ती है। मैं शासन की अपील करना चाहता हूं कि चूंकि यह एक वैलफेयर स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य है, इस लिये जहां तक काश्तकारों का सम्बन्ध है, हालांकि उनके रिलेशन्ज़ अच्छे हैं और वे कभी कोर्ट में दावा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी कोर्ट में मियाद देने के लिये प्रार्थना पत्र किया जाये, तो फिर साहूकार को फोर्स न किया जाए कि वह कुर्की करके काश्तकार का खेत, आर्नामेंट्स और मवेशी आदि को नीलाम करे। इस तरह का प्रोविज़न नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरी एक अमेंडमेंट है, जो कि मैंने आज ज़रा लेट दी है मैं चाहता हूं कि शासन उसको स्वीकार करे यदि आपोज़ीशन की एमेंडमेंट होने की वजह से उसको स्वीकार करने में कुछ आपत्ति हो, तो है शासन अपनी एमेंडमेंट दे और हम आनन्द से उस को मन्ज़ूर करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्वायंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) कमेटी के सामने नहीं रखा गया है। अनफार्टनेट्ली (दुर्भाग्य से) मैं उस वक्त यहां पर नहीं था। अखिर में जब मैं आया, तो मुझे कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप नोट आफ डिसेंट दे सकते हैं। इसीलिये मैंने नोट आफ डिसेंट दिया। इसके बाद मैंने अपने नोट आफ डिसेंट में कहा है कि अनुच्छेद ५६, ५७ उन घोषणात्मक वादों के बारे में हैं इसलिये उनका परिसीमन अवधि भिन्न होनी चाहिये।

उस में ला कमीशन की सिफ़ारिश का ज़िक्र किया गया है मैं समझता हूं कि ला कमीशन ने यह प्वायंट आफ व्यू ध्यान में नहीं रखा आयोग के सदस्यों ने आराम से कुर्सी पर बैठ कर इस प्रश्न को देखा होगा, लेकिन हमने देखना है कि दरअसल गावों की परिस्थिति क्या है, दरअसल हम कितना आगे बढ़े हैं। जब मैं दिल्ली से गांवों में जाता हूं, तो दोनों की परिस्थिति को देख कर ऐसा मालूम होता है कि कल मैं राजा था और आज मेरे हाथ में झाड़ू दे दिया गया है। गांवों में आज रास्ते नहीं हैं, आने-जाने के लिये मार्ग नहीं हैं। यदि हैं, तो वे धूल से भरे पड़े हैं । बैल-गाड़ी पर यात्रा करनी पड़ती है। वहां के लोगों को पढ़ना नहीं आता है। डेवेलपमेंट ब्लाक्स के बड़े बड़े बोर्ड्ज़ पर जो लिखा होता है कि घूस लेने वाला और देने वाला दोनों फंसते हैं, उसको वे नहीं समझ पाते हैं । अगर कोई व्यक्ति पढ़ कर उनको समझाता है, तब वे समझते हैं। इतने अशिक्षित और इतने पिछड़े हुए देश में इस प्रकार के प्राविज़न लाना कहां तक उचित है ? जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ला कमीशन की सिफारिश के अनुसार ऐसा किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि शासन को भी इस तरफ कुछ ध्यान देना चाहिये। ला कमीशन ने तो एक उत्तम किताब तैयार कर दी, ताकि अगर इंग्लैंड में कोई आदमी उसको पढ़े तो कहे कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है, लेकिन हमको देखना चाहिये कि उस थ्योरी को एप्लाई करने के लिए हिन्दुस्तान में वैसी परिस्थितियां भी हैं या नहीं ।

ज ं तक डिक्लेरेशन के सूट्स का सम्बन्ध है, सब के लिये एक ही लिमिटेशन रख दी गई है—तीन वर्ष की। एडाप्शन दो तर की बातें के होते हैं एक तो एडाप्टिड सन होता है, जिसको दत्तक क ते हैं। व कभी डिक्लेरेशन करता है। उसकी प्रापर्टी भी र ती है उस को य भी मालूम नहीं रहता है कि अपने खिलाफ कुछ हुआ है या नहीं। उसके लिये छः वर्ष की लिमिटेशन होनी चाि ये। दूसरे लोगों को मालूम नहीं होता है। मरने के बाद उन को मालूम होता है कि बूढ़े ने जो लड़का पाला था, उस की एडाप्शन हो गई। इस तर की एडाप्शन में कम्मलशन होता है। आस-पास के रिश्तेदार एडाप्शन को इनवेलिड करने के लिये, उसे सैट एसाइड कराने के लिये कोशिश करते हैं। इस प्रकार की प्राविजन इस में होनी चाि ये, लेकिन व प्राविज़न इस में नहीं रखी गयी है।

इस बारे में स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजन्ज़ में बता दिया गया है चूंकि ला कमीशन ने कहा कि इस प्रकार होना चाहिये, इस लिये हम ने कर दिया है—बाबावाक्यं प्रामाणं, अर्थात् बाबा ने कहा, इसलिये मने मान लिया। ऐसा नहीं होना चाि ये। क्या सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा है और परिस्थितियों को देखा है? शासन के सदस्य गांवों से चुन कर यहां आते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। चूंकि म गांवों से चुन कर आते हैं, इस लिए वहां के लोगों के दुख-दर्द म ज्यादा जानते हैं और म व शासन के सामने रखते हैं। इसमें पोलीटिकल पार्टी का प्रश्न नहीं है।

आल सूट्स एंड डेकेलेरेशन के लिये छः वर्ष रख दिये गये हैं। लेकिन डिक्लेरेशन फार दि टाइटल डिक्लेरेशन फोर एडाप्शन, डिक्लेरेशन फार मेनटेनेन्स आदि होते हैं। कई सूट्स फार डिक्लेरेशन होते हैं। इनमें डिफरेंशेट करना चाि ये और आवश्यकतानुसार छः वर्ष या तीन वर्ष होने चाि ये मैंने लिखा है कि गिरवी रखने के मामलों में परिसीमन की अवधि छः वर्ष होनी चाि ये क्योंकि गरीब किसान अच्छे जेवर आदि जल्दी नहीं छुड़ा सकते। मारे यहां तीन प्रकार के कर्जे होते हैं: लांग टर्म, मीडियम टर्म और सार्ट टर्म। आज कल तो किसी पर्सनल क्रेडिट पर या पर्सनल सिक्योरिटी पर काश्तकार को कर्जा नहीं मिलता है। आज-कल आर्नामेंट्स प्लैज किये बिना कोई साहूकार कर्जा नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में इसका पीरियड छः वर्ष होना चाि ये तीन वर्ष का जो पीरियड रखा गया है वह थोड़ा है। तो फिर परमिसरी नोट्स में और आर्नामेंट्स गिरवी रखने का क्या फरक है? आर्नामेंट्स प्लेज करने से कम से कम इतना तो होता है कि काश्तकार को कर्जा मिलता है। व सुविधानुसार पैसा दे कर अपने आर्नामेंट्स छुड़ा लेता है। इस प्रकार उस के घर में एक छोटा सा बैंक तैयार होता है।

इन बातों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ला कमीशन ने भी कुछ साउंड ग्राउंड्ज़ नहीं दी हैं। उसने केवल बाहर के उदाहरण दिये हैं। क्या डिफ़ेक्ट होता है, क्यों नहीं रखना चाहिए, इस बारे में उन्होंने कोई कारण नहीं दिये हैं। उन्होंने कोई रीज़न नहीं दी हैं कि क्यों प्लेजिंग (गिरवी) का पीरियड कम होना चाहिए, जबकि जब से लिमिटेशन एक्ट आया, तब से ही, पचास साठ वर्ष से, प्लेजिंग का पीरियड वहीं चल रहा है। यदि शासन उस में एक दम परिवर्तन करता है, तो गांवों का आर्थिक ढांचा ख़त्म हो जायेगा।

अन्त में इस बारे में मैं कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूं और यदि आवश्यकता हो, तो मैं ला मिनिस्टर साहब से डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं उनसे फिर अपील करूंगा कि आर्टिकल १३६ को बदलना चाहिए। अगर वह नहीं बदलेंगे, तो हमारे काश्तकार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जायेगी। कोर्ट्स में एक्सीक्यूशन्ज़ पाइल अप हो जायेंगे, एटैचमेंट्स और कुर्कियां हो जायेंगी। शासन को मालूम है कि गांवों के साठ से अस्सी प्रतिशत लोग कर्जे में हैं। उन पर डिग्रियां हैं। उन पर हर साल कुर्कियां आती हैं। हम लोग उनको समझाते हैं और गांवों के पंचों से उन पर फ़ोर्स लाते हैं और साहूकार को कहते हैं कि यदि यह नहीं समझेगा, तो गांव में नहीं आने देंगे। तब

साहूकार भी मानता है कि ठीक है, आप गांव वाले कहते हो, तो अगले साल लूंगा, लेकिन कुछ न कुछ पेमेंट देना चाहिए । वह चार, पांच, पंद्रह, बीस, चालीस रुपये ले लेता है और कोर्ट में जा कर सर्टिफ़ाई कर दिया जाया है । यह परिस्थिति साहूकार के लिए अच्छी रहती है । वह भी टाइम बढ़ाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन सरकार ने यह बिल्कुल खत्म कर दिया है और किसान को बचाने के लिए दरवाजे बिल्कुल बन्द कर दिये हैं और कोर्ट के हाथ बांध दिये हैं ।

ला मिनिस्टर साहब मेरी हिन्दी को नहीं समझते होंगे । मैं उनको इंगलिश में समझाने के लिए तैयार हूं । आर्टिकल १३६ में इस प्रकार का प्राविज़न होना चाहिए कि जहां डिक्री को संशोधित किया गया है वहां समय संशोधन की तिथि से आरम्भ होगा । माननीय सदस्य, श्री होमी दाजी तथा श्री गौरी शंकर कक्कड़ और मैं इस बात के पक्ष में हैं ।

हमारी पार्लिमैंट के जितने भी काश्तकार मैम्बर हैं, वे भी मैं नहीं समझता हूं, इस के विरोध में जायेंगे । इस वास्ते मेरी प्रार्थना है, कि इसमें एमेंडमेंट किया जाये । परसों अगर मेरा एमेंडमेंट आ जायेगा, तो उसको मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वीकृत कर लिया जाय और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो शासन खुद एमेंडमेंट रखे, और हम उसको मंजूर करने के लिये तैयार हैं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर)** : इस विधेयक पर बोलने का मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं । मेरा कहना है कि यिह विधेयक संविधि पुस्तक में समानीकरण लाने की दिशा में एक अच्छा कदम है । और इस पग को मैं प्रशंसनीय कहता हूं । इस विधेयक का आरम्भ १८५९ में हुआ था । और वर्तमान अधिनियम १९०८ के समय का है । उसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है' उस का मतलब यह है कि विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार इसे आज की व्यवस्था और जीवन के अनुरूप बनाया जाय और इस दृष्टि से सभी वर्गों को इसका स्वागत करना चाहिए ।

विधि आयोग की सिफारिशों के बाद प्रवर समिति भी इस पर विचार कर चुकी है और राज्य सभा में भी इस पर चर्चा हो चुकी है । इस बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने जो सन्देह प्रकट किये हैं वह बिलकुल निराधार हैं । शहरों में जो मुकदमेबाजी चल रही है उसका विधि आयोग पर भी प्रभाव था और सरकार पर भी । यह मैं इस संदर्भ में अवश्य निवेदन करूंगा कि ऋण की कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त एक वकील होने के नाते मेरा मत है कि विधेयक के खंड ६ से सन्निहित व्याख्या बिलकुल ही अनावश्यक सी है, इसे हटा देना चाहिए । इसी तरह खंड ११(२)(क) भी बिलकुल असंगत है, इसमें भी संशोधन किया जाना चाहिए ।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस विधेयक के उपबन्धों का अन्ततोगत्वा अशिक्षित वर्ग पर ही प्रभाव पड़ने वाला है । अतः यदि यह सिद्ध हो जाय कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो मूल अधिनियम में जिस परिसीमन का उल्लेख है उसे पुनः पूवरूप प्रदान किया जा सकता है ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

ऐसा करने पर वह उद्देश्य पूरा हो जायेगा जिसके लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । और इससे कई एक मामलों का सन्तोषजनक हल निकल आयेगा । इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कु० कृ० वर्मा (सुलतानपुर) : यद्यपि पूर्ववक्ता इस बात से सहमत नहीं, परन्तु मेरा मत यह है कि खंड ६ की व्याख्या बहुत ही आवश्यक है क्योंकि "अल्प-वयस्क" शब्द के अर्थ में अथवा उसके अन्तर्गत गर्भ में पड़ा बालक भी सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार परिसीमन अवधि उस बालक के हित में बढ़ा दी गयी है । यह बात बिलकुल निराधार है कि इससे कोई भ्रम पैदा हो जाने की सम्भावना है । अतः खंड ६ की व्याख्या बहुत ही आवश्यक है ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, हम यह कल्पना कर रहे थे कि आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर डेटलेस हो जायेंगे, उऋण हो जायेंगे । आज तक जो किसान कर्ज़ की चक्की में पिसता रहा है उससे उसे राहत मिल जायेगी । लेकिन इस बिल से बात उल्टी हो जायेगी । पहले तो किसान जमींदार से अपनी जान बचा लेता था, एक चौथाई या पांचवां या बीसवां हिस्सा दे कर अपने आपको बचा लेता था । लेकिन अब यह होगा कि बारह साल में डेक्री हासिल की जायेगी और उस की ज़ायदाद और बैल सब कुछ ले लिये जायेंगे ।

जरूरत इस बात की थी कि मियाद ब... कर उसे और घटा दिया गया । मुझे यू० पी० के बारे में पता है कि यू० पी० की सरकार ५ लाख रु० रोजाना कमाती है कोर्ट फीस से । मान लीजिये कि मेरा केस है । आज मेरे पास कोर्ट फीस नहीं है, दस दिन बाद, चार दिन बाद, बीस दिन बाद, महीने दो महीने बाद, कोर्ट फीस का इन्तज़ाम हो जाता है, तो मैं अपील में जा सकता हूं । आज उल्टा हिसाब यह है कि मेरे ऊपर ही तो ज्यादती होती है और मुझे ही कोर्ट फीस देनी होती है । मेरे ऊपर जुल्म होता है और मुझे ही कोर्ट फीस देनी पड़ती है । जिस चंगल से हम लोग निकलना चाहते थे, जिस चीज़ से हम यह खयाल करते थे कि हमको राहत मिलेगी, उसमें ही हमारे बन्धन और ज्यादा मज़बूत कर दिये गये । अब हम उस से बाहर नहीं निकल सकते । हमने जो डेटलेस इंडिया का स्वप्न देखा था, उऋण काश्तकार का, जिस के कर्जे बेबाक हो गये हों, वह ख्वाब मिट्टी में मिल गया है और ज़ंजीरें और ज्यादा मजबूत हो गई हैं । जो चीपेस्ट बैंकर आफ दि वर्ल्ड था, गांव का बनिया, जोकि हमारे हज़ार काम आता था, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की शादियों का इन्तजाम करता था आज उसी चीपेस्ट बैंकर आफ दि वर्ल्ड के सामने यह दिक्कत आयेगी कि वह हमारी कोई इमदाद नहीं कर सकेगा । अब तक जो हेल्पिंग और ओब्लाइजिंग मूड में था, अब तक जो हमारी फैमिली का एक पार्ट था, वह हम से अलग हो जायेगा । यह जो हमारी बनी हुई कोआपरेटिव थी वह इस तरह से खत्म कर दी जायेगी । इस बिल के मुताल्लिक यह पता नहीं . . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कल जारी रखना चाहेंगे ?

श्री यशपालसिंह : अभी मैं और बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारे जीवन का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को बनिये से अलग नहीं करना चाहता हूं । आप अगले दिन बोल लीजियेगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा १६ अगस्त, १९६३/ श्रावण २५, १८८५ (शक) शुक्रवार के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

बुधवार, १४ अगस्त,
२३ श्रावण, १८८५ (श)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १६३—८७

तारांकित
प्रश्न संख्या

३१ तेल की पाइप लाइनें . १६३—६५
३२ राष्ट्रमण्डल वैज्ञानिक सम्मेलन १६५—६७
३३ दिल्ली के स्कूलों में दाखिला १६८—६९
३४ बिहार में तेल . . १७०—७१
३५ राष्ट्रीय अनुशासन योजना . १७१—७४
३६ पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश . . १७५—८२
३७ अन्धों के लिये सहायक उपकरण १८२—८३
३८ सीमित आई० ए० एल० परीक्षा . १८४—८६
३९ दिल्ली का राजनीतिक ढांचा . १८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर १८८—

तारांकित
प्रश्न संख्या

४० इंडिया आफिस लाइब्रेरी . १८८
४१ कोयले की ढुलाई . . . १८८—८९
४२ ईरान में तेल की खोज . . . १८९
४३ कृत्रिम वर्षा १९०
४४ बुनियादी शिक्षा का सर्वेक्षण . . . १९०
४५ आपात शक्तियां . . . १९१
४६ त्रिपुरा में बवंडर . . . . . १९१—९२
४७ पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां १९२
४८ बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय . १९२
४९ तेल के कुएं १९३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

५०.	मैट्रिकुलेट विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम .	१९३—९४
५१	लन्दन में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय सम्मेलन . .	१९४
५२	स्वाधीनता संग्राम का इतिहास	१९५
५३	बरौनी गोली कांड	१९५
५४	डाकुओं का आतंक	१९६
५५	उच्च शिक्षा के बारे में सप्रू समिति . . .	१९६
५६	सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन . . .	१९६—९७
५७	सरकारी छुट्टियां	१९७
५८	कोयला धोने के कारखाने	१९७–९८
५९	पैट्रो-रासायनिक उद्योग	१९८–९९
६०	उद्योगों में प्रयोग होने वाला कोयला . . .	१९९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२०	जासूसी प्रशिक्षण	१९९–२००
१२१	राजनैतिक पीड़ित	२००
१२२	लुमुम्बा विश्वविद्यालय का दाखिला . . .	२००–०१
१२३	दिल्ली के अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति की आयु . .	२०१
१२४	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् .	२०१–०२
१२५	उड़ीसा के विद्यार्थियों के शैक्षणिक दौरे . . .	२०२
१२६	कोणार्क का "सूर्य मन्दिर"	२०२
१२७	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसान	२०३
१२८	दंड प्रक्रिया संहिता	२०३
१२९	दिल्ली में जनता कालिज . .	२०३
१३०	केन्द्रीय पुस्तकालय	२०४
१३१	इलाहाबाद परीक्षा-पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र .	२०४
१३२	उत्कल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय . . .	२०४–०५
१३३	उड़ीसा को कोयले का संभरण .	२०५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या		
१३४	आसाम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	२०६
१३५	स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान	२०६
१३६	बहु प्रयोजनीय स्कूलों को सहायता	२०६
१३७	ताजमहल के फोटो	२०७
१३८	सांध्यकालीन कालिज	२०७
१३९	कोचीन में तेल शोधक कारखाना	२०८
१४०	प्रविधिक शिक्षा में कमी	२०९
१४१	अन्दमान की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	२०९
१४२	चीनी नजरबन्द	२१०
१४३	"पैरा-साइकोलजी" सम्बन्धी सम्मेलन	२११
१४४	माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के लिये गणित की ग्रीष्मकालीन संस्था	२११
१४५	कोयले के मूल्य	२११
१४६	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	२१२–१३
१४७	दिल्ली यातायात मंत्रणा समिति	२१३
१४८	भारत-रूस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान प्रदान	२१३–१४
१४९	इंजीनियरी पाठ्यक्रम	२१४
१५०	अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	२१४
१५१	टोकियो खेलकूद के लिये चुनाव	२१४–१५
१५२	सामान्य शिक्षा कार्यक्रम	२१५
१५३	शिक्षा और संकटकाल	२१५
१५४	"चाइना टुडे"	२१६
१५५	अफसरों के लिये प्रशिक्षण शाखायें	२१६
१५६	जूनियर टेक्निकल स्कूल	२१७
१५७	स्वयंसेवी संस्कृत संस्थायें	२१७–१८
१५८	केन्द्रीय मंत्री	२१८
१५९	विदेशियों का पंजीकरण कार्यालय	२१८
१६०	हरिजनों के लिए कुएं	२१९

विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६१	सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी	२१६
१६२	आन्ध्र प्रदेश में कोयले की खानें	२१६–२०
१६३	राष्ट्रीय साइकिल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में दुर्घटना	२२०
१६४	उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद	२२०
१६५	हिन्दी का प्रयोग	२२१
१६६	बुनियादी शिक्षा	२२१
१६७	लक्कदीव	२२२
१६८	बुन्देलखंड क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२२२–२३
१६६	पाठ्य-पुस्तकें	२२३
१७०	उद्योगों के लिये भूमि का वितरण	२२३–२४
१७१	बहरे और गूंगों के लिये रेलवे भाड़े में की रियायतें	२२४–२५
१७२	असम और बंगाल में तूफान	२२५
१७३	कागज प्रौद्योगिकी तथा पालेटक्नीकल स्कूल	२२५–२६
१७४	विश्वायत्न योगाश्रम, नई दिल्ली	२२६
१७५	नक्शे की जब्ती	२२६–२७
१७६	आयल इंडिया लिमिटेड	२२७
१७७	कालिज की फीस	२२७
१७८	भूचुम्बकीय अनुसन्धान	२२७–२८
१७६	आसाम में संस्कृत शिक्षा	२२८
२८०	चन्द्रकेतुगार में खोज	२२८–२६
१८१	शिक्षा का पर्यवेक्षण	२२६
१८२	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, दिल्ली	२२६
१८३	बिहार के शिक्षकों को पेन्शन	२३०
१८४	स्कूलों में लड़कों और लड़कियों का प्रवेश	२३०
१८५	राजस्थान में तेल के निक्षेप	२३१
१८६	अन्दमान और निकोबार द्वीप	२३१
१८७	असैनिक सुरक्षा विशेषज्ञ	२३१
१८८	पुरातत्व विधान समिति का प्रतिवेदन	२३२
१८६	हिमालय अभियान	२३२

विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९० विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्य-क्रम २३२–३३
१९१ अनुसन्धान कार्य का समन्वय . २३३
१९२ आविष्कारों का पंजीयन . . २३३–३४
१९३ सिन्धी २३४
१९४ चिटफंड २३४
१९५ डाक द्वारा शिक्षा . २३५
१९६ सीमान्त क्षेत्रों का विकास . २३५
१९७ दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक २३६
१९८ शिक्षक कल्याण राष्ट्रीय प्रतिष्ठान २३६
१९९ सरकारी स्कूल शिक्षक संघ दिल्ली २३६–३७
२०० पंजाब के लिये "हार्डकोक" . . २३७
२०१ पंजाब में बाल तथा समाज कल्याण कार्यक्रम . . २३७
२०२ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्र-वृत्तियां . . २३८
२०३ भास्करपाड़ा कोयला खनन परियोजना २३८
२०४ लंका को तेल का सम्भरण २३९
२०५ गुजरात क्षेत्र में पाइपलाइन . २३९
२०६ सरकारी सेवा में गैर भारतीय लोग २४०
२०७ पूर्व-प्राइमरी शिक्षा . . २४०
२०८ उत्तर प्रदेश में टेकिनकल शिक्षा संस्थायें २४०
१०९ गोहाटी तेल शोधक कारखाना २४०–४१
२११ निवेली में तापीय केन्द्र २४१

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . २४१—४६

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लेने के लिये वायस आफ अमेरिका के साथ हुए करार के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २४६—४८

(१) मई-जून, १९६३ में आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री की कैनेडा, अमेरिका और ब्रिटेन यात्रा के बारे में एक वक्तव्य ।

विषय पृष्ठ

(२) १ सितम्बर, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

(३) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत, दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२७९ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६३ की एक प्रति ।

(४) सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, १९६१ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३० में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय (संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २० जलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३१ में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(५) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तगत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८०५ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४३ में प्रकाशित खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ग) दिनांक १८ मई, १९६३ अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४२ में प्रकाशित खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(६) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, कोयला बोर्ड के वर्ष १९६१–६२ के लेखे के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(७) (एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९६१–६२ के लिये उड़ीसा रोड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, लिमिटेड, बरहामपुर का वार्षिक प्रतिवेदन ।

विषय पृष्ठ

(ख) वर्ष १९६१–६२ के लिये उड़ीसा रोड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, लिमिटेड, बरहामपुर के डायरेक्टर का प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी प्रतिवेदन––उपस्थापित २४८

बाईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

लोक लेखा समिति से राज्य सभा के सदस्य को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव––स्वीकृत २४८–४९

श्री त्यागी ने राज्य सभा से यह सिफारिश करने का प्रस्ताव किया कि श्री नवाब सिंह चौहान के राज्य सभा से त्यागपत्र देने से हुई रिक्ति में, लोक लेखा समिति के साथ सम्बद्ध करने के लिये, राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २४९––५२

सत्रहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

विधेयक पारित २५२––७३

(१) १३–८–६३ को प्रस्तुत किये गये वस्त्र समिति विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(२) गृहकार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) ने प्रस्ताव किया कि संघ राज्य-क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

विधेयक––विचाराधीन २७३––८२

विधि मंत्रालय के उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि परिसीमन विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, १६ अगस्त, १९६३/२५ श्रावण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में परिसीमन विधेयक पर अग्रेतर चर्चा तथा विधेयक का पारित किया जाना तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

खंड २ से २४ और १ . २६४–६८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६८
श्री मनूभाई शाह . . २६८
संघ राज्य क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २६८–७३
श्री हजरनवीस २६८–७१
श्री प्रभात कार . २६९
डा० मा० श्री अणे . २६९
श्री बड़े . २६९–७०
श्री गौरी शंकर कक्कड़ . . २७०
खंड २, ३ और १ . . . . . २७१–७३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७३
श्री हजरनवीस . . २७३
परिसीमन विधेयक २७३–८२
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—
श्री विभुधेन्द्र मिश्र २७३–७५
श्री दाजी . २७५–७६
श्री उ० मू० त्रिवेदी . . २७६
श्री कृ० ल० मोरे . २७६
श्री गौरी शंकर कक्कड़ . २७६–७७
श्री बड़े . . २७७–८१
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी २८१
श्री कु० कृ० वर्मा . २८२
श्री यशपाल सिंह . . . २८२
दैनिक संक्षेपिका २८३–८९

P.L.S. 41. XIX. 2. 63.
169

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।